रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94 REGISTERED NO. DL—33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 1994 (वैशाख 31, 1916)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 1994 (VAISAKHA 31, 1916)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	415
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	453
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	973
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	—
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	503
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	431
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2637
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	73
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*प्रकाशित नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	415
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	453
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of [Defence]	973
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	503
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	431
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	"
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2637
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies.	73
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1994

सं० 26-प्रेज/94—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री वी० पी० एस० त्यागी, (मरणोपरान्त)
कम्पनी कमांडर,
18वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस,
जिला उत्तरकाशी ।

श्री सुखदेव ढोंढाल, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
18वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस,
जिला उत्तरकाशी ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री विजय पाल सिंह त्यागी, कम्पनी कमांडर, 18वीं बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को, 4 फरवरी, 1992 को उत्तर प्रदेश की गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित मलारी अक्ष में तैनात अपने कम्पनी कर्मियों में वेतन वितरित करने के लिए लगाया गया था । 6 फरवरी, 1992 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, वे वेतन दल के साथ मलारी की ओर बढ़ते हुए भापकुण्ड के लिए रवाना हुए । उनके अतिरिक्त उस दल में श्री एम० एस० पंवार, कंपनी कमांडर (इंजीनियर) और 15 अन्य कार्मिक थे । वे सरकारी वाहन में अपने दल के साथ भापकुण्ड के लिए 0900 बजे रवाना हुए और जुम्मा के 5 कि० मी० पहले तक पहुंचे जहां कि सड़क अवरुद्ध थी । अब सड़क से आगे पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था और यह स्पष्ट था कि वाहन और आगे नहीं जा सकता है । इसलिए अपने निजी सामान को अपनी पीठ पर लादकर वे पैदल ही चल पड़े । सड़क के उस अवरोध से भापकुण्ड की दूरी 15 कि० मी० है ।

जब यह दल 14.00 बजे जुम्मा पहुंचा तो उन्होंने अपेक्षा से अधिक बर्फ एकत्र देखी, थोड़ा विश्राम करने के बाद दल ने पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी । उसी समय बर्फ पड़ने लगी, तथापि, यह काफी संयत थी । मौसम की स्थिति और एकत्र हुए बर्फ को देखकर श्री त्यागी ने सोचा कि तेजी से यात्रा करना बेहतर होगा जिससे कि अंधेरा होने से पहले वे भापकुण्ड पहुंच सकें । दल 1700 बजे झेलम पहुंचा जो भापकुण्ड से केवल 3 कि० मी० दूर है । झेलम और भापकुण्ड के बीच कई जगह बर्फ के बड़े-बड़े ढेर थे और बर्फ के ये सभी बड़े-बड़े ढेर उस समय तक हुए हिमस्खलन के कारण बन चुके थे । बर्फ के दो ढेर एक झेलम से ठीक आगे और दूसरा भापकुण्ड से थोड़ा पहले, काफी विशाल थे और उस समय उन्हें पार करना काफी खतरनाक था । अंतिम हिम ढेर तक पहुंचने से पहले दल ने सभी हिम-ढेरों को आसानी से पार कर लिया था, कई स्थानों पर, जहां पहले के पदचिन्ह नई बर्फ पड़ने के कारण ओझल हो गए थे, श्री त्यागी ने स्वयं दल का नेतृत्व किया और कुल्हाड़ी की सहायता से रास्ता बनाकर उन हिम-ढेरों को पार करने लायक बनाया । अंतिम हिम-ढेर से ठीक पहले जहां कि दुःखद घटना घटी, इस अधिकारी ने कांस्टेबल सतीश कुमार को, जो उनसे ठीक आगे था और रास्ते से फिसल गया था, तुरन्त ऊपर खींचकर उसे सफलतापूर्वक बचा लिया ।

यह दल, करीब 1800 बजे उस दुर्भाग्यपूर्ण हिम-ढेर पर पहुंचा जोकि भापकुण्ड में स्थित भा० ति० सी० पु० के ट्रांजिट कैम्प से केवल 200 मी० दूर था । उस समय तक श्री त्यागी ने निश्चय किया कि कंपनी कमांडर (इंजीनियर) के साथ 3 कार्मिक पहले पार करेंगे, उसके बाद 3 अन्य कार्मिक उनके पीछे जाएंगे और वह स्वयं मध्य में रहेंगे । जिससे वे इस बात की देख-रेख कर सकें कि टुकड़ियां किस प्रकार आगे बढ़ रहीं हैं और तदनुसार वे उनका मार्गदर्शन कर सकें । चूंकि कांस्टेबल सुखदेव एक मजबूत खिलाड़ी था और उसे पर्वतारोहण का अनुभव था, इसलिए श्री त्यागी ने उसे दल के पीछे की ओर रखा, जिससे कि पार करते समय अचानक किसी के फिसल जाने पर वह बचाव कार्य कर सकें । ठीक उस समय, वे एक ग्लेशियर को पार करने का प्रयास कर रहे थे, अचानक एक बर्फानी तूफान आया । उस समय तक 6 व्यक्ति ग्लेसियर को तकरीबन पार कर चुके थे । श्री त्यागी, कांस्टेबल सतीश कुमार

के पीछे थे और कांस्टेबल सुखदेव, पार जाने वाले इस दल में सबसे पीछे था। बर्फानी तूफान लगातार तीन बार आया। जब पहला बर्फानी तूफान आया तो सभी लोग अपने आपको बचाने के लिए इधर-उधर भागे। कांस्टेबल सतीश कुमार मुख्य आवेग में फंस गया। उसके पीछे के व्यक्तियों ने एक बड़ी चट्टान की शरण ली जोकि सड़क के किनारे ग्लेसियर के बीचों-बीच खड़ी थी और जिसने बड़ी मात्रा में आने वाली बर्फ और पथरीली सामग्री को प्रतिरुद्ध किया और वे बर्फ तथा पथरीली सामग्री इधर-उधर से होकर निकली। बर्फानी तूफान की पहली और दूसरी लहर के बीच मुश्किल से 30 सैकेण्ड का अन्तराल था। श्री त्यागी और अन्य ने, जो चट्टान की आड़ में तुलनात्मक रूप से सुरक्षित शरण तकरीबन ले चुके थे, देखा कि नीचे आने वाले हिमधाव के आवेग से कांस्टेबल सतीश कुमार गिर गया है, उस स्थल से 300 फुट से अधिक नीचे की ओर धौलीगंगा नदी बहती है जिसके किनारों के चारों ओर गहरे खड्ड और ऊंची नीची चट्टानें हैं। कांस्टेबल सतीश कुमार सहायता के लिए चिल्लाये और आह्वान के त्वरित प्रत्युत्तर मे श्री त्यागी उसकी ओर दौड़े। जिस क्षण श्री त्यागी ने उनका हाथ पकड़ा तो अचानक ही बर्फानी तूफान की दूसरी लहर आई और इसका प्रभाव इतना विध्वंसकारक और प्रचण्ड था कि इसके बाद बाकी बचे लोगों को कुछ भी दिखाई नही दिया। एक तेज कड-कड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी और उसके बाद प्रचण्ड और असहनीय बर्फानी तूफान आया। यह लगभग 3–4 मिनट तक रहा और जब यह तूफान शांत हुआ तो वे लोग जो पहले ही ग्लेसियर पार कर चुके थे और सुरक्षित दिशा में थे, तुरन्त आए, ग्लेसियर में फंसे हुए तथा चट्टान की आड़ में छिपे लोगों को उसमे से बाहर खीचा। उस चट्टान की आड़ मे छिपे हमारे लोगों में से कुछ ने देखा कि अधिकारी और कांस्टेबल सतीश कुमार को बचाने के लिए दुस्साहसिक कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल सुखदेव उनकी ओर कूद पड़ा। ऐसा, दूसरी तूफानी लहर से ठीक पहले हुआ। जब सभी बच गए लोगो को निकाल लिया गया तो पाया गया कि श्री त्यागी, कम्पनी कमांडर, कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल सुखदेव गायब थे और मान लिया गया कि हिमधाव में फंस गए है।

दूसरी लहर के लगभग आधा घंटे बाद बर्फानी तूफान की तीसरी लहर शुरू हुई। इस समय तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और तेजी से बर्फ पड़ रही थी। बचाव कार्य तुरन्त करना संभव नहीं था इसलिए शेष दल, श्री एम० एस० पंवार, कम्पनी कमांडर (इंजीनियर) की कमान के अधीन ट्रांजिट कैम्प, भापकुण्ड वापस आए। इतने बड़े बर्फानी तूफान और लगातार बर्फ पड़ने के कारण, नदी तक सड़क पर और उसके किनारे भारी मात्रा में बर्फ एकत्र हो गई थी और नदी, विशाल बर्फ की पुल से ढक गई थी जिस पर औसतन 60 फुट ऊंची बर्फ थी। श्री त्यागी, जो अभी भी लापता थे और जिनके बारे में यह मान लिया गया था कि वे ग्लेसियर के नीचे फंस गए है (जिनका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ), ने प्रशंसनीय साहस, चरित्रबल और वृढ़ निश्चय तथा सुनेतृत्व गुण का प्रदर्शन किया। स्वयं अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने मौत के पंजों से अपने आदमियों को बचाने का एक विकट प्रयास करने का साहस किया।

इस घटना में सर्वश्री वी० पी० एस० त्यागी, कम्पनी कमांडर और सुखदेव डोभाल, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1994

सं० 27-वेज 94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक समर्पण प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जगवीर सिंह,
कांस्टेबल,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल,
मद्रास।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 1 जून, 1992 को करीब 2050 बजे जब कांस्टेबल जगवीर सिंह, सालवेज स्क्रैप यार्ड, मनाली, मद्रास, में यार्ड के अन्दर गश्त लगा रहे थे, तो उन्हें यार्ड के दूसरे कोने से गलत गतिविधियों का आभास हुआ और उन्होंने एक व्यक्ति को उसके छिपने के स्थान से बाहर आते देखा। उसी समय तीन अन्य संदिग्ध व्यक्ति एक प्रशिक्षित कुत्ते के साथ श्री जगवीर सिंह की ओर बढ़ने लगे। कुत्ता श्री जगवीर सिंह पर झपटा और उनको बुरी तरह से काट खाया, जबकि अन्य चार अपराधियों ने श्री जगवीर सिंह के सिर और शरीर पर लोहे की छड़ों से वार करना शुरू कर दिया। खूंखार कुत्ते और घुसपैठियों द्वारा किए गए अचानक इस हमले के बावजूद भी उन्होंने उनमें से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, तुरन्त अन्य घुसपैठियों ने उस पर काबू पा लिया और उनको धरती पर गिरा कर दबोच लिया। इसके बावजूद भी कांस्टेबल जगवीर सिंह ने एक हाथ से 20 मिनट से अधिक समय पर घुसपैठियों का मुकाबला किया और उनमें से एक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाये रखी। बाद में, शोर मचाने पर कुछ मजदूर तथा पास की ड्यूटी चौकी से एक संतरी दौड़कर वहां पहुंचा और उन्होंने कांस्टेबल जगवीर सिंह की गिरफ्त में एक संदिग्ध व्यक्ति को पाया। लोहे की छड़ों की मार से हुए जख्मों के कारण पूरे शरीर से

अत्यधिक रक्त-स्राव और कुत्ते द्वारा अनेक स्थानों पर काटे जाने से भयभीत और गम्भीर रूप से घायल कांस्टेबल जगवीर सिंह को तुरन्त ही अस्पताल ले जाया गया। एक घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया। किन्तु आगे बढ़ रहे कार्मिकों और पुलिस संतरी को आते देखकर अन्य तीन अपराधी कुत्ते सहित वहां से बचकर भाग गए। गिरफ्तार किए गए अपराधी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री जगवीर सिंह, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जून, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1994

सं० 28-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री आनन्द मोहन महतो,
नायक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

श्री रामेश्वर दत्त,
कांस्टेबल,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5/6 जुलाई, 1992 की मध्यवर्ती रात्रि को, कांस्टेबल रामेश्वर दत्त और कांस्टेबल जीवन के साथ नायक आनन्द मोहन महतो को टार्च लाइटों और छोटी लाठियों से लैस सादे कपड़ों में घात लगाने की ड्यूटी पर तैनात किया गया था ।

0305 बजे फैरो एलाय स्टोर्स में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल के० एस० अधिकारी ने घात लगाने वाले दल को सूचना दी कि स्टील मैल्टिंग शाप क्षेत्र में 8/9 अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहे है । यह सूचना प्राप्त होने पर घात लगाने वाले दल ने तुरन्त पैरीमीटर दीवार पर मोर्चा संभाल लिया, जहां से अपराधियों के गुजरने की आशा थी। नियंत्रण कक्ष से एक सशस्त्र केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी भी स्टील मैल्टिंग शाप पर पहुंच गई और उस क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरू कर दी । नायक महतो और उसके दल के साथियों ने जब उनको ललकारा तो अपराधी पीछे हट गए और पाईप गन से एक राउण्ड फायरिंग की । निहत्थे होने के बावजूद, नायक महतो तेजी से आगे बढ़े और एक अपराधी पर झपट पड़े । इस प्रक्रिया के दौरान अपराधियों के पकड़ने के लिए कान्स्टेबल रामेश्वर दत्त भी तेजी से आगे बढ़े । स्वयं को निसहाय पाकर अपराधियों ने एक और शाट फायर किया जो कांस्टेबल रामेश्वर दत्त की दाईं छाती में लगा जिससे उनके दांए फेफड़े में छिद्र हो गया । इसके बावजूद नायक महतो तब तक अपराधियों से जूझते रहे जब तक कि वहां कुमुक नहीं पहुंच गई । कांस्टेबल रामेश्वर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और वे नीचे गिर गए । अपराधियों को पकड़ने के लिए वे अपने साथियों को चीख-चीख कर कहते रहे । नायक महतो और कांस्टेबल दत्त ने निहत्थे होते हुए भी खतरनाक अपराधी के साथ जूझने और उसको पकड़ने में उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया। भागते हुए अपराधियों ने 110 कि० ग्रा० फैरो क्रोम एलाय, 10 कि० ग्रा० एलूमीनियम स्टार और पैरीमीटर दीवार पर चढ़ने के लिए प्रयोग की गई 20 फुट की रस्सी वहां छोड़ी।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आनन्द मोहन महतो, नायक और रामेश्वर दत्त, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जुलाई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1994

सं० 29-प्रेज/94—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री पी० आर० एन० नायर,
2-1/सी,
द्वितीय बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री डी० कानन,
सहायक कमांडेन्ट,
द्वितीय बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री महाराज बक्स सिंह,
कांस्टेबल,
द्वितीय बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 19-8-1991 को लगभग 1045 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कोबदारा और वन्तपारा क्षेत्र में बहुत संख्या में उग्रवादी एकत्र है। सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद, श्री पी० आर० एन० नायर, 2-1/सी को जवानों के साथ, स्थिति पर निगरानी रखने के लिए राजौरी कदाल चौकी पर तैनात किया गया। इसी बीच उग्रवादियों ने गश्ती दल पर गोलियां चलायी, जिसके बारे में बाद में पता चला कि ऐसा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्यान मखदूम साहिब से हटाने के लिए किया गया था, जहां पर भारी संख्या में उग्रवादी एकत्र थे। मखदूम साहिब को घेरने का निर्णय लिया गया, जो हरि पर्वत पर ऊंचाई पर स्थित है और जवानों के लिए उग्रवादियों द्वारा सीधे गोलीबारी किए जाने का खतरा था। हरि पर्वत पर बैठे उग्रवादियों ने, श्री नायर के नेतृत्व में बढ़ रही पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी। श्री नायर ने स्थिति का जायजा लिया और अपने जवानों को इधर-उधर फैलने और वहां बाएं और दाएं से ऊपर चढ़ने का निर्देश दिया जबकि वे स्वयं बीच से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उग्रवादियों ने गोलियां चलायीं, लेकिन, चूंकि वह क्षेत्र घनी आबादी वाला था और धार्मिक स्थल में तीर्थयात्री मौजूद थे, इसलिए उग्रवादियों की प्रचण्ड गोला-बारी को शान्त करने के लिए हथगोलों का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारी गोलाबारी से विचलित हुए बिना और अपने जीवन और सुरक्षा की परवाह न करते हुए, श्री नायर आगे बढ़े और प्रभावकारी मोर्चा संभाला और ऊपर की ओर से हो रही उग्रवादियों की प्रचण्ड गोलाबारी को अपनी ए० के० एम० के० राईफल से निष्प्रभावी कर दिया और इस प्रकार से भारी संख्या में हताहत होने की घटनाओं को टाल दिया और दल को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे बिना घेरा डालने वाले दल को अपने कार्य को पूरा करने में मदद पहुंचाई। इसी बीच श्री डी० कानन, सहायक कमांडेन्ट के नेतृत्व वाली छानबीन पार्टी ने एक सशस्त्र उग्रवादी को घेरे के पश्चिमी किनारे पर एक घर में घुसते हुए देखा, जिसमें एक महिला और बच्चे मौजूद थे। निर्दोष लोग हताहत न हों, इसके लिए श्री कनकन, श्री महाराज बक्स सिंह कांस्टेबल के साथ पिछले दरवाजे से चुपके से घर में घुसे और अपने जीवन के प्रति भारी खतरे की स्थिति में उस उग्रवादी पर झपट पड़े, जो दूसरे दरवाजे से भाग रहा था और उसे दबोच लिया। इस पूरे अभियान के दौरान 4 पाक प्रशिक्षित उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। उनसे 3 ए० के०-56 राईफलें, 76 राउण्ड गोलियां, 7 मैगजीनें, हथगोले की एक छड़ और एक राऊन्ड हथगोला बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी० आर० एन० नायर, 2-1/सी, डी० कानन, सहायक कमांडेन्ट और एम० बी० सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये गये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19-8-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1994

सं० 30-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शेख उसमान, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
81वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 17-5-91 को करीब 1230 बजे लुधियाना के गांव हंसकलां और छज्जेवाल के बीच के क्षेत्र में पंजाब पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, और सीमा सुरक्षा बल ने एक संयुक्त अभियान चलाया। श्री शेख उसमान, कांस्टेबल इस बल का एक सदस्य था। जिस समय श्री शेख उसमान सहित दल की एक टुकड़ी गांव हंसकलां के दाहिनी ओर श्री अवतार सिंह नामक एक व्यक्ति के अकेले घर की तलाशी ले रही थी तो उस समय उन्होंने ए०के०-47 राईफलों और एम० एल० आर० राईफलों से लैस 6-7 आतंकवादियों के एक दल को गांव छज्जेवाल की ओर भागते हुए देखा। श्री उसमान सहित इस दल ने भाग रहे आतंकवादियों का तुरन्त पीछा किया और करीब एक किलोमीटर की दूरी तक पीछा करने के बाद उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया जबकि अन्य आतंकवादी गांव छज्जेवाल की ओर भागते रहे। पुलिस दल उनका पीछा करता रहा। एक किलोमीटर और दूर तक पीछा करने के बाद तीन आतंकवादियों ने कंकरीट के ट्यूबवैल की खाई में मोर्चा संभाल लिया और स्वचालित हथियारों से श्री उसमान और उनके सहकर्मियों पर गोली-बारी करनी शुरू कर दी। जबकि अन्य दो आतंकवादी गांव छज्जेवाल की ओर भागते रहे। श्री उसमान और उनके साथियों ने मोर्चे संभाल लिए और आतंकवादियों को उलझाए रखा, जिन्होंने कंकरीट के ट्यूब-वैल की पक्की खाई के पीछे अच्छी तरह मोर्चा संभाल रखा था, परन्तु उन आतंकवादियों को, जो मजबूत स्थिति में थे, वहां से बाहर निकालना कठिन और जटिल कार्य था। यह महसूस करते हुए कि वे दबाव में हैं तथा उनके द्वारा की जा रही गोली-बारी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, श्री उसमान ने साहस बटोरा और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना खुले स्थान में मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को निकालने के लिए जी० एफ० राईफल से हथगोले फेंके। श्री उसमान ने चार एच० ई० हथगोले फेंके और एक आतंक-वादी को मार गिराने में सफल हो गए जो खाई से बाहर निकल आया था। जिस समय अन्य आतंकवादी भाग निकलने का प्रयास कर रहे थे उसी समय श्री उसमान ने अपना पांचवां हथगोला फेंकने के लिए पुनः मोर्चा ले लिया, परन्तु जैसे ही उन्होंने पांचवां गोला फेंकने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया उसके सिर पर आतंकवादी की एक गोली लगी।

घायल होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की और बेहोश होने से पूर्व हथगोला फेंक दिया। उन्हें हस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।

उक्त अभियान के दौरान 6 आतंकवादी मारे गए, और आतंकवादियों से 4 ए० के०-47 राईफलें, एक एस० एल० आर० राईफल, मैगजीनें, 2 एस० एल० आर० की मैगजीनें, 8 मैगजीन ए० के०-47 एसाल्ट राईफल, 3 पिस्तौल, 2 रिवाल्वर, 2 छड़-बम, ए० के०-47 और एस० एल० आर० राईफल के 100 अनप्रयुक्त कारतूस तथा मोटर साईकल इत्यादि बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री शेख उसमान, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17-5-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 31-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री एच० आर० चौधरी,
सहायक कमांडेंट,
33 बटालियन, के० रि० पु० बल।

श्री विवेक वैद,
पुलिस उपाधीक्षक,
33 बटालियन, के० रि० पु० बल।

श्री सोम प्रकाश,
निरीक्षक,
33 बटालियन, के० रि० पु० बल।

श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह,
निरीक्षक,
33 बटालियन, के० रि० पु० बल।

श्री महाबीर सिंह,
हैड कांस्टेबल,
33 बटालियन, के० रि० पु० बल।

श्री सुभाष चन्दर,
नायक,
33 बटालियन, के० रि० पु० बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 15-4-1990 को एफ कम्पनी का एक दल पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में, उन्हें सौंपे गए क्षेत्र में गश्त/तलाशी ड्यूटी पर था। उस दल पर श्री ज्ञान सिंह के फार्म हाउस, जिसकी तलाशी पुलिस दल द्वारा ली ही जाने वाली थी, से आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई गई। तुरन्त ही घेरेबंदी को मजबूत कर दिया गया और दल ने पोजीशन ले ली। स्थिति का आकलन करके और इसकी गम्भीरता समझ कर ए० सी० और डी० कम्पनी बटालियन मुख्यालय को कुमुक भेजने के लिए सूचना तुरन्त ही भेजी गई। सूचना प्राप्त होते ही श्री चौधरी दल के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए, फार्म हाउस का घेरा डाल लिया और परामर्श के बाद स्थिति का जायजा लिया तथा फार्म हाउस के अन्दर छिपे हुए और वहां से गोली चला रहे आतंकवादियों पर हमला करने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें माइक पर कई बार चेतावनी दी गई लेकिन आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। के० रि० पु० बल/पंजाब पुलिस के दलों पर पास के खेतों की ओर से भी गोलियों की एक बौछार आई। पुलिस दल ने पोजीशन ली और जवाबी गोलीबारी की। इसी बीच श्री सोम प्रकाश, निरीक्षक ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एल० एम० जी० अपने एस्कोर्ट से ली और कवर फायर की सुरक्षा में, छत में छेद करने के लिए फार्म हाउस की छत पर चढ़ गए लेकिन एक बच्चे द्वारा यह सूचना मिलने पर कि आतंकवादी दूसरे कमरे में हैं, अपने निजी जीवन के प्रति गम्भीर खतरा उठाते हुए श्री सोम प्रकाश, भारी गोलीबारी के बीच लगभग 20 गज तक बढ़े और एक सीढ़ी की सहायता से दूसरी छत पर चढ़ गए जहां पर उनके साथ श्री चौधरी भी पहुंच गए। इन दो अधिकारियों ने अत्यधिक साहस के साथ लकड़ी और मिट्टी से बनी कच्ची छत में छेद किये, इस कार्य में उनकी जान को बहुत खतरा था क्योंकि कमरे के अन्दर से आतंकवादी भारी गोलीबारी कर रहे थे और खेतों में पोजीशन लिए हुए आतंकवादियों का दूसरा समूह भी जी० पी० एम० जी० से गोलियां चला रहा था। श्री चौधरी और श्री सोम प्रकाश ने कमरे के अन्दर हथगोले फेंके जिसके कारण कमरे में विस्फोट से आग लग गई। जब दूसरी ओर से गोली चलनी बन्द हो गई तो तलाशी ली गई और कमरे से हथियारों एवं गोली बारूद के साथ तीन शव बरामद हुए।

इसी समय जब यह अभियान चल रहा था तो चार-पांच आतंकवादियों के एक गुट ने, जो एक छोटे नाले में छिपा हुआ था, पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तुरन्त ही पूरे क्षेत्र की घेरे बन्दी कर ली गई और श्री विवेक वैद, पुलिस उपाधीक्षक के अधीन एक पुलिस दल पश्चिमी दिशा में नाले की ओर बढ़ा जहां कि आतंकवादी छिपे हुए थे जबकि एक अन्य दल श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह निरीक्षक के नेतृत्व में उत्तरी दिशा से आगे बढ़ा और एक दल के साथ एक पुलिस उपाधीक्षक दक्षिण पश्चिमी दिशा से आगे बढ़े। उसी समय आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए बार-बार माइक पर चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने पुलिस

दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति की गम्भीरता को भांप कर मुठभेड़ की कमान संभाल रहे कमांडेंट (सी० सी० डी०) ने पोजीशन ले ली और श्री विवेक वैद के साथ आगे बढ़े तथा उन्होंने निरीक्षक श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह को हैंड/राइफल ग्रेनेड प्रयोग करने का निर्देश दिया। निजी खतरे की परवाह किए बिना श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह आतंकवादियों के मोर्चे के बिल्कुल नजदीक आ गए और उन्होंने आतंकवादियों पर हथगोले फैंके तथा देखा कि इस प्रक्रिया में एक आतंकवादी की पगड़ी उड़ गई है। अन्य दो कर्मियों के साथ श्री विवेक वैद एक बुलेट प्रूफ वाहन पर चढ़े, आतंकवादियों के बिल्कुल नजदीक तक चले गए और शेष बचे एक आतंकवादी को मार डाला। इस अभियान में दो आतंकवादी मारे गए। इस समूचे अभियान के बाद जब टुकड़ियां इकट्ठी होने की प्रक्रिया में थी तो उन पर फिर से पास के एक फार्म हाऊस से गोली चलाई गई। क्षेत्र को तुरन्त ही घेर लिया गया और जब तलाशी ली जा रही थी तो गेहूं की खड़ी फसल का लाभ उठाते हुए आतंकवादी गांव–फिलोके और धोतियां की ओर भागे। आतंकवादियों को उलझाने के लिए कमांडेंट (सी० सी० डी०) की एस्कार्ट पार्टी को लगाया गया, जिसमें हैड कांस्टेबल श्री महाबीर सिंह और अन्य कार्मिक शामिल थे। चूंकि आतंकवादी गेहूं की खड़ी फसल की आड़ में अच्छी तरह से छिपे हुए थे इसलिए पुलिस दल की गोलीबारी प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रही थी। अपने जीवन के प्रति गम्भीर खतरा उठाते हुए श्री महाबीर सिंह आतंकवादियों के मोर्चे की ओर रेंगते हुए बढ़े, और उन्होंने हथगोले फैंके जिससे आतंकवादी गम्भीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच श्री चौधरी भी, जो कि घटनास्थल पर पहुंच गए थे, रेंगते हुए आतंकवादियों के मोर्चे की ओर गए और लगभग 15 मिनट तक गोलीबारी करके उन्हें उलझाए रखा। श्री चौधरी की एस्कार्ट पार्टी के श्री सुभाष चन्द्र, नायक, श्री महाबीर सिंह, हैड कांस्टेबल के साथ आतंकवादियों के मोर्चे की ओर रेंगते हुए गए और आतंकवादियों के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर उन्होंने गोली चलाई और एक आतंकवादी को मार डाला।

इस समूचे अभियान/मुठभेड़ में कुल मिलाकर 6 आतंकवादी मारे गए जिनकी पहचान बाद में (1) परगट सिंह; (2) कुलदीप सिंह; (3) तरसेम सिंह सोहल; (4) पाल सिंह; (5) बलदेव सिंह भंड; और (6) गोपाल सिंह के रूप में की गई। एक 7.62 एस० एल० आर०, 6ए० के०–47 राईफलें, एक 338 रिवाल्वर, 1 जी० पी० एम० जी०, 2 स्टिक बम, ए० के० –47 की 10 मैगजीन, 7.62 की एक मैगजीन और 685 राउन्ड मृत आतंकवादियों के पास से बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री एच० आर० चौधरी, सहायक कमांडेंट विवेक वैद, पुलिस उपाधीक्षक; सोम प्रकाश, निरीक्षक; देवेन्द्र प्रसाद सिंह, निरीक्षक, महाबीर सिंह, हैड कांस्टेबल और सुभाष चन्द्र, नायक, 33 बटालियन, के० रि० पु० बल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15–4–1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 32–प्रेज 94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री रघुवीर सिंह (मरणोपरान्त)
नायक,
36वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

श्री सुरेन्द्र सिंह,
लांस नायक,
75वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 7.4.1992 को, श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन–तारन, को सूचना मिली कि खूंखार उग्रवादियों का एक गिरोह गांव खोजकीपुर, थाना–वीरोवाल, के क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), तरन–तारन, थाना प्रभारी, थाना वीरोवाल और पुलिस की अन्य टुकड़ियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र का घेरा डालें और उस क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी लें।

इस बीच, श्री अजीत सिंह ने दूसरी बटालियन, डोगरा रेजिमेंट, फतेहाबाद, के कमांडिंग आफिसर, कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, फतेहाबाद और पुलिस उप–अधीक्षक, गोइन्दवाल साहिब से सम्पर्क स्थापित किया और स्थिति से अवगत कराया। ये सभी अधिकारी अपने–अपने बल सहित घटना स्थल पर पहुंच गए। श्री अजीत सिंह ने गांव खोजकीपुर के बलविन्दर सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस का निरीक्षण किया। इस बीच, उन्हें पता लगा कि बलविंदर सिंह के फार्म हाउस में एक बंकर बना हुआ है जिसमें अत्याधुनिक शस्त्रों सहित एक सशस्त्र उग्रवादी छिपा हुआ है।

श्री अजीत सिंह ने बल को विभिन्न दलों में विभाजित कर दिया और उन्हें फार्म हाउस की विभिन्न दिशाओं में भेज दिया। श्री अजीत सिंह के नेतृत्व वाला दल एक बुलेट प्रूफ ट्रेक्टर पर सवार होकर फार्म हाउस की दिशा में आगे बढ़ा और उन्होंने

उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, परन्तु उग्रवादियों ने इसकी परवाह नहीं की। तब श्री अजीत सिंह अपने बन्दूकधारी, हैड कांस्टेबल सहित ट्रेक्टर से नीचे उतरे और फार्म हाउस की रसोई की छोटी दीवार के पीछे मोर्चा ले लिया । उन्होंने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए दोबारा से ललकारा परन्तु पुलिस कार्मिकों को देखते ही उग्रवादियों ने सर्वश्री अजीत सिंह और सतनाम सिंह, पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस बल ने भी अपने सर्विस शस्त्रों से जवाबी गोलियां चलायी। इसके बाद श्री अजीत सिंह और हैड कांस्टेबल श्री सतनाम सिंह ने उनके छिपने के स्थान पर हथगोले फैंके । हथगोले बंकर के छेद में से होकर अंदर गिरे और कुछ क्षणों के बाद हथगोले फट गए । बंकर में अत्यधिक धुंए और घुटन से बाहर आने पर मजबूर हो गया । वह बाहर निकला और उसने बच कर भागने की कोशिश की, पुलिस दलों ने भाग रहे आतंकवादी पर गोलियां चलाई । सर्वश्री अजीत सिंह, सतनाम सिंह हैड कांस्टेबल और अन्य पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के कारण भाग रहे आतंकवादी ने पशुओं का चारा रखने के एक स्थान के निकट मोर्चा संभाला और पुलिस दलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । चूंकि पुलिस बलों द्वारा की गई गोलीबारी प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रही थी अतः एक अग्रिम दल भेजने का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 36वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में नायक रघुबीर सिंह, लांस नायक सुरेन्द्र सिंह तथा छह अन्य कार्मिकों का एक दल बनाया गया और उसे आतंकवादी के समीप जाने और उसको समाप्त करने के लिए कहा गया। यह दल सम्पूर्ण स्थिति का तेजी से जायजा लेकर और इसके बाद निर्धारित रणनीति के अनुसार, अत्यधिक साहस के साथ और जोखिम की परवाह किए बगैर, आतंकवादियों की ओर आगे बढ़ा; जबकि नायक रघुबीर सिंह और लांस नायक सुरेन्द्र सिंह ने, जो दल की अग्रिम पंक्ति में थे, गोली चलाओ और आगे बढ़ो, रणनीति अपनाई और सारे समय आतंकवादी की ओर गोली चलाते हुए फार्म हाउस की दिशा में बढ़ते गए । जब यह दल फार्म हाउस के समीप पहुंचने वाला था, तभी छिपे हुए आतंकवादी ने आगे बढ़ रहे अग्रिम दल पर अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया और चूंकि नायक रघुबीर सिंह और लांस नायक सुरेन्द्र सिंह अग्रिम पंक्ति में थे, इसलिए आतंकवादी की गोलियों की प्रथम बौछार का वार उन पर हुआ । आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोलियां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की, 36वीं बटालियन, के नायक रघुबीर सिंह को लगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 75वीं बटालियन के लांस नायक सुरेन्द्र सिंह बुरी तरह से घायल हो गए ।

सर्व श्री अजीत सिंह और सतनाम सिंह, हैड—कांस्टेबल आसन्न जोखिम की परवाह किए बिना, रेंगते हुए उस स्थान की ओर बढ़े जिधर से आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चला रहा था । उन्होंने एक दम नजदीक से आतंकवादी पर गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप आतंकवादी घटना स्थल पर ही मारा गया, जिसकी पहचान जरनैल सिंह उर्फ जैला बूह के रूप में की गई । तलाशी लेने पर, मुठभेड़ स्थल से, 1 ए०के०—47 राईफल, की 3 मैगजीने, ए०के०—47 राईफल के 100 कारतूस तथा 40 खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रघुबीर सिंह, नायक और सुरेन्द्र सिंह, लांस नायक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7.4.1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 33—प्रेस/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पूसा राम,
कांस्टेबल,
93वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 23.5.92 को लगभग 0800 बजे एक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल, जिसमें 93वीं बटालियन का कांस्टेबल पूसा राम भी शामिल था, को गांव-फूला के क्षेत्र/खेतों में आतंकवादियों के छिपने के संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए फार्म हाउसों की तलाशी लेने का काम सौंपा गया था। जब तलाशी दल गांव-बेहड़ा की ओर आगे बढ़ रहा था तो उस गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के दाहिनी ओर स्थित एक फार्म हाउस उन्हें दिखाई पड़ा। दल के कमांडर ने अपने कर्मियों को फार्म हाउस के चारों ओर बनी दीवाल के साथ-साथ तैनात किया और वे कांस्टेबल पूसा राम के साथ उस के परिसर में घुसे । फार्म हाउस के सभी चार कमरे बन्द थे । जिससे संदेह उत्पन्न हो गया। कांस्टेबल पूसा राम के साथ दल के कमांडर युक्तिपूर्वक नजदीक पहुंचे और उन्होंने कमरे के दरवाजे के क्रमशः बाईं ओर दाहिनी पोजीशन लेली तथा दरवाजे को खटखटाया और उसे धक्का देकर खोल दिया तुरंत ही एक सशस्त्र आतंकवादी बाहर आया और उसने दल के कमांडर पर अपनी स्वचालित राइफल से गोलियां चलाई जिन्होंने तत्परता से झुक कर स्वयं को गोलियों से बचा लिया । कांस्टेबल पूसा राम, जो पास में ही था और एक 7.62

राइफल लिए हुए था लेकिन जिसे आतंकवादी द्वारा देख लिया गया था, ने दल के कमांडर को आतंकवादी द्वारा चलाई जाने वाली गोलियों के सामने देखकर बिना समय गंवाए और एक दुर्लभ तथा साहसिक कार्य करते हुए आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। घायल आतंकवादी ने एक और बर्स्ट कांस्टेबल पूसा राम की ओर झोंका जो त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए सामने की ओर झुक गया और गोलियों से बच गया तथा अपनी राइफल से उसने आतंकवादी के महत्वपूर्ण अंगों पर गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। मृत आतंकवादी की पहचान बाद में के० सी० एफ० स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल काबुल सिंह राड़ेवाल के रूप में की गई जो अनेक हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और जिसको पकड़ने के लिए 5.00 लाख रु० का नकद इनाम था। आतंकवादी की लाश के पास से कुछ हथियार एवं गोली-बारूद भी बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री पूसा राम, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23.5.1992 से दिया जाएगा।

गिरिश प्रधान,
निदेशक

सं० 34-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी बीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री प्रीतम दास,
कांस्टेबल,
73 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का बिवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

गांव बुटाले-खानपुर-शेरो बग्गा के क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर के० रि० पु० बल की दो टुकड़ियां 1-8-1991 को लगभग 1900 बजे क्षेत्र की गश्त की ड्यूटी पर लगाई गई। गश्ती दल के एक सदस्य श्री प्रीतम दास, कांस्टेबल ने, लगभग 5.30 बजे शाम के समय गांव-भूटाला से शेरों बग्गा जाने वाले लिंक रोड़ पर गश्त लगाते हुए एक सशस्त्र आतंकवादी को एक मोपेड मोटर साइकिल पर गांव-खानपुर की ओर से आते हुए देखा। चूंकि सड़क के किनारे पर ऊंची-ऊंची झाड़ियां थी इसलिए आतंकवादी उस समय तक गश्ती दल को नहीं देख पाया जब तक कि वह आमने-सामने नही आ गया। श्री प्रीतम दास, जोकि आगे चल रहे वाहन में, दल के अन्य सदस्यों के साथ थे, उतर गए और उन्होंने आतंकवादी को रुकने का इशारा किया। आतंकवादी ने अपनी मोपेड रोकी और नीचे उतरा लेकिन अचानक ही उसने अपनी माउजर पिस्टल से श्री प्रीतम दास पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप उनके जबड़े पर भारी चोट लगी। उसके बाद आतंकवादी सड़क के किनारे के खेत में कूद गया और पुलिस दल पर गोली चलाना जारी रखते हुए उसने खेतों से होकर भागकर बचकर निकल जाने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद श्री प्रीतम दास ने धैर्य नहीं खोया और आतंकवादी की गोलियों का सामना करते हुए वे सड़क के किनारे की झाड़ियों से होकर खेत के कोने की ओर बढ़े और उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाई जिससे वह बचकर नही भाग सका और उसे खेत में पोजीशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच, गश्ती दल के अन्य सदस्यों ने उस कट्टर आतंकवादी के चारों ओर घेरा डाल दिया। घायल होने के बावजूद श्री प्रीतम दास ने अपना मोर्चा संभाले रखा और आतंकवादी को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया जिसके फलस्वरूप आतंकवादी का अंत हुआ। मृत आतंकवादी की पहचान राम सिंह चहल-एक कुख्यात कट्टर आतंकवादी और बी० टी० एफ० के स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में की गई जिसके पास से एक .30 माउजर पिस्टल, जिन्दा कारतूसों सहित दो मैगजीन बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में श्री प्रीतम दास, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1-8-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 35-प्रेज 94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी बीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री धन्ना सिंह,
हैड कांस्टेबल,
70 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 8.11.1991 को अमृतसर-मिकाविन्ड सड़क पर उग्रवादियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कारवां पर घात लगाने के बाद पंजाब पुलिस के साथ इस यूनिट ने एक सहायक

कमांडेंट की कमान्ड के अधीन 12-11-91 को विशेष घेरा-बन्दी करने और छानबीन करने का अभियान चलाया। गांव सूर सिंह और सिसरेवाल के बीच घेरा बन्दी की गयी और क्षेत्र में 6.30 बजे घरों की छानबीन करने का अभियान चलाया गया। जब छानबीन की जा रही थी तो कुछ दूरी पर स्वचालित हथियारों से चलायी गयी गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। सम्पूर्ण बल तत्काल उस स्थान पर पहुंचा और पाया कि घातक और आधुनिक हथियारों से लैस तीन आतंकवादियों का स्थानीय पुलिस पीछा कर रही है। यह देखने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुमुक पहुंच गयी है, आतंकवादियों ने गन्ने के खेत में मोर्चा सम्भाल लिया जो चारों तरफ सरसों और धान के खेत से घिरा था और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलायीं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी के कम्पनी कमान्डर ने क्षेत्र को तत्काल घेर लिया और कुमुक मंगवायी। एक बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर मंगाया गया और इस पर बैठकर 5 पुलिस कार्मिक आतंकवादियों की तलाश में खेतों में घुसे लेकिन नाकामयाब होकर लौटे। यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की दुबारा तलाशी ली जाये जिसके लिए कुमुक के हैड-कांस्टेबल श्री धन्ना सिंह खेतों में जाने का खतरा मोल लेने के लिए आगे आए। श्री धन्ना सिंह ए० के० एम० के० 47 राईफल से लैस होकर बुलेट प्रुफ वाहन पर बैठे और गन्ने के खेत के दक्षिणी छोर से तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वे उत्तर-पश्चिमी किनारे पर पहुंचे, उन पर नजदीक से जी० पी० एम० जी० जैसे स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की गयी जो वाहन की विन्ड स्क्रीन और बाडी पर लगी। श्री धन्ना सिंह ने साहस नहीं छोड़ा और भारी गोली-बारी के बावजूद अत्यधिक दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्मिकों को आतंकवादी पर गोलियां चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने अपने ए० के० एम० के० 47 राईफल से आतंक-वादी पर गोलियां चलायीं उसे घटनास्थल पर ही मार डाला। ए० के० 47 राईफल से लैस दूसरे आतंकवादी ने श्री धन्ना सिंह पर अचानक गोली चलायी और पास के सरसों के खेत में भागने की कोशिश की परन्तु चौकस और सतर्क श्री धन्ना सिंह ने उसकी गतिविधियां देख ली थी और ड्राईवर को भाग रहे आतंक-वादी का पीछा करने का निर्देश दिया। उसने अपने कार्मिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया और अन्ततः वे उग्रवादी को मार गिराने में सफल हो गए। तथापि तीसरा आतंकवादी खेतों से होकर भागने में सफल हो गया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर दो शव बरामद हुए, बाद में जिनकी शिनाख्त अमृतसर के हरदेव सिंह भाम और परगट सिंह सखीरा के रूप में की गयी।

मृत आतंकवादियों से, एक ड्रम मैगजीन सहित एक जी०पी० एम० जी०, दो मैगजीनों सहित एक ए० के० 47 राईफल और 103 सक्रिय कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री धन्ना सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12-11-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 36-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री महेश्वर सिंह, (मरणोपरान्त)
नायक,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8-8-92 को, पुलिस स्टेशन तलवंडी साबू के अन्तर्गत गांव जगरांव तीरथ के संदिग्ध फार्म हाऊसों और घरों की तलाशी लेने/छापा मारने के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया। ब्यौरा बताने के बाद, पुलिस पार्टी तलाशी लेने के लिए रवाना हुई और लगभग 1245 बजे, जब पार्टी श्री बलवन्त सिंह के मकान के नजदीक पहुंची तो उस घर में छिपे कुछ आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/पुलिस पार्टियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट, जो पुलिस पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे, ने अपने कार्मिकों को उस घर को तत्काल घेरने का आदेश दिया। जब घेरा डाला जा रहा था तो अचानक एक उग्रवादी घर के पिछले दरवाजे से बाहर आया और पुलिस पार्टियों पर अपनी ए० के० 56 राईफल से गोलियां चलाईं और भागने की कोशिश की। इसके परिणाम-स्वरूप, श्री महेश्वर सिंह, नायक जो घर के पिछले दरवाजे के नज-दीक अन्य कमान्डों सहित, घेरा डाले हुए थे, भाग रहे उग्रवादी द्वारा चलायी गयी गोलियों से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। श्री महेश्वर सिंह, हालांकि गम्भीर रूप से जख्मी थे, ने साहस बटोरा और भाग रहे आतंकवादी को रोकने के लिए उस पर निशाना साधा और अपने अचूक निशाने से उसे घटनास्थल पर ही मारने में सफल हो गए, और अन्य पुलिस कार्मिकों का जीवन बचाया। मारे गए आतंकवादी की बाद में सुखपाल सिंह के रूप में शिनाख्त की गयी। अस्पताल पहुंचने पर श्री महेश्वर सिंह को मृत घोषित किया गया जबकि अन्य जख्मी कमांडो ने घटना-स्थल पर ही दम तोड़ दिया। मुठभेड़ के बारे में सूचना मिलने पर और कुमुक पहुंच गयी। घर के कमरे में छिपे अन्य आतंक-वादी पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। डेढ़ घंटे तक दोनों ओर से चली गोलीबारी प्रभावी सिद्ध नहीं हुई। कमरे की छत में छेद किए गए और कमरे के अन्दर हथगोले फैंके गए, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आतंक-वादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी। अब की तलाशी के

दौरान, दो शव बरामद हुए और बाद में उनकी पहचान बलदीप सिंह और मडडू सिंह के रूप में की गयी। मृतक से सक्रिय कारतूस की 3 मैगजीनों सहित एक ए० के० 47 राईफल सक्रिय राऊन्ड के साथ 9 एम० एम० मैगजीनों के साथ एक स्टेनगन, 5 सक्रिय कारतूसों के साथ एक माउजर पिस्तौल और पिस्तौल का एक खोल बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री महेश्वर सिंह, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है । तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8-8-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 37-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री प्रकाश सिंह, (मरणोपरान्त)
लांस नायक,
36वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एम० बोदरा,
हैड कांस्टेबल,
36 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29-6-92 को जलालाबाद गांव के श्री सरदारा सिंह और श्री कुन्दन सिंह के फार्म हाऊस के नजदीक मंड क्षेत्र में एक विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जलालाबाद से व्यास नदी के किनारे-किनारे फार्म हाउस की तरफ बढ़ेगा जबकि स्थानीय पुलिस बल गांव-बोतल खेरी से होते हुए फार्म हाऊस पर जाएगा। पुलिस दलों को सूचित किया गया कि यह देखने पर कि सुरक्षा बल पहुंच गए हैं, शस्त्रों/गोलाबारूद से लैस 5-6 उग्रवादी नजदीक के मंड क्षेत्र में भाग गए हैं। उसके बाद पुलिस पार्टी को विस्तृत रूप से ब्यौरा देने के बाद युक्तिपूर्ण तरीके से मंड क्षेत्र की तलाशी लेने का निर्णय लिया गया। जब तलाशी दल व्यास नदी से लगभग 15-20 गज की दूरी पर था तो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोलियां चलायीं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडर ने अपनी पार्टी को मोर्चा सम्भालने और जवाबी गोलीबारी करने का निर्देश दिया । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी के लांस नायक प्रकाश सिंह ने सुरक्षित स्थान पर मोर्चा लिया और दूसरे नायक के साथ, आतंकवादी पर गोलियां चलायीं । पुलिस पार्टी द्वारा की गयी भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप लगभग एक घंटे तक चली इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए । चूंकि अंधेरा होने लगा था और सरकन्डे के खेत में और उग्रवादी मौजूद थे, अतः रात के दौरान क्षेत्र का घेराव करने के लिए और दिन में तलाशी जारी रखने के लिए और कुमुक मंगाने का निर्णय लिया गया । कुमुक बल के पहुंचने और फिर घेरा डालने पर तलाशी दल को मारे आतंकवादियों के शवों के साथ युक्तिपूर्ण ढंग से वहां से पीछे हटने का आदेश दिया गया। पुलिस दल केवल एक शव को ही बाहर निकालने में कामयाब हुआ क्योंकि अन्य को बरामद करना सम्भव नहीं था और यह भी सूचित किया गया कि लांस नायक प्रकाश सिंह अपनी एस० एल० आर० के साथ लापता है। अगली सुबह अर्थात् 30-6-92 को क्षेत्र की तलाशी लेने पर दूसरे आतंकवादी का शव और लांस नायक प्रकाश सिंह, जो आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारा गया था, का शव उसकी एस० एल० आर० के साथ बरामद हुआ। लांस नायक प्रकाश सिंह के शरीर में उसकी छाती और चेहरे पर गोलियों के जख्म थे और जख्मों के कारण उनका देहान्त हुआ था । आतंकवादी लांस नायक प्रकाश सिंह की गोली से मारा गया था।

चूंकि कुछ और आतंकवादी क्षेत्र में अभी भी छिपे हुए थे इसलिए अभियान जारी रखा गया । श्री एम० बोदरा सहित तलाशी दल जब क्षेत्र की तलाशी ले रहा था तो नदी के किनारे घने सरकन्डों के बीच में छिपे आतंकवादियों ने जी० पी० एम०जी० और ए० के० 47 राईफलों से उन पर गोलियां चलायीं। तलाशी दल को तत्काल मोर्चा सम्भालने और गोलियों का जवाब देने का आदेश दिया गया। इस बीच श्री बोदरा ने ए० के० 47 राईफलों से लैस दो आतंकवादियों को अपने सामने पाया । श्री बोदरा अपने जीवन की परवाह न करते हुए, रेंगते हुए आतंकवादियों की तरफ बढ़े, गोलियां चलायीं और घटनास्थल पर ही दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। दो दिन तक चले इस अभियान के फलस्वरूप चार कुख्यात आतंकवादी, नामतः (1) बक्शी सिंह, (2) भलकीत सिंह, (3) हरिन्दर सिंह और (4) लडडू बल झोरा, मारे गए, जिनसे तीन ए० के० 47 राईफलें, एक 12 बोर की डी० बी० बी० एल० गन, जी० पी० एम० जी० के ड्रम खाक्स और भारी मात्रा में अप्रयुक्त/प्रयुक्त ए० के० 47 कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश सिंह, लांस नायक, और श्री एम० बोदरा, हैड कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29-6-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1994

सं० 38-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

स्वर्गीय श्री एम० ए० देशमुख, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री हरज्ञान सिंह,
उप निरीक्षक,
73वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

थाना मेहता के अन्तर्गत डेरीवाल-जोधांगिरी गांव के क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस द्वारा 15-8-1991 की रात को दो घात लगायी गयी। श्री हरज्ञान सिंह, उप-निरीक्षक (जिन्होंने अब 1-11-1991 से सेवा-निवृत्ति ले ली है), कांस्टेबल एम० ए० देशमुख के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी और स्थानीय पुलिस की एक टुकड़ी ने डेरीवाल-जोधांगिरी के बीच केनाल पुल पर 8.30 बजे अपराह्न से घात लगायी। लगभग 23.20 बजे जब घात लगाने वाली पार्टियों ने अपना मोर्चा छोड़ा और गांव डेरीवाल को जाने वाले कच्चे मार्ग पर जाना प्रारम्भ किया तो उन्होंने डेरीवाल गांव की तरफ से एक मोटर साईकिल को आते हुए देखा जिस पर दो संदिग्ध व्यक्ति बैठे थे। श्री हरज्ञान सिंह, उप-निरीक्षक, जो घात लगाने वाली पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, ने कच्चे रास्ते पर घात लगाने का निर्णय लिया और जैसे ही मोटर साईकिल उनके नजदीक आयी, कांस्टेबल एम० ए० देशमुख ने दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारा। दोनो व्यक्ति सशस्त्र आतंकवादी थे, जिन्होंने ललकारे जाने पर तत्काल अपनी मोटर-साईकिल छोड़ दी और कांस्टेबल देशमुख और घात मोर्चे पर भारी गोलीबारी की। कांस्टेबल देशमुख तत्काल झुक गए और अपने हथियार से गोली चलायी, जिससे एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। दूसरा आतंकवादी सड़क के किनारे के खेत में कूद पड़ा और अपनी ए० के० -47 राईफल से लगातार गोलियां चलाता रहा। श्री हरज्ञान सिंह जो श्री देशमुख के साथ थे, भारी गोलीबारी से विचलित नही हुए और आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे और साथियों को भी आतंकवादियों पर गोलियां चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी बीच कांस्टेबल देशमुख, अपने जीवन को खतरे में डालकर सड़क के किनारे की तरफ आगे बढ़े और नजदीक से आतंकवादी पर गोलियां चलायी। कांस्टेबल देशमुख के चेहरे पर जो नजदीक से गोलियां चला रहे थे दुर्भाग्य से आतंकवादी द्वारा चलायी गयी एक गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। श्री हरज्ञान सिंह, जो नजदीक ही थे ने अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर जख्मी कांस्टेबल को तत्काल वहां से हटाया और अन्ततः आतंकवादी को मारने में सफल हो गया। मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त बाद में दिलबाग सिंह और विरसा सिंह फोजी के रूप में की गयी जो कुख्यात के० सी० एफ० (पंजबार) से संबंधित थे और अनेक हत्याओं और अपहरण इत्यादि में अन्तर्ग्रस्त थे। मारे गए आतंकवादी से एक ए० के०-47 राईफल, गोला बारूद सहित एक एस० एल० आर० और हीरो होंडा मोटर साईकिल बरामद हुई। कांस्टेबल देशमुख ने जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में (स्व०) श्री एम० ए० देशमुख, कांस्टेबल और श्री हरज्ञान सिंह, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 15-8-1991 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1994

सं० 39-प्रेज/94— राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री हरीदास लिण्डे,
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 22-2-1991 को करीब 1800 बजे श्री हरीदास लिण्डे, कांस्टेबल, सहित जहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक गश्ती दल मुच्छल की तरफ से रायपुर खुर्द की ओर बढ़ रहा था तो उन्होंने सामने से तीन सशस्त्र आतंकवादियों को आते हुए देखा । गश्ती दल को देखते ही आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोली-बारी करनी शुरु कर दी । वे अपनी मोटर साईकिल वही छोड़ गए और गेहूं के खुले खेतों में से होकर भागने लगे। पुलिस दल ने तुरन्त जवाबी गोली-बारी की और गेहूं के खेत में भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया। गश्ती दल दो दलों में बंट गया। उनमें से एक दल में कांस्टेबल हरीदास थे, जिन्होंने उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया, जो लगातार गोली-बारी कर रहे थे। काफी दूर तक पीछा करने के बाद, कांस्टेबल हरीदास ने उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, जिसकी जिन्दल जील सिंह के रूप में पहचान की गई तथा जो बाबा

बकाला क्षेत्र में बहुत सी हत्याएं करने के लिए जिम्मेवार था कांस्टेबल हरीदास ने अपने जीवन को एक बार फिर से जोखिम में डालते हुए दूसरे भागते हुए आतंकवादी का पीछा करना जारी रखा और आतंकवादियों को घेरने के लिए दल के सदस्यों का मार्ग-दर्शन किया और इस प्रकार से आतंकवादियों को बचकर भागने नहीं दिया। आतंकवादिओं को निकट से घेर लेने के बाद कांस्टेबल लिण्डे तथा अन्य पुलिस कार्मिकों ने आतंकवादियों को मुठभेड़ में उलझाए रखा और फलस्वरूप शेष दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिनकी गुरमेज सिंह और जगदीप सिंह उर्फ जगजीत सिंह के रूप में पहचान की गई दो मैगजीनों और 80 अनप्रयुक्त कारतूसों सहित एक ए० के०-47 राइफल, अनप्रयुक्त कारतूसों सहित दो .315 राइफलें तथा एक टी०बी०एस० सुजूकी मोटर साईकिल उनसे बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री हरीदास लिण्डे, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)) के अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22-2-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1994

सं० 40-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री रनपाल सिंह,
उप-कमान्डेन्ट,
47वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

श्री ओम प्रकाश,
कांस्टेबल,
47वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 12-12-1991 को श्री रनपाल सिंह, उप-कमान्डेन्ट, कांस्टेबल ओम प्रकाश सहित एक पलाटून के साथ गांव-अबूरा, जिला बारामुल्ला जम्मू और कश्मीर में एक पूर्व-नियोजित अभियान के लिए जा रहे थे। पुलिस दल गांव में पहुंचने वाला ही था कि लगभग 50 से 60 उग्रवादियों ने तीन अलग-अलग दिशाओं से पुलिस पार्टी पर घात लगायी और जी०पी०एम०जी०, एल० एम० जी०, ए० के०-47 राईफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की और नजदीक के मकानों और खुले खेतों से हथगोले फैंके। उग्रवादियों की सतत् और प्रभावकारी गोलीबारी से श्री रंनपाल सिंह और उसकी पार्टी को आगे बढ़ना असम्भव हो गया। श्री रनपाल सिंह ने अपनी आधी पार्टी को, एल० एम० जी० 2 मोटार और जी० एफ० राईफलों का प्रयोग करके उसे मोर्चे पर उग्रवादियों को उलझाऐ रखने का निर्देश दिया। श्री रनपाल सिंह अपने ग्रुप के ओम प्रकाश कांस्टेबल के साथ दूसरी तरफ को मुड़े और 3 कुख्यात उग्रवादियों के एक पृथक ग्रुप को उलझाये रखा जो नजदीक के खेतों से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। श्री रनपाल सिंह ने कांस्टेबल ओम प्रकाश को अपनी एल० एम० जी० से इस ग्रुप पर गोलीबारी करने का निदेश दिया जबकि उन्होंने स्वयं अपनी राईफल से उग्रवादियों के एक ग्रुप को उलझाये रखा । साथ ही साथ श्री रनपाल सिंह और ओम प्रकाश रेंगते हुए उस स्थान की ओर बढ़े जहां पर 3 उग्रवादियों ने मोर्चा सम्भाला हुआ था। पुलिस पार्टी को अपने नजदीक देखकर उग्रवादी हैरान और भौचक्के हो गए। श्री रनपाल सिंह और श्री ओम प्रकाश पर हथगोले फैंकते हुए उन्होंने आतंकित हो कर भागना शुरू कर दिया । श्री रनपाल और श्री ओम प्रकाश हथगोले से जख्मी हो गए और उनके शरीर में बहुत अधिक खून बहने लगा । श्री रनपाल सिंह और श्री ओम प्रकाश जख्मी होने के बावजूद हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उग्रवादी गोलियां चलाते रहे । कांस्टेबल ओम प्रकाश ने सही निशाना लगाया और भाग रहे एक उग्रवादी को मार गिराया जबकि श्री रनपाल सिंह ने दूसरे उग्रवादी को मार गिराया लेकिन तीसरा उग्रवादी जख्मी होने के बावजूद भागने में सफल हो गया । मारे गए दो आतंकवादियों की शिनाख्त फिरोज अहमद और गुलाम मोहम्मद के रूप में की गयी । मृतकों से चार मेगजीन-सहित 2 ए० के० 56 राईफल, दो हथगोले और एक छोटा वाकी-टाकी टाईप वायरलैस सैट और एक महत्वपूर्ण डायरी जिसमें महत्वपूर्ण सूचना थी, भी बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रनपाल सिंह, उप-कमान्डेन्ट और ओम प्रकाश कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत बीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12-12-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 41-प्रेज-94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री वी० पी० सिंह,
उप-कमांडेन्ट,
91 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम अवतार सिंह,
नायक
91 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरेश सिंह,
हैड कांस्टेबल,
91 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री परगट सिंह,
कांस्टेबल,
91 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 8-6-1992 को लगभग 05.00 बजे केन्द्रीय रिजर्व पु० बल और पंजाब पुलिस बल एक संयुक्त तलाशी अभियान गांव का कांडियाला में चलाया जा रहा था तो एक सूचना प्राप्त हुई कि अपने साथियों के साथ खूंखार आतंकवादी सुरजीत सिंह बेहली, काका कांडियाला गांव से 4 कि०मी० की दूरी पर स्थित गांव बेहली में भूतपूर्व विधायक श्री मनजिन्दर सिंह के घर में छिपा हुआ है आगे पूछताछ करने पर साहब सिंह नामक एक मिस्त्री से मालूम हुआ कि उसने उक्त मकान के प्रथम तल पर एक बंकर बनाया है। उपर्युक्त जानकारी मिलने पर श्री वी० पी० सिंह, उप कमान्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस बल के साथ गांव की ओर बढ़े। गांव की घेरेबंदी के बाद अन्य अधिकारियों और कर्मियों के साथ श्री वी०पी० सिंह श्री मनजिंदर सिंह के मकान में घुसे जोकि एक व्यक्त हवेली जैसी दिखाई दे रही थी; साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि श्री मनजिन्दर सिंह पिछले दो सालों से उस मकान में नहीं रह रहे थे। मकान की घेराबंदी प्रभावशाली ढंग से कर के उसकी तलाशी ली गई लेकिन भूतल के कमरों से कुछ बरामद नहीं हुआ।

इसके बाद जब पुलिस दल प्रथम तल के कमरों की तलाशी ले रहा था तो आतंकवादियों की एक टुकड़ी ने, जोकि बंकर में छिपे हुए थे, बंकर की गुप्त खिड़की से होकर जी० पी० एम० जी० और अन्य स्वचालित हथियारों से अचानक भारी गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी दलों ने तुरंत ही सीढ़ियों में और छत के ऊपर मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी की लेकिन आतंकवादियों द्वारा की गई प्रारंभिक गोलीबारी में पंजाब पुलिस के दो कार्मिक मारे गए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को गोलियां लगी। प्रथम तल पर गोली के लिए अनुकूल स्थिति में पहुंचने के लिए आतंकवादियों ने छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बढ़ने के कई प्रयास किए, लेकिन पुलिस दल द्वारा की गई प्रभावशाली जवाबी गोलीबारी से बचकर भाग निकलने के उनके सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। सर्वश्री सुरेश सिंह, हैड कांस्टेबल राम अवतार सिंह, नायक और परगट सिंह कांस्टेबल के साथ वी० पी० सिंह स्वयं छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर मोर्चा जमाकर बैठे क्योंकि यह एक अत्यंत संवेदनशील जगह थी और आतंकवादियों पर प्रभावकारी रूप से गोली चलाने के लिए अत्यंत अनुकूल थी। लगभग 12.00 बजे सुरजीत सिंह बेहली, बी० टी० एफ० के० (मनोचहल) का उप प्रमुख और मदन सिंह मद्दी अचानक सीढ़ियों पर प्रकट हुए और जी० पी०एम०जी० तथा ए० के०-47 राईफलों से गोलियां चलाते हुए ऊपर बढ़ने लगे और इन्होंने छत के ऊपर पहुंचने की कोशिश की। उनके प्रयासों को सर्वश्री वी० पी० सिंह, सुरेश सिंह, राम अवतार सिंह और परगट सिंह ने नाकाम कर दिया, जिन्होंने आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। दोनों आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए श्री वी० पी० सिंह ने सीढ़ियों में एक हथगोला फेंका जिसके परिणामस्वरूप दोनों आतंकवादी मारे गए। इस मौके पर काका कांडियाला गांव में तनात और कुमुक तथा सेना की एक बटालियन भी गांव में पहुंच गई जिन्हें गांव की घेराबन्दी को मजबूत बनाने के लिए तैनात कर दिया गया। पूरी रात दोनों ओर गोलियां चलती रही जिसमें सेना का एक सिपाही मारा गया लेकिन आतंकवादियों द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी के बावजूद सर्वश्री वी० पी० सिंह, सुरेश सिंह, राम अवतार सिंह और परगट सिंह ने साहस नहीं खोया और सीढ़ियों को कवर करते हुए अपनी जगह डटे रहे तथा आतंकवादियों पर गोली चलाते रहे। अगले दिन 9-6-1992 की प्रातः ही सर्वश्री सुरेश सिंह, राम अवतार सिंह और परगट सिंह के साथ श्री वी० पी० सिंह ने दो स्थानों पर छत पर छेद किए और चार हथगोले अन्दर फैंके जिसके परिणामस्वरूप बाकी बचे सात आतंकवादी मारे गए। गोलीबारी के इस आदान-प्रदान में श्री परगट सिंह, कांस्टेबल के बाएं हाथ की तर्जनी और बीच की ऊंगलियां गोली लगने से घायल हो गई। एक या दो आतंकवादी जो अभी भी जिंदा थे सुरक्षा बलों पर छिट-पुट गोलियां चला रहे थे। इन आतंकवादियों को समाप्त करने के उद्देश्य से, छत के ऊपर मौजूदा कार्मिकों को नीचे आने का निदेश दिया गया जिसके बाद सेना द्वारा स्वचालित हथियारों एवं राकेट द्वारा भारी गोलीबारी की गई जिसने बाकी आतंकवादियों को शान्त कर दिया। इस मुठभेड़ में, जो लगभग 24 घन्टे चली, नौ आतंकवादियों की मौत हुई। इनके नाम हैं: सुरजीत सिंह—उर्फ सिपाही सिंह, मदन सिंह, सकत्तर सिंह, निरंजन सिंह, हरबंस सिंह, लखविंदर सिंह, करतार सिंह, अजीत सिंह और गुरदीप सिंह, जिनके कब्जे

से 3 ड्रम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी०, तीन मैगजीन सहित एक ए०के० 74 राइफल, तीन मैगजीन सहित तीन ए०के० 47 राइफलें, एक सी–3 राइफल, एक एम० एल० आर०, एक माउजर पिस्टल और एक 38 रिवाल्वर तथा भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री वी० पी० सिंह, उप कमांडेंट राम अवतार सिंह, नायक; सुरेश सिंह हैड कांस्टेबल तथा परगट सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8–6–1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं०42–प्रेज/94—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री वी० डी० टोकस,
कमांडेंट,
47 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री टी० एस० नेगी,
उप कमांडेंट,
47 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री श्री भगवान,
कांस्टेबल,
47 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री संजीव कुमार,
कांस्टेबल,
47 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 3–2–1992 को जब श्री वी० डी० टोकस, कमांडेंट अपनी यूनिट की 5 कम्पनियों, जिनमें श्री टी० एस० नेगी, उप कमांडेंट, कांस्टेबल श्री भगवान और संजीव कुमार शामिल थे, जिला बारा मूला के गांव ओदाना, ग्रेन कमनपुरा और पारहासपुरा को घेराबन्दी, तलाशी के विशेष अभियान पर थे। उग्रवादियों द्वारा उन पर स्वचालित हथियारों से भीषण गोलीबारी की गई। अर्ध सैनिक बलों के जवानों ने जवाब में गोलियां चलाई और घेरा तोड़ने के उग्रवादियों के प्रयासों को विफल कर दिया। उग्रवादियों को जब बच कर भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वे गांव के एक घर में छिप गये।

उग्रवादियों की संख्या और उनके पास उपलब्ध गोली बारी की क्षमता का मूल्यांकन करके और यह सुनिश्चित करते हुए कि पुलिस कार्मिकों को अधिक नुकसान न हो श्री टोकस ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिये एक कमान्डो दल का गठन किया और उसे गांव की तलाशी लेने का निर्देश दिया। पुलिस दल जैसे ही गाँव ओदाना के श्री गुलाम रसूल नामक व्यक्ति के घर की ओर पहुंचा तो पुलिस दल पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोली बारी की गई। सैनिकों ने तुरन्त घर को घेर लिया और रक्षात्मक मोर्चा संभाला तथा संयम पूर्ण ढंग से गोली बारी करके उग्रवादियों को उनहाये रखा ताकि निर्दोष नागरिक हताहत न हो। गम्भीर और जोखिम पूर्ण स्थिति को देखते हुए, श्री टोकस ने स्थिति का जायजा लिया और एक सहायक कदम के रूप में, वे श्री नेगी, उप कमांडेंट, कांस्टेबल श्री भगवान और संजीव कुमार के साथ घर के पिछले द्वार को तोड़कर घर के अन्दर घुस गये, जिससे उग्रवादी भौचक्के हो एग और हैरानी में पड़ गये क्योंकि बाहरी घेरे जवानों ने गोलियां चलाकर उनका ध्यान बंटाने के लिये व्यस्त रखा था। उग्रवादियों ने रक्षात्मक मोर्चा संभाला और श्री टोकस और उनके दल पर गोलियां चलाई जो पिछले दरवाजे से घुस आये थे। श्री टोकस ने भी श्री नेगी, श्री भगवान और संजीव कुमार के साथ मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों को आत्म–समर्पण करने के लिये ललकारा। उग्रवादियों ने श्री टोकस की चेतावनी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, और पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे। स्थिति को काफी गम्भीर देखते हुए श्री टोकस ने, श्री नेगी, और कांस्टेबल श्री भगवान और कांस्टेबल श्री संजीव के साथ अत्यन्त कठोर निर्णय लिया और उग्रवादियों को ललकारते हुए उनके मोर्चे की तरफ लपके और वीरता पूर्ण ढंग से उन पर झपट पड़े और सभी नो खूंखार उग्रवादियों को पकड़ लिया जिनमें दो एरिया कमांडर और एक जिला मीर शामिल था। उग्रवादियों से मैगजीन सहित तीन ए० के० 56 राइफलें तथा उसके 99 राउण्ड गोला बारूद सहित 9 कि० मी० की दो पिस्तौल, मैगजीन सहित .32 बोर की पिस्तौल, दो हथगोले तथा एक बम बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री वी० डी० टोकस, कमांडेंट, टी० एस० नेगी, उप कमांडेंट, श्री भगवान, कांस्टेबल और संजीव कुमार कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के लिये 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं। तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3–2–1992 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक,

सं० 43-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री यू० के० नयाल,
सहायक कमांडेंट,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12/13 फरवरी, 1991 के बीच की रात को कुपवाड़ा के चलगुंडगांव में कुछ कट्टर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट श्री उमेश कुमार नयाल को, विशेष गश्ती दल का नेतृत्व करने का कार्यभार सौंपा गया । श्री नयाल की कमान में एक सूबेदार इंस्पैक्टर और 24 अन्य पदाधिकारियों वाला एक दल लगभग 2230 बजे बटालियन मुख्यालय से जलगुंड गांव के इलाके की ओर चल पड़ा । जब यह दल, रेजीपुरा पुल के नजदीक पहुंचा तो रेजीपुरा पुल से जिलाधीश कार्यालय वाले पुल तक के क्षेत्र में घात लगा रहे आतंकवादियों द्वारा उस दल पर गोली चलाई गई । आतंकवादियों द्वारा गश्ती दल पर असाल्ट राईफलों से भारी मात्रा में गोलीबारी की गई । ऐसी नाजुक स्थिति में श्री नयाल ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी टुकड़ी को सुनियंत्रण में रखकर अति उत्तम नेतृत्व का परिचय दिया और आतंकवादियों पर गोलीबारी करते हुए घात स्थल पर धावा बोला । तथापि आतंकवादियों का हमला जारी रहा । श्री नयाल ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, अपने एक जवान की एल० एम० जी० लेकर स्वयं घात लगाते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े । श्री नयाल के इस साहसिक कार्य के परिणामस्वरूप हिजबुल मुजाहीदीन से संबंधित 4 कट्टर आतंकवादी मारे गए । तथापि अन्य आतंकवादी पीछे हट गए और अंधेरे की आड़ में भाग निकले और वहां भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छोड़ गए । बाद में, मारे गए आतंकवादियों की, अब्दुल अहमद तन्त्रेय, बशीर अहमद, शौकत अली और चीफ एरिया कमांडर असदुल्लाह के रूप में शिनाखत की गई । तलाशी के दौरान घात स्थल से दो यू० एम० जी०, 1 राकेट लांचर, 9 ए० के० 47 राइफलें, 2 नाइट साइट यू० एम० जी०, 4 रोकेट, 7 हथगोले और भारी मात्रा में गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री नयाल, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 44-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रघुबीर सिंह,
निरीक्षक,
76 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

दिनांक 15-8-1991 को लगभग 0730 बजे उग्रवादियों के (500-600) ने, एस० बी० आई० टाऊन हाल, माईक्रोवेव स्टेशन और डिग्री कालेज, सोपोर स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर साथ-साथ हमला किया । उन्होंने चौकियों के इर्द-गिर्द उन सभी भवनों और मकानों पर कब्जा किया हुआ था जिन्हें उग्रवादियों के निर्देशों के अन्तर्गत लोगों ने खाली कर दिया था । उग्रवादियों ने सभी चौकियों पर मशीनगन, छोटे शस्त्र, रोकेट और हथगोले भारी मात्रा में रखे । उग्रवादियों न एस० बी० आई० स्थित पलाटून चौकी को विध्वंशकारी हमले के लिए चुना और पलाटून पर सांघातिक हमला किया लगभग 10-00 बजे, एस० बी० आई० के सामने के बंकर पर तैनात 5 कार्मिक, गोलियों और हथगोलों के टुकड़ों से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । चौकी के प्रभारी ने, जख्मी कार्मिकों को तत्काल ले जाने और चौकी पर न दबाव को कम करने के लिए कुमुक भेजने का अनुरोध किया ।

सीमा सुरक्षा बल की अन्य चौकियों और एस० बी० आई० चौकी को जाने वाले सभी रास्तों पर इतनी अधिक गोलीबारी हो रही थी कि कुमुक/बचाव दल का आगे बढ़ना लगभग असंभव था । इस अत्यन्त जोखिम भरे कार्य के लिए रघुबीर सिंह, निरीक्षक आगे आये, और उग्रवादियों का सफाया करते हुए और स्ट्रीट-फाइटिंग में उन्हें पराजित करते हुए वाधा-भाटपोरा पत्र की गलियों से अपने दल को ले गए । जब श्री रघुबीर सिंह अपने दल के आगे चल रहे थे तो अचानक, विपरीत दिशा में जा रहे पांच उग्रवादियों के एक ग्रुप के सामने आ गए । उग्रवादियों ने रघुबीर सिंह, निरीक्षक और उसके दल पर गोलियां चलायीं श्री रघुबीर सिंह ने अदम्य साहस और प्रशंसनीय बुद्धिमत्ता से अपनी ए० के०-47 राइफल से गोलियां चलायीं और सभी पांचों उग्रवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया ।

कांस्टेबल, योगेश कुमार यादव ने भी, एस० बी० आई० चौकी में सीमा सुरक्षा बल के घायल कार्मिकों को निकालने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। एस० बी० आई० चौकी को बुलटप्रूफ वाहन भेजे गए, जिन पर चौकी के सामने भारी गोलीबारी की गयी। उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी अधिक प्रभावकारी थी कि बुलटप्रूफ वाहनों में बैठे कार्मिक बाहर नहीं आ सके लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए कांस्टेबल यादव गम्भीर खतरे के बावजूद वाहन से बाहर कूद पड़े और जख्मी कार्मिकों को उठाने के लिए उन्होंने बंकर में छलांग लगा दी। इस कार्रवाई में उनके सिर पर एक गोली लगी और वे घटनास्थल पर ही मारे गए।

कांस्टेबल, देवेन्द्र सिंह, जो० एस० बी० आई० चौकी के बंकर में थे, चारों तरफ से हो रही गोलियों की बौछार की बिल्कुल परवाह न करते हुए अपनी एल० एम० जी० से उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें दूर रखा। लगभग 10.00 बजे उग्रवादियों ने एक हथगोला फैंका, जो बंकर के अन्दर गिरा, जिससे पलाटून कमान्डर और बंकर के अन्दर तैनात तीन अन्य कार्मिक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। इस गम्भीर विपत्ती के बावजूद, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह ने साहस नही छोड़ा और अत्याधिक धैर्य का परिचय दिया, उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें स्थिति का फायदा नहीं उठाने दिया। कुछ समय बाद उनके सिर पर एक उग्रवादी की गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। कुमुक पहुंचने के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां 16-8-91 को उनकी मृत्यु हो गयी। इस मुठभेड़ में गोलीबारी के दौरान कुल 9 उग्रवादी मारे गए जिनमें से 5 उग्रवादी रघुबीर सिंह, निरीक्षक द्वारा मारे गए। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के कुल 9 कार्मिक गोली लगने से जख्मी हुए और दो कांस्टेबल मारे गए।

इस मुठभेड़ में रघुबीर सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15-8-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 45-प्रेज 94—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री याद राम,
उप-निरीक्षक,
161वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल,

श्री प्रेम लाल,
कांस्टेबल,
161वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

उप-निरीक्षक याद राम और उसकी प्लाटून (कांस्टेबल प्रेम लाल सहित), उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 4, 5 मई, 1992 को किए गए संयुक्त अभियान का एक हिस्सा थी। प्लाटून, रिजर्व बल का एक हिस्सा थी और बरिया मुजाहल्ला में स्थित थी। उत्तर प्रदेश पुलिस गुज्जर झाला के नजदीक थी, उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई उनमें से एक को मार दिया। तथापि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल कृष्णा उपाध्याय को जख्मी करने के बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए।

5 मई, 1992 को लगभग 0600 बजे, याद राम उप-निरीक्षक के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल प्लाटून को जंगल की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया। याद राम, उप-निरीक्षक और उसके दल ने वन क्षेत्र में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देख और ललकारने पर उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से दल पर गोलियां चलायी। इस अचानक हमले से विचलित न होते हुए, याद राम, उप-निरीक्षक और प्रेमलाल कांस्टेबल दृढ़ निश्चय के साथ और अपनी व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए रेंगते हुए आतंकवादियों की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने शस्त्रों से अचूक गोलीबारी करके उग्रवादियों को प्रभावकारी ढंग से उलझाया। आतंकवादियों ने अपनी स्थिति बदली और सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर दूसरी बार हमला किया। याद राम, उप-निरीक्षक और प्रेम लाल, कांस्टेबल चमत्कारी रूप से बच गये। एक घंटे तक गोलीबारी चलती रही। अचानक एक चीख सुनाई दी और आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी। क्षेत्र की तलाशी लेने पर गोलियों से छलनी एक आतंकवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त बाद में यदुवेन्द्र सिंह उर्फ यादू एक कुख्यात आतंकवादी के रूप में की गयी। उसके सिर पर 40,000 रुपये का इनाम था। तलाशी के दौरान मृतक आतंकवादी से एक ·455 रिवाल्वर दोनाली स्काट, एक हथगोला एक स्टीम ग्रेनेड, बड़ी संख्या में सक्रीय खाली कारतूस, 46,000 रुपये की भारतीय मुद्रा और अफीम और स्मेक का एक पैकेट बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री याद राम, उप-निरीक्षक और प्रेम लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा

फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मई, 1992 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 46-प्रेज 94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सूबे सिंह,
नायक,
36वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

स्थानीय सैनिक गठन (फार्मेशन) से एक सूचना प्राप्त हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन के 10 आतंकवादियों का एक दल सीमा सुरक्षा बल की 36वीं बटालियन के प्रचालन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नियंत्रण रेखा को पार कर रहा है । इस पर सीमा सुरक्षा बल की सभी चौकियों को सतर्क कर दिया गया ।

12/13 सितम्बर, 1991 के बीच की रात में करीब 0500 बजे, चंदन खाल चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के सूबेदार द्वारा, नायक सूबे सिंह और एक कांस्टेबल सहित, घात लगाई गई । उन्होंने, पाकिस्तान की ओर से घात-स्थल की ओर आ रहे शस्त्रों से लैस 15 आतंकवादियों की गतिविधि को देखा । घात दल ने आतंकवादियों को ललकारा जिस पर आतंकवादियों ने घात दल पर गोलियां चलाईं । घात दल ने आत्म-रक्षा ब जवाबी गोलियां चलाईं । उनमें से कुछ आतंकवादियों को भागते हुए देखा गया, जिन्हें नायक सूब सिंह द्वारा फिर से ललकारा गया । अपने साहसपूर्ण कार्य में उन्होंने, आतंकवादियों की गोली के सामने होने के बावजूद तथा अपनी जान की परवाह किए बिना साहसिकतापूर्ण ढंग से आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं और उनका मुंह बन्द कर दिया।

उसके बाद एक सूबेदार के अधीन सुव्यस्थित तलाशी अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान नायक पांडेय ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और सशस्त्र आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। हथियार और गोला बारूद सहित तीन आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया । तलाशी के दौरान पांच आतंकवादियों के शव बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सूबे सिंह नायक ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अनर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 47-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री पुरूषोत्तम सिंह धीमन,
उप-कमांडेंट,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री गुरदयाल सिंह
सूबेदार,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 को सूचना प्राप्त हुई कि उग्रवादी लिटटर के क्षेत्र में एकत्र हो रहे हैं । एक विशेष घेराबंदी और छापा मारने की योजना बनायी गयी । बल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया गया । दो ग्रुपों ने गांव को घेरा और श्री पी० एस० धीमन, सहायक आयुक्त (अब उप-आयुक्त) के नेतृत्व में तीसरा ग्रुप सूबेदार गुरदयाल सिंह और अन्य कार्मिकों के साथ छिपने के संदिग्ध स्थान पर छापा मारने के लिए आगे बढ़ा । सूबेदार गुरदयाल सिंह और उसकी पार्टी को अब्दुल रहमान वानी के मकान को घेरने और छापा मारने का कार्य सौंपा गया, जो छिपने का एक संदिग्ध स्थान था । जब सूबेदार गुरदयाल सिंह घर की तलाशी लेने आगे बढ़े तो उन्होंने दरवाजा नही खोला यह महसूस करते हुए कि घर में कुछ असामान्य है, श्री गुरदयाल सिंह ने स्थिति के बारे में श्री धीमन को सूचित किया । इस पर श्री धीमन ने अन्य पार्टियों को घर घेरने का आदेश दिया । उसके बाद श्री धीमन घर की ओर बढ़े और घर मे रह रहे व्यक्तियों को चेतावनी दी कि यदि घर के अन्दर से गोली चली तो सीमा सुरक्षा बल की पार्टियों द्वारा प्रभावी जवाबी गोलीबारी की जायेगी । यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं, सर्वश्री धीमन और गुरदयाल सिंह ने, द्रुत गति से एक खिड़की तोड़कर घर के अन्दर छलांग लगायी, जिससे उग्रवादी आश्चर्यचकित हो गए और सभी

9 उग्रवादियों ने किसी मुकाबले के बिना, आत्म-समर्पण कर दिया ।

पकड़े गए उग्रवादियों से पूछताछ करने पर, उनमें से एक ने बताया कि पंचगम क्षेत्र में शस्त्र/गोला बारूद दबाए हुए हैं । सूबेदार गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप को उस क्षेत्र में भेजा गया और पार्टी ने एक राकेट लाऊंचर, 3 पिस्तौल/रिवाल्वर, 1 साईट राकेट लाऊंचर, 1 राकेट बूस्टर, 16 हथगोले और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद किया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पुरूषोतम सिंह धीमन, उप कमांडेंट और गुरदयाल सिंह, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 48-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरिन्दर कुमार सेठ,
कामांडेंट,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

निल्लूरा और लिस्तर क्षेत्रों में कुछ उग्रवादियों की गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर एक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में गश्त लगाने वाला एक विशेष दल 1 सितम्बर, 1991 को करीब 1200 बजे उग्रवादियों की गतिविधियों की जांच करने के लिए भेजा गया । जब के उप-निरीक्षक घुमान के नेतृत्व वाली एक प्लाटून ने गांव निल्लूरा को पार किया तो उन पर धान के खेत और ऊंचे मैदान से उग्रवादियों द्वारा भारी गोला-बारी की गई । सीमा सुरक्षा बल के दल ने तुरन्त मोर्चा संभाला और आत्म रक्षा में तुरंत जवाबी गोली-बारी करते हुए धान के खेतों में से उग्रवादियों के मोर्चे की ओर युक्तिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते रहे ।

उप-निरीक्षक घुमान के नेतृत्वाधीन वाले दल को उग्रवादियों ने भारी गोली-बारी करके बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं दिया और इस प्रक्रिया में कांस्टेबल सुप्रिया सोरांग को गोली लगी । दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक उग्रवादी मारा गया । उसके बाद, उग्रवादियों की अधिक संख्या को देखते हुए उप-निरीक्षक घुमान ने कुमुक बुलाने के लिए संदेश फ्लैश कर दिया । उन्होंने कमांडेंट एस० के० सेठ को यह भी सूचित किया कि उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को सभी ओर से घेर लिया है तथा घायल हुए कांस्टेबलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना कठिन है ।

तुरन्त श्री सेठ घटनास्थल के लिए एक कंपनी और एम० एम० जी० डिटैचमैंट और चिकित्सा अधिकारी सहित रवाना हो गये । जिस समय पुलिस दल निल्लूरा जाने वाले मार्ग पर था, तो गांव लासीपुरा के निकट उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया । श्री सेठ एक प्लाटून सहित तुरन्त आगे बढ़े, और नियमित गोली-बारी करते हुए उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया । तत्पश्चात, श्री सेठ ने बल का नेतृत्व किया और गांव निल्लूरा पहुंच गए । वहां पहुंचने पर, कमांडो प्लाटून और एम० एम० जी० डिटैचमैंट सहित श्री सेठ ने उग्रवादियों पर गोली-बारी की । जिस समय वे कीचड़ भरे धान के खेतों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उग्रवादियों द्वारा श्री सेठ पर गोलियां चलाई गई परन्तु सौभाग्यवश वे सुरक्षित बच निकले । श्री सेठ ने तुरन्त अपनी ए० के०-47 राईफल से जवाबी गोली-बारी की और एक उग्रवादी को वहीं मार गिराया और उसकी राईफल जब्त कर ली ।

घटनास्थल पर पहुंच कर श्री सेठ ने उग्रवादियों की गोली-बारी के बीच में से घायल कांस्टेबल को बाहर निकाल कर सैनिक हस्पताल, श्रीनगर, पहुंचाया । इसी दौरान, गांव लिस्तर के निकट राम बिहारा बंध के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल पर भारी गोलीबारी की गई । उप-निरीक्षक घुमान के पास एक प्लाटून और एम० एम० बी० डिटैचमैंट को छोड़ श्री सेठ दो प्लाटूनों सहित वहाँ के लिए रवाना हो गए । कुमक बल को देखकर उग्रवादी हड़बड़ा गए और अगलार की ओर बचकर भागने की कोशिश करने लगे । दो ए० के०-56 राईफलें वहां छोड़ कर वे भाग गए जिन्हें सीमा सुरक्षा बल ने बरामद किया । अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना श्री सेठ अपने बलों का नेतृत्व करते हुए गांव अगलार के टीले की ओर बढ़ते रहे । दोनों ओर से भारी गोलीबारी के दौरान तीन और उग्रवादी मारे गए जिनके शवों को अन्य उग्रवादियों द्वारा अगले टीले तक खींच कर ले जाते हुए देखा गया । इस मुठभेड़ में कुल मिला कर 11 उग्रवादी (पुलवामा जिले के एम० एम० का जिला कमांडर खूंखार उग्रवादी अब्दुल रशीद बख्शी सहित) मारे गए । खोजबीन के दौरान बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद तथा उग्रवादियों की गतिविधियों से संबंधित बहुमूल्य दस्तावेज बरामद किए गए और 39 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरिन्दर कुमार सेठ, कमांडेंट, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1994

सं० 49-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राम कुमार,
सूबेदार,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री दलीप कुमार सिंह,
कांस्टेबल,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 14 अक्तूबर, 1991 को ध्रुवगांव जिला पुलवामा, सार्वजनिक क्षेत्र में उग्रवादियों के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई । उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सूबेदार रामकुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल दिलीप कुमार सिंह सहित एक दल प्रतिनियुक्त किया गया । करीब 0900 बजे जब दल बद्रीनाथ वाक की ओर बढ़ रहा था तो सूबेदार रामकुमार ने ध्रुवगाम गांव के धान के खेतों में उग्रवादियों की गति-विधियां देखी । उग्रवादियों को घेरने के लिए दो विभिन्न दिशाओं से उग्रवादियों की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने तुरन्त अपने दल को दो टुकड़ियों में विभाजित किया । सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को अपनी ओर बढ़ते देख उग्रवादियों ने भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी । कांस्टेबल डी० के० सिंह और एक अन्य कांस्टेबलों के साथ सूबेदार रामकुमार "आगे बढ़ो और गोलियां चलाओ" की युक्ति अपनाते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े । यह देख-कर उग्रवादी तीन विभिन्न दिशाओं में भागने लगे और रेमुशी नाला पार करके दूसरी तरफ मोर्चा संभाला तथा सूबेदार राम कुमार और उनके दल पर पुन: गोलियां चलाने लगे । उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच सूबेदार राम कुमार अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़ते गए और एक उग्रवादी को मार गिराया ।

इस दौरान, कांस्टेबल डी० के० सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों की ओर बढ़ते गए । विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने निजी शस्त्र से गोली चला कर एक उग्रवादी को मार गिराया ।

सूबेदार राम कुमार और उनके दल ने उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा जिन्होंने एक टीले पर मोर्चा ले लिया था और जो उनके दल पर गोलियां चला रहा था । जब तक कि कुमुक वहां पहुंचती और उग्रवादियों का पीछा करने में सूबेदार राम कुमार का साथ देती, तब तक उन्होंने एक अन्य उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार गिराया । साढ़े तीन घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही । उसके बाद क्षेत्र की तलाशी ली गई । उग्र-वादियों के चार शव बरामद किए गए जिनकी पहचान (1) अब्दुल रहीम शेख, (क) गुलाम मोहम्मद देर, (3) नजीर अहमद भट्ट (4) मोहम्मद शफी भट्ट के रूप में की गई । वे लूटपाट करने, सुरक्षा बलों पर अक्रमण करने और निर्दोषों व्यक्तियों की हत्या करने के कई मामलों के लिए जिम्मेदार थे । अब्दुल रहीम शेख नामक उग्रवादी हिजबुल मुजाहिद्दीन का पारखपोरा क्षेत्र का एरिया कमांडर था । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से तीन ए० के० 56 राईफलें, 12 मैगजीन, 4 हथगोले और ए० के०-56 राईफल के 238 राउण्ड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री राम कुमार सूबेदार और दलीप कुमार सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 50-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कपूर सिंह,
लांस नायक,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल,

श्री जगदेव सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल ड्राईवर,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री सुधाकर सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री राम बाबू,
कांस्टेबल,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

तीन वाहनों के एक कारवां को 18 सितम्बर, 1991 को बटालियन मुख्यालय से जगूखरियान को प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनान किया गया । लगभग 10 45 बजे एक ट्रक को विपरीत दिशा से आते हुए देखा गया । जैसे ही ट्रक, कारवां के पास से गुजरा, इसके अन्दर बैठे उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की । आगे चल रहे वाहन ने गति तेज की और आड़ ले ली । उसके बाद ट्रक थोड़ा मुड़ा और सड़क को ब्लाक कर दिया जिसके परिणाम-स्वरूप दूसरे वाहन को गांव रायथन के नजदीक रुकना पड़ा । आतंकवादियों के हमले के कारण, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक वाहन से तुरन्त नीचे कूदे और मौर्चा संभाला और आत्म रक्षा में जवाबी गोलियां चलायी । लांस नायक कपूर सिंह ने सड़क के किनारे एक मकान के नजदीक मौर्चा संभाला । उग्रवादियों ने उसे देख लिया और उन्होंने उस पर भारी गोलीबारी की और उसे अपना मौर्चा बदलने के लिए मजबूर कर दिया वे वहां से हट गए और एक घर के छत पर मौर्चा संभाला । उन्होंने उग्रवादियों पर गोलियां चलायी और उन्हें अपने स्थान से हिलने नहीं दिया । वे एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए ।

चूंकि पहला हमला बीच के वाहन पर हुआ, जिसमे कांस्टेबल/ड्राईवर जगदेव सिंह पेट में गोली लगने से जख्मी हो गए और उग्रवादियों की गोलियों से वाहन भी क्षति ग्रस्त हो गया । भीषण गोलीबारी से विचलित हुए बिना वे अपने वाहन को नाका-स्थल बीच से ले गए और इसे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया और इस प्रकार से उसने अपने साथियों के प्राण बचाये । अपनी निजी सुरक्षा और जख्मों की परवाह न करते हुए, श्री जगदेव सिंह ने मोर्चा संभाला और एक उग्रवादी को नजदीक से गोली चलाकर मार दिया । वे उग्रवादियों की गोलियों का सामना करते रहे और अन्ततः जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । कांस्टेबल सुधाकर सिंह भी वाहन से कूद पड़े तथा अनुकूल स्थान पर मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी की । श्री सिंह ने बड़ी बहादुरी से उग्रवादियों की गोलियों का जवाब गोलियों से दिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और अपने साथियों के बचाव में गोलियां चलाई इस कार्रवाई में उनकी छाती में गंभीर जख्म हो गए । जख्मी होने के बावजूद, विचलित हुए बिना वे उग्रवादियों के साथ दृढ़तापूर्वक लड़ते रहे और एक उग्रवादी को जख्मी करने में कामयाब हो गए । बाद में अस्पताल जाते हुए, श्री सुधाकर सिंह ने जख्मों के कारण रास्ते में दम तोड़ दिया ।

कांस्टेबल, रामबाबू जो कारवां में बीच के वाहन में, जिस पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की, मार्गरक्षण ड्यूटी पर थे, कूद पड़े और एक मकान की छत पर मोर्चा संभाला और उग्रवादियों को भागने नहीं दिया । जब वे मोर्चा संभाल रहे थे तो उनके पेट पर गोली लगी और वे जख्मी हो गए । इसके बावजूद वे उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन पर दबाव बनाए रखा । उन्होंने देखा कि एक उग्रवादी मोर्चा लेने का प्रयास कर रहा है इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उग्रवादी पर नजदीक से गोली चलाकर उसे मार गिराया ।

तीन घंटे तक भारी गोलीबारी होती रही । दोनों ओर से गोलीबारी में कुल सात आदमी मारे गए जिनमें से 5 उग्रवादी थे । बाद में मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त (1)बशीर अहमद रेशी (2)नजीब अहमद शयर (3) खुर्शीद अहमद मीर (4) शबीर अहमद शा और (5) गुलाम हसन बानी के रूप में की गयी । पुलिस अधीक्षक बडगाम द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि "चूंकि मृत्यु के कारण स्पष्ट है अतः विस्तृत शव-परीक्षा नहीं की गयीं" । शवों की जांच डा० दूरसाद मेडिकल आफिसर जिला अस्पताल बडगाम, द्वारा की गयी ।

तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से 7 ए०के० 56 राईफलें, चीन निर्मित एक पिस्तौल, 19 ए०के० मैगजीन, 2 हथगोले और बड़ी संख्या में गोलाबारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ मे सर्वश्री कपूर सिंह, लास नायक जगदेव सिंह, कांस्टेबल/ड्राईवर, सुधाकर सिंह, कांस्टेबल और राम बाबु, कास्टेबल ने अदम्य बीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) अंतर्गत बीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 1991 से दिये जायेंगे ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 51-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राकेश कुमार,
कास्टेबल,
195वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 फरवरी, 1992 को, 195वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा यूनिट की एक कमाण्डो बटालियन सहित चार प्लाटूनों के साथ गांव हरिल और आशपुर के क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया। लगभग 14.20 बजे जब दल अपने लक्षित स्थान की ओर बढ रहा था तो कांस्टेबल राकेश कुमार ने कुछ आतंकवादियों की गतिविधियां देखी जो एक टीले पर मोर्चा संभाले हुए थे। कांस्टेबल राकेश कुमार ने तुरन्त स्थिति का जायजा लिया, अपने साथियों को संकेत भेजा और एक कांस्टेबल के साथ उग्रवादियों की तरफ बढे। जब आतंकवादियों ने उसे बेरोकटोक अपनी तरफ बढते देखा तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से पुलिस कार्मिकों पर भारी गोलीबारी की। इसके बावजूद कांस्टेबल राकेश कुमार विचलित नहीं हुए और तुरन्त नजदीक के एक नाले में कूद पड़े, मोर्चा सम्भाला और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलायी और पुनः उग्रवादियों का पीछा करना शुरू किया। वे तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक वे 20 गज़ की दूरी पर न आ गए। गोलीबारी और कठिन पहाड़ी रास्तों की परवाह न करते हुए वे एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मारने में सफल हो गए। तथापि अन्य उग्रवादी पहाड़ी क्षेत्र, नालो और घने जंगल की आड़ में भागने में सफल हो गए। मृतक आतंकवादी की शिनाख्त बाद में फारूख अहमद के रूप में की गयी। तलाशी के दौरान उग्रवादी से एक ए० के०-56 राइफल, ए० के० 56 के तीन राउंड गोला बारूद के साथ एक मैगजीन बरामद की गयी।

इस मुठभेड़ में श्री राकेश कुमार, कास्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 फरवरी, 1992 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 52-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री योगेश कुमार यादव, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री देवेन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
76वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 15-8-1991 को लगभग 0730 बजे उग्रवादियों (500-600) ने, एस० बी० आई०, टाउन हाल, माईक्रोवेव स्टेशन और डिग्री कालेज, सोपोर स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर साथ-साथ हमला किया। उन्होंने चौकियों के ईर्द-गिर्द उन सभी भवनों और मकानों पर कब्जा किया हुआ था जिन्हें उग्रवादियों के निर्देशों के अन्तर्गत लोगों ने खाली कर दिया था। उग्रवादियों ने सभी चौकियों पर मशीनगन, छोटे शस्त्र, राकेट और हथगोले भारी मात्रा में रखे। उग्रवादियों ने एस० बी० आई० स्थित पलाटून चौकी को विध्वंसकारी हमले के लिए चुना और पलाटून पर घातक हमला किया। लगभग 10.00 बजे एस० बी० आई० के सामने के बंकर पर तैनात 5 कार्मिक, गोलियों और हथगोलो के टुकड़ो से गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। चौकी के प्रभारी ने, जख्मी कार्मिकों को तत्काल ले जाने और चौकी पर से दबाव को कम करने के लिए कुमुक भेजने का अनुरोध किया।

सीमा सुरक्षा बल की अन्य चौकियों और एस० बी० आई० चौकी को जाने वाले सभी रास्तें पर इतनी अधिक गोलीबारी हो रही थी कुमुक/बचाव दल को आगे बढ़ना लगभग असम्भव था। इस अत्यन्त जोखिम भरे कार्य के लिए रघुवीर सिंह, निरीक्षक आगे आये, और उग्रवादियों का सफाया करते हुए और स्ट्रीट-फाईटिंग में उन्हें पराजित करते हुए, बाधा-घटपोरा क्षेत्र की गलियों से अपने दल को ले गये। जब श्री रघुवीर सिंह अपने दल के आगे चल रहे थे तो वे अचानक, विपरीत दिशा से आ रहे पाच उग्रवादियों के ग्रुप के सामने आ गये। उग्रवादियों ने रघुवीर सिंह, निरीक्षक और उसके दल पर गोलियां चलायीं श्री रघुवीर सिंह ने अदम्य साहस और प्रशंसनीय बुद्धिमत्ता से अपनी ए० के०-47 राईफल से गोलियां चलायी और सभी पांचों उग्रवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया।

कान्स्टेबल योगेश कुमार यादव ने भी, एस० बी० आई० चौकी से सीमा सुरक्षा बल के घायल कार्मिकों को निकालने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। एस० बी० आई० चौकी

को बुलेटप्रूफ वाहन भेजे गए, जिस पर चौकी के सामने भारी गोलीबारी की गयी। उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी अधिक प्रभावकारी थी कि बुलेटप्रूफ वाहनों में बैठे कार्मिक बाहर नहीं आ सके लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए कांस्टेबल यादव गंभीर खतरे के बावजूद वाहन से बाहर कूद पड़े और जख्मी कार्मिकों को उठाने के लिए उन्होंने बंकर से छलांग लगा दी। इस कार्यवाही में उनके सिर पर एक गोली लगी और वे घटनास्थल पर ही मारे गये।

कांस्टेबल, देवेन्द्र सिंह, जो एस० बी० आई० चौकी के बंकर में थे, चारों तरफ से हो रही गोलियों की बौछार की बिल्कुल परवाह न करते हुए अपनी एल० एम० जी० से उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें दूर रखा। लगभग 20.00 बजे उग्रवादियों ने एक हथगोला फैंका, जो बंकर के अन्दर गिरा, जिससे पलाटून कमांडर और बंकर के अन्दर तैनात तीन अन्य कार्मिक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। इस गम्भीर विपत्ति के बावजूद, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह ने साहस नहीं छोड़ा और अत्यधिक धैर्य का परिचय दिया, उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें स्थिति का फायदा नहीं उठाने दिया। कुछ समय बाद उनके सिर पर उग्रवादी की गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। कुमुक पहुंचने के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, जहां 16-8-1991 को उनकी मृत्यु हो गयी। इस मुठभेड़ में गोलीबारी के दौरान कुल 9 उग्रवादी मारे गए जिनमें से 5 उग्रवादी रघुवीर सिंह, निरीक्षक द्वारा मारे गए। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के कुल 9 कार्मिक गोली लगने से जख्मी हुए और दो कांस्टेबल मारे गये।

इस मुठभेड़ में श्री वाई० के० यादव, कांस्टेबल और श्री देवेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15-8-1991 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 53-प्रेज/94—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नीलमणी शर्मा,
उप निरीक्षक,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

दिनांक 30 अक्तूबर, 1991 को करीब 2330 बजे उप निरीक्षक नीलमणि शर्मा के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल की, 36वीं बटालियन वाली एक कमांडो पार्टी ने वारापुर गांव में छापा मारने के लिये बटालियन मुख्यालय से कूच किया। डेलिन सिंगापुर चौराहे पर 10 कार्मिकों की सुरक्षा के अधीन वाहनों को खड़ा करने के बाद, वे पैदल आगे बढ़े। जैसे ही पार्टी चौराहे के नजदीक पहुंची, उन पर उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। श्री शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया, और पार्टी के कार्मिकों को पोजीशन लेने और आत्म रक्षा में गोली का जवाब गोली से देने का आदेश दिया। एक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल सहित श्री शर्मा अपनी जान की परवाह न करते हुए, आंतकवादियों की तरफ से भारी गोलाबारी के बावजूद उन पर गोलियां चलाते रहे। जैसे ही श्री शर्मा आंतकवादियों के करीब पहुंचे, आंतकवादियों ने उन पर हथगोले फेंके, परन्तु गोलीबारी और हथगोलों के विस्फोट के सामने निडर होकर वे आतंकवादियों की तरफ बढ़ते ही रहे। आतंकवादियों का सामना करते हुए श्री शर्मा ने उनमें से दो को मार गिराया। अन्य आंतकवादी को दूसरे उप निरीक्षक श्री विपिन शेखावत द्वारा मार दिया गया। बाद में मारे गये आंतकवादियों की फैज अहमद दार, मौ० युसुफ भट तथा खुर्शीद अहमद मीर के रूप में शिनाख्त की गई जो हिजबुल मुजाहीदीन आंतकवादी ग्रुप से संबंधित थे। तलाशी के दौरान मुठभेड़स्थल से दो ए० के० 56 राइफलें, ए०के० 56 राइफलें की 7 मैगजीन, ए० के० 56 राइफल के 103 राउण्ड, दो हथगोले और 1 डेटोनेटिंग बैटरी बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में उप निरीक्षक श्री नीलमणि शर्मा ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अक्तूबर, 1991 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 54-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री किताब सिंह,
सूबेदार,
195वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री शिव लाल,
हैड कांस्टेबल,
195वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

दिनांक 21 मार्च, 1992 को गांव टीकाबल के क्षेत्र में, जो कि आतंकवादियों का मजबूत गढ़ है, एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई। जब सूबेदार किताब सिंह, शिव लाल, हैड कांस्टेबल और सीमा सुरक्षा बल के अन्य कर्मियों के साथ गांव से होकर गुजर रहे थे तो कुछ आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। श्री किताब सिंह ने स्थिति का आकलन किया और अपने दल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया—एक हिस्से को आतंकवादियों की गोलीबारी को निष्क्रिय करने के लिये लगाया गया और दूसरा दल, सूबेदार किताब सिंह के नेतृत्व में आतंकवादियों को घेरने के लिये आगे बढ़ा। उन्होंने अपने कर्मियों को आतंकवादियों पर लगातार दबाव डालने का निर्देश दिया जिससे वे बचकर न भाग सकें। आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से श्री किताब सिंह के नेतृत्व के अधीन दल पर भारी गोलीबारी की, जो उनके खिलाफ तुरन्त ही कार्रवाई में जुट गये और बिना किसी बाधा के आतंकवादियों की ओर बढ़े।

श्री शिवलाल ने स्थिति का जायजा लिया, आतंकवादियों को बचकर भाग जाने से रोकने के लिये उन पर भारी दबाव डाला। आतंकवादियों ने श्री शिवलाल के दल पर गोली चलाई लेकिन अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना भारी गोली बारी के बीच वे लगातार आगे बढ़ते रहे। जब श्री शिव लाल, एक आतंकवादी से लगभग 20 गज की दूरी पर थे तो उन्होंने उसे आत्मसमर्पण के लिये ललकारा लेकिन आतंकवादी ने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर दूसरे हाथ से निशाना साधा और उन पर गोली चला दी। तथापि त्वरित एक्शन लेकर श्री शिवलाल, आतंकवादी पर झपट पड़े और आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार डालने में सफल हो गये। बाद में मृत आतंकवादी की पहचान अली मोहम्मद मलिक, एरिया कमांडर के रूप में की गई। लगभग एक घण्टे तक गोलियों का आदान-प्रदान होता रहा। इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर 9 आतंकवादी मारे गये। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, मुठभेड़ स्थल से बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री किताब सिंह, सूबेदार और शिवलाल हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत पुलिस वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मार्च, 1992 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

4—71GI/94

सं० 55 प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रमेश कुमार डोगरा, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
29वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 11 मार्च, 1992 को एक नाका पार्टी ने कोटकला परागपुर रोड जंक्शन पर एक नाका लगाया। एक नायक की कमांड के अधीन एक दल ने, जिसमें 6 अन्य कर्मी सी०, सु० ब० के (कांस्टेबल रमेश कुमार डोगरा सहित) और पंजाब पुलिस का एक होम गार्ड शामिल था, निर्धारित स्थान पर मोर्चा संभाला।

करीब 2000 बजे नाका दल ने दो व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ओर आते हुए देखा जैसे ही वे नाके के पास पहुंचे, नाका कमांडर ने उन्हें ललकारा। इस पर, आतंकवादियों ने ए० के०-47 राइफलों से नाका पार्टी पर गोली चला दी। गोली चलाते हुए, वे गेंहू की खड़ी फसल की ओर भागने लगे और उन्होंने खेतों में पोजीशन ले ली। आतंकवादियों की विरोधी कार्रवाई को खत्म करने के लिये पार्टी के कार्मिकों ने आत्म सुरक्षा में उन पर गोली चलाई। नाका पार्टी के कार्मिकों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और वे आतंकवादियों का रोका करने लगे। आतंकवादियों को एक ही स्थान पर रोके रखने के लिये उन्होंने "गोली चलाओ और आगे बढ़ो" नीति का प्रयोग किया। नाका पार्टी ने तीन दिशाओं को कवर कर लिया और आतंकवादियों को प्रभावकारी रूप से उलझा लिया। कांस्टेबल रमेश कुमार डोगरा वास्तव में एक एल० एम० जी० के साथ तैनात था जिसे उसने कांस्टेबल कुन्दन सिंह को कवरिंग फायर देने के लिये दे दिया। उसने बुद्धिमता का प्रदर्शन किया और कांस्टेबल कुन्दन सिंह से एस० एल० आर० ले ली क्योंकि नजदीक से एम० एल० आर० द्वारा गोलियां चलाना मौजूदा स्थिति में अधिक उपयोगी होना। जहां कि अन्य कर्मी स्थिर और यहां तक कि सबल पोजीशनों से भी गोली चला रहे थे, कांस्टेबल डोगरा रेंगते हुए आतंकवादियों के काफी नजदीक, यहां तक कि मारक दूरी तक पहुंच गये। बचकर भाग निकलने के प्रयास में उग्रवादियों ने नाका कर्मियों पर गोली चलाना जारी रखा। श्री डोगरा गेहूं के खेतों में लगातार आगे बढ़ते रहे और अपनी एस० एल० आर० से गोली बारी करके उन्होंने आतंकवादियों पर भारी दबाव बनाये रखा। आतंकवादियों को मारने के लिये उन्होंने साहसिक प्रयास किया। आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोली बारी का सामना करते हुए भी श्री डोगरा ने आगे बढ़ना और आतंकवादियों पर आक्रमण करना जारी रखा। इस प्रक्रिया में उनके माथे पर स्टील हेलमेट के नीचे

ए० के०-47 राइफल की गोलियां बड़ी संख्या में लगी और वे वीर गति को प्राप्त हो गये। इसके बावजूद अन्य पार्टी कर्मियों ने आतंकवादियों की तलाश जारी रखी किन्तु अन्धेरे और गेहूं की खड़ी फसल की आड़ का लाभ उठाकर दोनों आतंकवादी बचकर भाग निकलने में सफल हो गये। इस प्रकार कांस्टेबल आर० के० डोगरा ने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपना जीवन अर्पित कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री आर० के० डोगरा, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च, कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 1992 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 56—प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री तहसीलदार सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

12 अक्तूबर, 1992 को लगभग 2230 बजे एक विशिष्ट सूचना पर सीमा सुरक्षा बल की 24वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में एक दल जिससे लगभग 42 अधिकारी/कर्मी (कांस्टेबल तहसीलदार सिंह सहित) शामिल थे, बतार गांव नामक गांव के क्षेत्र में विशेष अभियानों के लिये चौकी से रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर दल ने एक घर विशेष को घेर लिया जिसमें आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तथापि, घर की तलाशी के बाद वहां कुछ प्राप्त नहीं हुआ।

इसी बीच उन्होंने गांव के एकदम दाहिनी ओर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। दल के कमांडर ने तुरंत ही स्थिति का आकलन किया, दल को तीन टुकड़ियों में बांटा, दो टुकड़ियां बाजू से आगे बढ़ी और तीसरी टुकड़ी सामने से आक्रमण के लिये बढ़ी। कांस्टेबल तहसीलदार सिंह को स्काउट की ड्यूटी सौंपी गई थी। लगभग 0310 बजे 13-10-92 जब दल एक निर्माणाधीन मकान की ओर बढ़ रहा था, आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से दल पर भारी गोलाबारी की। कांस्टेबल तहसीलदार सिंह जोकि आगे आगे था, ने पोजीशन ले ली और अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादियों पर गोली चलाई। गोलीबारी इतनी सटीक थी कि उसके द्वारा चलाई गई पहली गोली से ही उनमें से एक आतंकवादी मारा गया। इसी बीच, दल के अन्य सदस्यों ने भी आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी का, जवाबी गोलीबारी करके जवाब दिया। जब दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी थी, तो कांस्टेबल तहसीलदार सिंह ने एक अन्य आतंकवादी को क्षेत्र से बचकर भाग जाने की कोशिश करते हुए देखा। उसने तुरन्त ही उस आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद उसने अन्य आतंकवादियों को देखने के लिये पोजीशन बदलने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्यवश उसे सिर पर एक गोली लगी जो उसके स्टील के हैलमेट को चीरती हुई निकल गई और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। इस के बाद गोलीबार का आदान प्रदान लगभग आधे घंटे तक होता रहा। मुठभेड़ के दौरान, कुल मिलाकर चार आतंकवादी मारे गये जिनकी पहचान बाद में निसार अहमद दर, फारूख अहमद दर, सरजाद अहमद भट और मुहम्मद युसुफ शेख के रूप में की गई। तलाशी के दौरान दो ए० के० 47/56, राइफलें, एक 38 बोर का रिवाल्वर, एक हथगोला और भारी मात्रा में विभिन्न बोर के कारतूस मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए। तथापि, अन्य आतंकवादी अन्धेरे ऊंची नीची जमीन और घनी वनस्पति की आड़ का लाभ उठाकर बचकर भाग गये।

इस मुठभेड़ में श्री तहसीलदार सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 41) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत शेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 अक्तूबर, 1992 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 57—प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री धरम प्रकाश (मरणोपरान्त)
कमांडेंट
30वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

16 जुलाई, 1992 को लगभग 1840 बजे श्री धरम प्रकाश, कमांडेंट, 30वीं बटालियन, सी० सु० ब० 17 अधिकारियों/कर्मियों

के साथ महानिरीक्षक के विशेष नियंत्रण कक्ष की ओर अगले आदेशों के लिये रवाना हुए। लगभग 1845 बजे जब यह दल निशांत गांव में इशबार चौक पर पहुंचा तो एक टाटा मर्सिडीज ट्रक को सड़क के बीचों बीच खड़ा पाया। श्री धरम प्रकाश ने ट्रक में लादे जा रहे बोरों में कुछ सन्देहास्पद वस्तुओं को देखा। श्री धरम प्रकाश और उनका धल वाहन से नीचे उतरा और वे ट्रक की ओर बढ़े। यह देखकर आतंकवादियों ने ट्रक से एक हथगोला फेंका और उसके बाद एक साथ तीन दिशाओं से स्वचालित हथियारों द्वारा भारी गोलीबारी शुरू कर दी। हथगोले के टुकड़ों से घायल हो जाने के बावजूद श्री धरम प्रकाश ने अपने दल को आत्म सुरक्षा में जवाबी गोली बारी करने का आदेश दिया।

आतंकवादी, जो कि संख्या में लगभग 20–30 थे, घरों की आड़ लेकर सड़क के दोनों ओर से भारी गोलीबारी करने लगे। यद्यपि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक खुले में थे, उन्होंने आतंकवादियों के मोर्चों पर जवाबी गोलीबारी की। श्री धरम प्रकाश ने तुरन्त ही टुकड़ियों का पुनर्गठन किया और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना आतंकवादियों पर हमले के लिए आगे बढ़े। आक्रमण के दौरान श्री धरम प्रकाश को उनके सिर में गोली लगी लेकिन गम्भीर और घातक घावों के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की सघन गोलीबारी के सामने अपने कर्मियों का तब तक नेतृत्व किया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गये। आतंकवादियों की गोलीबारी में दो अन्य जवान भी घायल हो गये।

ट्रक से गोली चला रहे आतंकवादियों पर सी० सु० बल कर्मियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई। वे उसी ट्रक मे भाग गये और अपने पीछे कुछ आतंकवादियों को छोड़ गये जिन्होंने निशात बाग के पास पोजीशन ले ली। जब दल के कार्मिकों ने श्री धरम प्रकाश को सिर और शरीर पर घावों के कारण चिन्ता जनक हालत में देखा तो वे उन्हें और अन्य दो जवानों को तुरन्त वेस अस्पताल ले गये जहां पर सर्वोत्कृष्ट प्रयासो के बावजद श्री धरम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री धरम प्रकाश कमान्डेंट ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 जुलाई, 1992 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 58–पेज/94 —राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री नार सिंह
उप-निरीक्षक
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री महावीर सिंह (मरोपरान्त)
हेड-कांस्टेबल,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अजैब सिंह,
लांस – नायक,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री राम कुमार सिंह,
कांसटेबल,
76वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री संजय कुमार (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
172वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 15 जुलाई, 1992 को लगभग 1730 बजे, न्यू सीमेंट ब्रिज चौकी पर नदी के दोनों ओर से उग्रवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी की गई। सूचना प्राप्त होने पर, सीमा सुरक्षा बल की 172वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट की कमांड के अधीन सीमा सुरक्षा बल के 35 कार्मिकों का एक दल (जिसमें कांस्टेबल संजय कुमार शामिल था) उग्रवादियों को पकड़ने के लिए नदी के किनारे से होता हुआ गया। इस बीच, उग्रवादियों ने सोपोर के हाजी अब्दुल बिसाती नामक व्यक्ति के बहुमंजिली भवन में मोर्चा ले लिया था। सीमा सुरक्षा बल की 172वीं बटालियन की पार्टी ने उस मकान को घेर लिया। कांस्टेबल संजय कुमार जो सबसे आगे था, ने मुख्य भवन के परिसर के अन्दर ही स्टोर हाऊस–कम–गोदाम की ओर 2–3 उग्रवादियों को भागते हुए देखा। वे उसके पीछे तेजी से भागे और उनमें से एक उग्रवादी को मार गिराया। इस प्रक्रिया में उनके पेट में चोट लग गई। गंभीर चोटों के बावजूद दम तोड़ने से पहले एक और आतंकवादी को मार गिराया। दल के अन्य सदस्यों ने तीसरे उग्रवादी को मार गिराया। इस बीच उग्रवादियों ने स्टोर हाऊस को आग लगा दी तथा साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल के दल पर भीषण गोलीबारी भी की। उग्रवादी फिर मुख्य भवन में घुस गए और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

मुठभेड़ के बारे में सूचना प्राप्त होते ही सीमा सुरक्षा बल की 76वीं बटालियन की कमांडो प्लाटून, उप-निरीक्षक नार सिंह के नेतृत्व में उसकी कमांडो टीम सहित (जिसमें हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, लांस नायक अजैब सिंह और कांस्टेबल राम कुमार सिंह शामिल थे) उग्रवादियों के भीषण गोलीबारी के बीच उस इमारत में घुस गई। उन्होंने इमारत के भू-तल में प्रवेश किया और दो उग्रवादियों को पकड़ लिया। उसके बाद दल प्रत्येक मंजिल की एक-एक कर के तलाशी लेने आगे बढ़ा। भू-तल पर मौजूद उग्रवादी कमांडो दल पर गोलीबारी करते हुए ऊपर की मंजिलों की ओर भागने लगे। सबसे ऊपर की मंजिल में उग्रवादी और कमांडो आमने सामने आ गए और उसके बाद दोनो ओर से गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी के दौरान, उप निरीक्षक नार सिंह को उग्रवादियों की गोली लगी और उनकी छाती में गहरे घाव हो गए। गंभीर घावों के बावजूद भी वे गोलियां चलाते रहे और उन्होंने दो उग्रवादीयों को मार डाला।

हेड कास्टेबल महावीर सिंह का जब कई उग्रवादियों से सामना हो गया तो उन्होने गोली चलानी शुरू कर दी और एक उग्रवादी को मार डाला। इसके साथ-साथ उग्रवादियों ने हेड कांस्टेबल महाबीर सिंह पर गोलियां चलाई और उनको घटना स्थल पर ही मार डाला।

लांस नायक अजैब सिंह और कांस्टेबल राम कुमार सिंह का भी कई उग्रवादियो के साथ नजदीक से मुकाबला हुआ। कांस्टेबल राम कुमार सिंह ने अपने निजी शस्त्र से एक उग्रवादी को मार गिराया और दो को घायल कर दिया। घायल होने के बावजूद भी वे उस समय तक लड़ते रहे जब तक कि उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। इसी बीच उनके अन्य साथी भी वहा पहुंच गए और वे उग्रवादियों से लड़ते रहे इस बीच लास नायक अजैब सिंह ने उग्रवादी पर गोली चला कर उसे घायल कर दिया जो भय के कारण खिड़की से नीचे कूद पड़ा और मर गया। दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण लांस नायक अजैब सिंह के पैर में भी गहरी चोट लग गई, परन्तु गोला बारूद समाप्त हो जाने तक वे उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से उग्रवादियों के 8 शव और बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री नार सिंह, उप-निरीक्षक, महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल, अजैब सिंह, लांस नायक, राम कुमार सिंह कांस्टेबल और संजय कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ठ वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जुलाई 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 59—प्रेज 94— राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री गुरदेव सिंह,
सूबेदार,
191वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री मोहन सिंह,
उप-निरीक्षक,
191वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री बाली राम थापा, (मरणोपरान्त)
हेड कांस्टेबल,
191वी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री रजत कुमार गोस्वामी (मरणोपरान्त)
कास्टेबल,
191वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री घनश्याम दास,
कास्टेबल,
191वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 26 सितम्बर, 1992 को करीब 1200 बजे करीमनगर के पुलिस अधीक्षक ने सीमा सुरक्षा बल की 19वी बटालियन के कमाडेंट के साथ टेलीफोन पर बात की और उन्हें बताया कि थाना वीनावंका, रेड्डीपल्ली के निकट अच्छम-पल्ली नामक स्थान मे कुछ उग्रवादी छिपे है। उन्होंने बल को हजूराबाद और जम्मीकुटा की सीमा सुरक्षा बल की चौकियो जोकि उस क्षेत्र के समीप थी, से वहाँ जाने के लिए कहा। कमाडेंट ने तुरन्त निरीक्षक गुरदेव सिंह को दोनो चौकियों से उपलब्ध बलों के साथ उस स्थान पर चले जाने को कहा। वहां पहुंचने पर, निरीक्षक गुरदेव सिंह ने पुलिस दल के प्रभारी के साथ स्थिति के बारे में बातचीत की और यह निर्णय लिया गया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान गाव का घेरा डालेंगे और पुलिस दल घरों की तलाशी लेंगे। वहां छापा मारेंगे, तथा दोनों दल एक साथ आगे बढे। जैसे ही दोनों ने घेरा डालने का काम पूरा किया उसी समय राजिदी राजी रेड्डी नामक एक व्यक्ति के घर से गोलियां चलनी आरम्भ हो गई। जब पुलिस दल ने भी जवाब में गोलीबारी की, तो उग्रवादियों ने साथ के मक्का के खेत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस बीच सीमा

सुरक्षा बल के कार्मिकों ने भी मक्का के खेत में छिपे उग्रवादियों पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं । इस प्रक्रिया में कुछ उग्रवादी घायल हो गए तथा एक उग्रवादी घटना स्थल पर ही मारा गया ।

इस बीच कांस्टेबल गोस्वामी ने दो उग्रवादियों को अपना मोर्चा बदलते और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गोलियां चलाते देखा । उसने उन पर गोली चलाई और उन्हें हिलने नहीं दिया । भीषण गोलीबारी के बावजूद भी वे रेंगते हुए ऐसे उचित स्थान पर पहुंचने में सफल हो गये जहां उग्रवादियों पर प्रभावकारी ढंग से गोलियां चला सकते थे और उनकी गति-विधियों पर अंकुश लगा सकते थे । ऐसा करते हुए उग्रवादियों ने उनको देख लिया और उनकी बाईं ओर छाती में गोलियां लगीं जिससे उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया ।

इस बीच हेड कांस्टेबल थापा ने देखा कि कोई व्यक्ति घेरे में से निकलकर भाग गया है । अन्य कार्मिकों के साथ उन्होंने भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया और उस पर गोलियां चलाईं । इस प्रक्रिया में आतंकवादी ऊंची मक्का की फसल में गायब हो गया । उग्रवादी अचानक ऊंची-ऊंची घास से निकल कर बाहर आया और उसने पीछा करने वाली पार्टी पर अपनी ए०के०-47 राईफल से गोलियां चलाईं । फलस्वरूप हेड कांस्टेबल थापा के पेट में गोली लगी और दो अन्य कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गए । श्री थापा ने अन्य कांस्टेबलों को उग्रवादियों का पीछा करने का निर्देश दिया । उन्होंने गोलियां चलाते हुए बढ़ते रहने की तरकीब का प्रयोग करते हुए उग्रवादियों का पीछा 2½ कि०मी० तक किया और अन्त में उग्रवादी को मार गिराने में सफल हो गए । हेड कांस्टेबल थापा की बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई ।

उप-निरीक्षक मोहन सिंह एक प्लाटून के प्रभारी थे, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया । जैसे ही दल मक्का के खेत के निकट पहुंचा, उसको गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी । उन्होंने हरी (ओ० जी०) वर्दी पहने एक ए० के०-47 राईफल साथ लिए एक उग्रवादी को वहां से भागते हुए देखा । उन्होंने तुरन्त अपनी स्टेनगन से उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया । इससे पहले कि उग्रवादी निशाना बांधता और गोलियां चलाता, उप-निरीक्षक मोहन सिंह ने पुनः गोली चलाई और उग्रवादी को मार डाला ।

कांस्टेबल घनश्याम दास हेड कांस्टेबल थापा, जो गोली लगने से घायल हो चुके थे, के निकट उनकी सहायता करने के लिए गए । हेड कांस्टेबल थापा, उन्हें भागते हुए उग्रवादी का पीछा करने को कहा । कांस्टेबल घनश्याम दास ने तुरंत भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया और अन्य दो कांस्टेबलों को भी बुला लिया । भागते हुए उग्रवादी ने कांस्टेबल घनश्याम दास पर कई बार गोली चलाई परन्तु उन्होंने किसी न किसी चीज की आड़ लेकर स्वयं को बचा लिया । उन्होंने उग्रवादी का दो कि०मी० तक पीछा किया और अन्ततः धान के खेत में मार डाला ।

सम्पूर्ण अभियान के दौरान निरीक्षक गुरूदेव सिंह ने सैनिकों का बहुत अच्छा नेतृत्व किया और आवश्यकतानुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात करते रहे । उन्होंने एक उग्रवादी के ऊपर उन्होंने एक हथगोला भी फेंका और जब कोई उग्रवादी फसल में दिखाई दिया उन्होंने उस पर गोली भी चलाई । उन्होंने अभियान का उत्तम तरीके से नेतृत्व किया और सम्पूर्ण अभियान के दौरान प्रभावकारी ढंग से कमाण्ड किया और नियंत्रण बनाए रखा । मुठभेड़ में कुल 9 उग्रवादी मारे गए । खोजबीन के दौरान ए० के०-47 राइफलें, 3 डी० बी० बी० एल० बन्दूकें, एक एक .315 बोर की राईफल, एक 08 एम० एम० की राईफल, एक .12 बोर का कटटा 5 डिटोनेटर्स, 10 देसी हथगोले तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद मुठभेड़ के स्थान से बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री गुरूदेव सिंह सूबेदार मोहन सिंह, उप-निरीक्षक, बाली राम थापा हेड कांस्टेबल, आर० के० गोस्वामी, कांस्टेबल और घनश्याम दास, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26-9-92 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(पैट्रोलियम तथा रसायन संबंध स्थायी समिति)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अप्रैल 1994

सं० 6/1/1/पी० एंड सी० सी०/94—श्री तुलसीदास मज्जी, संसद सदस्य को पैट्रोलियम तथा रसायन संबंधी विभागीय स्थायी समिति (1994-95) का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

जी० आर० जुनेजा
उप-सचिव

(रेल अभिसमय समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अप्रैल 1994

सं० 4/2/91-आर० सी० सी०—श्री सी० के० जाफर शरीफ, सदस्य लोक सभा, को श्री वी० कृष्ण राव द्वारा 17 मार्च, 1994 से समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थान पर रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनरीक्षा करने संबंधी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 18 अप्रैल, 1994 से मनोनीत किया गया है ।

आर० सी० गुप्ता,
अवर सचिव

नई दिल्ली–110001, दिनांक 11 अप्रैल 1994

सं० 6/1/1/सी० सी/94—श्री किशोर चन्द्र सूर्य नारायण देव विरीचेरला, सदस्य राज्य सभा का संचार संबंधी स्थायी समिति (1994–95) का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

आर० वी० बर्जरी,
निदेशक

(विदेशी मामलों संबंधी समिति)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अप्रैल 1992

सं० 4/3/94/सी०ई०ए०—राज्य सभा के सदस्यों, सर्वश्री मोहम्मद खान, विट्ठल नरहर गाडगिल और के० रहमान खान को विदेशी मामलो संबंधी समिति में कार्य करने के लिए 11 अप्रैल, 1994 से सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

आर० वी० बरजरी
निदेशक

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और डेरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 1994

संकल्प

सं० 43–49/91–एल० डी० टी०—इस मंत्रालय के दिनाक 12–9–1988 के संकल्प संख्या 43–28/74–एल० डी० टी० के अधिक्रमण में भारत सरकार ने केन्द्रीय कुक्कुट विकास परामर्शी परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है ।

2. परिषद की संरचना इस प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष : कृषि मंत्री
2. उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री (पशु पालन एवं डेरी विभाग)
3. सदस्य :
   1. सचिव (पशु पालन एवं डेरी विभाग)
   2. सचिव (कृषि एवं सहकारिता)
   3. सचिव (ग्रामीण विकास)
   4. महानिदेशक/उप–महानिदेशक (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
   5. सचिव (वाणिज्य मंत्रालय)
   6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
   7. सदस्य (कृषि)/सलाहकार) (कृषि), योजना आयोग
   8. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
   9. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, नैफेड
   10. पशु पालन आयुक्त
   11. प्रत्येक दो वर्षों के लिए बारी-बारी से 4 राज्य सरकारों के (कृषि/पशु पालन) सचिव
   12. अध्यक्ष, भारतीय समस्त पशुधन आहार विनिर्माता संघ
   13. अध्यक्ष, भारतीय कुक्कुट विज्ञान संघ
   14. अध्यक्ष, भारतीय कुक्कट परिसंघ
   15. श्री वी० वी० राव, वेंकटेश्वर एग्ड जनन स्थान लि०
   16. श्री विनोद कपूर, मैसर्स केग फार्म लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा
   17. श्री शेख इमाम, कमिला फार्म
   18. श्री परवेज, दमानिया, एग्रिटेक फूड, अहमदाबाद,
   19. श्री डेविड लोबो, वीजे ग्रुप, बंगलौर,
   20. श्री नौशाद–1, पदमसे, ईगल-एग्रो-फार्म, तालेगांव
   21. श्री शशि कपूर, इण्डो वैक्स, हिसार
   22. श्री आर० एस० सेठी, फार्म इक्विपमैण्ट इन्टरप्राइज, शाहदरा दिल्ली

सदस्य सचिव : संयुक्त सचिव (पशु पालन), पशु पालन एव डेरी विभाग

3. भारत सरकार समय–समय पर परिषद् मे प्रतिनिधित्व से अछूते रहें क्षेत्रों से अतिरिक्त सदस्यों को नामित कर सकती है ।

4. यह परिषद एक परामर्शी निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए कुक्कुट विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर समय–समय पर विचार करना तथा उनकी समीक्षा करना और और जहां कही आवश्यक हो गति में तेजी लाने के लिए उपाय सुझाना ।

(ख) कुक्कुट प्रजनन, पोषाहार, रोग नियंत्रण, प्रौद्योगिकी विपणन, व्यापार आदि की समस्याओ पर समय–समय पर विचार करना और समीक्षा करना ।

(ग) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले कोई भी अन्य कार्य ।

5. परिषद की बैठक समय–समय पर अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार किसी भी समय और स्थान पर हो सकती है ।

6. परिषद, संकल्प द्वारा कुक्कुट प्रजनन, आहार, विपणन, रोग नियंत्रण, उपस्कर विनिर्माण से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सलाह देने तथा किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए जो परिषद उचित समझती है, समितिया नियुक्त कर सकती है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारो, सघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनो, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो तथा विभागो में भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

ह० अपठनीय
संयुक्त सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली–110003, दिनांक 25 मार्च, 1994

आदेश

विषय : ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतो के क्षेत्र में हिन्दी मे मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए "प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना"।

सं० 11015(3)/93–हिन्दी–भाग 1—इस मंत्रालय के दिनाक 27 अप्रैल, 1988 के का०ज्ञा०सं० 11019(2)/87–हिंदी और दिनाक 19 जनवरी, 1989 के समान संख्यक शुद्धि पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अतर्गत वर्ष 1992 के कैलेण्डर वर्ष से पुरस्कारो की राशि बढा दी गई है जो इस प्रकार से है —

1) प्रथम पुरस्कार–8000/- रु० से बढाकर 15,000/ रु०

2) द्वितीय पुरस्कार–6000/-रु० से बढ़ाकर 10,000/-रु०

3) तृतीय पुरस्कार–3000/- रु० से बढाकर 7,000/-रु०

2. तद्नुसार उपर्युक्त दिनांक 27–4–1988 के का०ज्ञा० का पैरा 3 सशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयो और विभागो, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियो को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

वी० पी० चोपड़ा
उप–निदेशक (रा०भा०)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th May 1994

No. 26-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Indo-Tibetan Border Police :—

Names and Rank of the Officers

Shri V. P. S. Tyagi, (*Posthumous*)
Company Commander,
18th Battalion, Indo-Tibetan Border Police,
Dist. Uttarkashi

Shri Sukhdev Dhobbal, (*Posthumous*)
Constable,
18th Battalion, Indo-Tibetan Border Police,
Dist. Uttarkashi.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Vijay Pal Singh Tyagi, Company Commander, 18th Bn., ITBP, was detailed to disburse pay to his Coy. men deployed in the Malari axis in the Garhwal hills of U.P. on 4-2-92. On the tragic day of 6-2-92, he left for Bhapkund, while proceeding to Malari with pay party. In addition to him, the party consisted of one Shri M. S. Panwar, Coy. Commander (Engr) and 15 other ranks. He started for Bhapkund at 0900 hrs with his party in Govt. vehicle upto 5 Kms. short of Jumma, where there was road block. From the road block onwards, the whole area was covered with snow and it was obvious that the vehicle could not go any further. Hence they started trekking with their personal baggage at their backs. The distance from that road block to Bhapkund is about 15 Kms.

When the party arrived at Jumma at 1400 hrs, they found much more snow accumulation than their expectation. After taking a little rest, the party resumed the journey. At that time, it started snowing; however it was reasonably mild. Perceiving weather conditions and snow accumulation, Shri Tyagi thought that it would be better to speed up the journey, so that they reach Bhapkund before darkness. The party reached Jhelum at 1700 hrs, which is only 3 Kms short of Bhapkund. A number of avalanche points exist between Jhelum and Bhapkund and all the avalanche points had already been caused avalanches for that time. Two of the avalanches, one just ahead of Jhelum and one just short of Bhapkund, were quite large in dimension and were risky to negotiate at that time. The party crossed all the avalanche comfortably before they reached near the last one. At several places, where all the previous steps had vanished due to fresh snowing, Shri Tyagi himself lead the party and cut track with the help of ice-axe and made those avalanches negotiable. Just before the last avalanche, where the tragic accident occurred, the officer successfully saved Constable Satish Kumar, who slipped down the track and was just ahead of him by pulling him upwards instantly.

The party reached the fateful avalanche at about 1800 hrs, which was only 200 mtrs short of ITBP Transit Camp at Bhapkund. By this time, Shri Tyagi decided that 3 man with Coy. Comdr. (Engr) would cross first, then the other 3 would follow them and he should be in the middle to supervise the movement of the troops crossing and to guide them accordingly. As Const Sukhdev was a tough sportsman and had mountaineering experience, Shri Tyagi kept him in the rear of the party to aid in the rescue, if by chance anybody slipped while crossing. Just the time they were attempting to cross the glacier, an avalanche came all of a sudden. By that time, six men had more or loss crossed the glacier. Shri Tyagi was behind Const. Satish Kumar and Const. Sukhdev was the last person in the party to cross it. The avalanche came in three successive waves. When the first came, all the persons ran helterskelter to save themselves. Const. Satish was trapped in the main thurst. Persons behind him took shelter of a huge boulder which stood in the midst of the glacier along the road, and which resisted and diverted the *on* coming heavy snow and other stony materials on either sides of it. There was hardly a gap of 30 seconds between the first and the second wave of the avalanche. Shri Tyagi and others who had almost taken a comparatively safe shelter under the cover of the boulder saw Const. Satish Kumar falling down due to the thurst of down coming avalanche. More than 300 feet below the accident site river Dhouli Ganga flows having deep gorges and uneven rocks surrounding the banks. Const. Satish Kumar cried for help and in quick response to the call, Shri Tyagi rushed towards him. The moment the officer caught hold of his hand the second wave came almost by surprise and such was its devasting effect, that after its impact rest of the men could not see anything. A loud crackling was heard and thereafter the avalanche came with full flow and unbearable windy storm. It passed off, the persons who had already crossed the glacier and were at safe side, came quickly and pulled

out the trapped persons out of the glacier hiding under the cover of that boulder. Few of our men hiding under cover of that boulder, witnessed that Const. Sukhdev, in a valiant act to save the officer and Const. Satish Kumar, jumped towards them. This happened just before the second wave. When all the saved persons were extricated it was found that Shri Tyagi, Coy. Comdr., Const. Satish Kumar and Const. Sukhdev were missing and were believed to have been trapped in the avalanche.

After about half an hour of the second wave, the third wave of avalanche started. By this time, it had become completely dark and was also snowing heavily. It was not possible to carry out the rescue work immediately. Therefore, the remaining party, under the command of Shri yM. S. Panwar, Coy. Comdr. (Engr.) came back to Transit Camp, Bhapkund. Due to such a big avalanche and continuous snowing, there was heay accummulation of snow on and beside the road side upto the river and the river had been covered with a huge snow bridge having average snow height of 60 ft. Shri Tyagi who was still missing and was believed to be trapped under the glacier (body not yet recovered) had shown examplary courage, grit and determination with a flare of leadership quality. Without caring for his own life he dared to save his men in and unsuccessful attempt from claws of death.

In this incident S/Shri V. P. S. Tyagi, Company Commander and Sukhdev Dhobbal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th February 1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 27-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri Jagvir Singh,
Constable,
Central Industrial Security Force,
Madras.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

At about 2050 hours on 1-6-92 while Constable Jagvir Singh was patrolling inside the yard of salvage scrap yard, Manali, Madras, he smelt foul game in the other corner of the yard and found one person coming out of his hiding position. Simultaneously three other suspects alongwith a trained dog started moving towards Shri Jagvir Singh. The dog pounched on Shri Jagvir Singh and bit him ferociously, while the four criminals began hitting him with iron rods on his head and body. Inspite of this sudden attack by the ferocious dog and by the intruders, he caught hold one of the suspects, but the other intruders overpowered him and pinned him down on the ground. Even then, Constable Jagvir Singh single handed gave tough fighting for more than twenty minutes to the intruders and held one of them in his firm grip. Afterwards, on raising hue and cry, some workers and a neighbouring duty post sentry rushed to the spot and found Constable Jagvir Singh holding the suspect in his grip. The seriously injured Constable Jagvir Singh, profusely bleeding all over the body due to the injuries caused by the hits from the iron rods and shaken by multiple dog bites,, was rushed to the hospital. While one suspect was arrested, the other three criminals alongwith the dog managed to escape on seeing the advancing workers and police sentry. The arrested suspect was handed over to the local police.

In this encounter Shri Jagvir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st June, 1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 28-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Industrial Security Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri Anand Mohan Mahato,
Naik,
Central Industrial Security Force.

Shri Rameshwar Dutt,
Constable,
Central Industrial Security Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 5th/6th July, 1992, Naik Anand Mohan Mahato alongwith Constable Rameshwar Dutt and Constable Jeewan were detailed for ambush duty in plain clothes, equipped with torch lights and short lathis.

At 0305 hours Constable K. S. Adhikari, on duty at Ferro Alloy Stores informed the ambush party that 8/9 unknown persons were moving in suspicious circumstances in the Steel Melting Shop area. The ambush party, on hearing this, immediately took position near the per meter wall, where the criminals were expected to cross. An armed CISF contigent from the Control Room also arrived at the Steel Melting Shop and started combing the area. When challanged by Naik Mahato and his party, the criminals retreated and fired one round from a pipe gun. Even being unarmed, Naik Mahato rushed forward and grappled with one of the criminals. In the process, Constable Rameshwar Dutt also rushed forward to get hold of the criminals. Finding helpless, the criminals fired another shot which injured Constable Rameshwar Dutt in the right side of his chest perforating his lung. Inspite of this, Naik Mahato did not release his hold on the struggling criminal till the arrival of reinforcements. Constable Rameshwar Dutt was critically injured and fell down. He kept shouting to his colleagues to catch the culprits. Naik Mahato and Constable Rameshwar Dutt, though unarmed, displayed extraordinary courage in grappling with and arresting a dangerous armed criminal. The fleeing criminals left behind 110 kg. of Ferro Chrome Alloy, 10 Kgs. of alluminium star and a 20 feet rope used for scaling the perimeter wall.

In this encounter S/Shri A. M. Mahato, Naik and Rameshwar Dutt, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5th July, 1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 29-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri P. R. N. Nair,
2-I/C, 2 Bn.,
Central Reserve Police Force,

Shri D. Kanan.
Asstt. Commandant, 2 Bn.,
Central Reserve Police Force,

Shri Maharaj Bux Singh,
Constable, 2 Bn.,
Central Reserve Police Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19th August 1991 at about 1045 hours a message was received that a large number of militants were concentrating in Kowdara and Wantpora area. Immediately on receipt of information Shri P. R. N. Nair, 2-I/C alongwith troops was deputed Rajouri Kadal post to keep watch on the situation. In the meantime the militants opened fire on the patrolling party, which was later learnt that it was to divert the attention of the CRPF party away from Mukhdoom Sahib where the militants had collected in large numbers. It was decided to cordon Mukhdoom Sahib, located at Hari Parbat at a height and the troops were

at risk of coming under direct fire of the militants. The militants perched on Hari Parbat opened fire on the police party advancing towards them under the leadership of Shri Nair. Shri Nair took stock of the situation and directed his troops to spread out and climb up the area from left and right, while he himself advanced from the centre. On further advancing the militants opened fire, but as the area was thickly populated and pilgrims were present in the Holy Shrine, grenades were not used to silence the dominating firing position of the militants. Undeterred by the heavy firing and in total disregard to his life and safety, Shri Nair advanced and took an effective position and neutralised the dominating firing position of militants on upper ridge by his own fire from his AKNK rifle and thus averted heavy casuality and helped the party to accomplish their task without any loss to own troops. In the meantime a search party under Shri D. Kanan, Asstt. Commandant saw an armed militant entering a house on west flank of cordon where a woman and children were present. To avoid casuality to innocent people Shri Kanan alongwith Shri Maharaj Bux Singh, Constable stealthily entered the house through back door and at great risk to their lives pounced on the militant who was escaping through the other door and overpowered him. During the entire operation four Pak trained militants were arrested. 3 AK-56 Rifles, 76 rounds, 7 Magazines, 1 Stick Grenade and one round grenade were recovered from him.

In this encounter S/Shri P. R. N. Nair, 2-I/C, D. Kanan, Asstt. Commandant, and M. B. Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th August, 1991.

G. B. PRADHAN, Director

No. 30-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officers

(Posthumous)

Shri Sheikh Usman,
Constable, 81 Bn.,
Central Reserve Police Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17th May 1991 at about 1230 hours a joint search operation of the Punjab Police, CRPF and BSF was launched in the area between village Hanskalan and village Chhajewal of Ludhiana. Shri Sheikh Usman, Constable, CRPF was a member of this team. While the Section including Shri Sheikh Usman was conducting search on right flank of village Hanskalan in a lone house of one Shri Avtar Singh, they noticed a group of 6-7 terrorists armed with AK-47 and SLR rifles running towards village Chhajewal. Immediately the Section including Shri Usman chased the fleeing terrorists and after covering a distance of about one kilometer, one terrorist was shot dead, while the others kept on running towards village Chhajewal. The Police party kept them chasing. After covering about another kilometer, three terrorists took position in a concrete tube-well pit and started firing on Shri Usman and his men with automatic weapons. While the other two terrorists kept on running towards village Chhajewal. Shri Usman and his men took up position and engaged the terrorists who were well entrenched behind the concrete tubewell pit but it was an ardous and difficult task to dislodge the terrorists who were totally in a dominating position. Shri Usman realising that they are being pinned down and their fire were very effective, Shri Usman gathered courage, with total disregard to his personal safety and security took up position in the open and started firing grenades with G.F. rifle to dislodge the terrorists. Shri Usman fired four H.E. Grenades and succeeded in killing one of the terrorists who rushed out from the pit. When the other terrorists were trying to run away, Shri Usman again took up the position to fire his fifth grenade, but the moment he lifted his head to fire the fifth grenade, he was hit by one of the bullets of the terrorists on the head. He inspite of being injured gathered courage and managed to fire the grenade before he fell unconcious. He was evacuated to hospital where he was declared dead.

During the above operation, six terrorists were killed and 4 AK 47 rifles, 1 SLR rifle, 2 magazines, 2 magazines SLR, 8 magazines AK 47 assault, 3 pistols, 2 revolvers, 2 stick bombs, 100 cartridges live of AK 47 and SLR and one motor cycle etc. were recovered from the terrorists.

In this encounter Shri Sheikh Usman, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th May, 1991.

G. B. PRADHAN, Director

No. 31-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the unde mentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri H. R. Chowdhry,
Asstt. Comdt. 33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Vivek Vaid,
Dy. Supdt. of Police, 33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Som Prakash,
Inspector, 33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Devendra Prasad Singh,
Inspector, 33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Mahabir Singh,
Head Constable, 33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Subhash Chander,
Naik, 33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15th April 1990, a party 'F' Coy under the command of a Dy. S.P. was on patrolling/search duty in their area of responsibility. This party was fired upon by terrorists hiding in the farm house of Shri Gian Singh, which the police party were about to search. Immediately the cordon was tightened and the party took position. Taking the stock of the situation and its gravity, Battalion HQ. A C & D Companies were immediately informed for sending reinforcements. Immediately on receipt of information Shri Chowdhry rushed to the spot alongwith force, cordoned the farm house and after consultation took stock of the situation and decided to mount attack on the terrorists who were hiding and firing from inside the farm house. They were repeatedly warned over mike to surrender, but the terrorists opened indiscriminating fire on the police party. A burst of fire also came on the CRPF/Punjab Police parties from nearby fields. The police party took position and returned the fire. In the meantime Shri Som Prakash, Inspector took a bullet proof jacket and LMG of his escort and under cover fire climbed of the roof of the farm house to make hole on the roof, but on being informed by a child that the terrorists were in the other room, Shri Som Prakash with great risk to his personal life moved about 20 yards under heavy fire and climbed on the other roof with the help of a ladder where he was joined by Shri Chowdhry. These two officers with great courage dug holes on the kuchha roof made of wood and mud which possed great risk to their lives as the terrorists were firing heavily from inside the room and from other group of terrorists positioned in the fields with GPMG. Shri Chowdhry and Shri Som Prakash lobbed grenades inside the room, as a result, it caught fire due to explosions. When the firing from the opposite side stopped, search was carried out and three dead bodies

alongwith arms and ammunition were recovered from the room.

Simultaneously as this operation was going on a group of 4-5 terrorists who were hiding in a small drain started firing on police party. Immediately the entire area was cordoned and a police party under Shri Vivek Vaid, Dy.S.P. advanced from the western direction towards the drain where the terrorists were hiding, while another party under Shri Devender Prasad Singh, Inspector advanced from northern direction and a Dy.S.P. with the party from South-Western direction. At the same time the terrorists were repeatedly warned over mike to surrender, but they opened indiscriminate fire on the police party. Sensing the gravity of the situation, Comdt. (CCD) who was supervising the encounter took position and advanced with Shri Vivek Vaid and directed Inspector Devender Singh to use hand/rifle grenades. Shri Devender Prasad Singh unmindful of personal risk came very close to the terrorists position and threw grenades on the terrorists and in the process it was noticed that the turban of one of the terrorists being blown off. Shri Vivek Vaid alongwith two others mounted a bullet proof vehicle advanced very close to the terrorists and shot dead the remaining one terrorist. In this operation two terrorists were killed.

After the entire operation, as the troops were in the process of regrouping, they were again fired upon from a nearby farm house. The area was immediately cordoned and while searching the terrorists taking advantage of wheat crops ran towards village Philoke and Dhotian. The escort party of Comdt. (CCD) including Shri Mahabir Singh, Head Constable alongwith other personnel were deployed to engage the terrorists. As the terrorists were well under cover of wheat crops, the firing of police party was not effective. Shri Mahabir Singh at great risk to his life crawled further towards in terrorists position and threw hand grenades injuring the terrorists seriously In the meantime Shri Chowdhry who had also reached the spot crawled towards the terrorists position and kept them engaged with fire for about 15 minutes. Shri Subhash Chander, Naik of Shri Chowdhry's escort party crawled alongwith Shri Mahabir Singh, HC towards the terrorists position, came very close to the terrorists and shot and killed one terrorist.

In the entire operation/encounter a total of six terrorists were killed who were later identified as (1) Pargat Singh, (2) Kuldeep Singh, (3) Tarsem Singh Sobal, (4) Pal Singh, (5) Baldev Singh Mand and (6) Gopal Singh. One 7.62 SLR, 6 AK-47 rifles, one .38 Revolver, 1 GPMG, 2 Stick Bombs, 10 Magazines of AK-47, 1 Magazine of 7.62 and 685 rounds were recovered from the killed terrorists.

In this encounter S/Shri H. R. Chowdhry, Asstt Commandant, Vivek Vaid, Dy Supdt. of Police, Som Prakash, Inspector, Devendra Prasad Singh, Inspector, Mahabir Singh, Head Constable and Subhash Chander, Naik of 33 Bn, CRPF, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th April 1990.

G. B. PRADHAN, Director

No. 32-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Raghubir Singh (*Posthumous*)
Naik, 36 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Surinder Singh,
Lance Naik, 75 Bn.
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7th April 1992, Shri Ajit Singh, Senior Supdt of Police, Tarn Taran received information that a gang of dreaded extremists was moving in the area of village Khojkipur, P.S Verowal. He directed SP (Ops), Tarn Taran, SHO, P.S. Verowal and other police contingents to sorround the area and carry out thorough search.

In the meantime, Shri Ajit Singh contacted the Commanding Officer of 2nd Battalion Dogra Regiment, Fatehabad, Comdt. CRPF, Fatehabad and Dy. Supdt of Police, Goindwal Sahib and intimated them about the situation. All these officers alongwith their respective forces reached the spot. Shri Ajit Singh took survey of the farm house of one Balwinder Singh of village Khojkipur. In the meanwhile, they came to know that a bunker was situated in the farm house of one Balwinder Singh in which one extremist armed with sophisticated weapons was hiding.

Shri Ajit Singh divided the force into different parties and detailed them on different sides of the farm house. A party under the command of Shri Ajit Singh advanced towards the farm house on a bullet proof tractor and challenged the extremists to surrender but the extremists did not care for it. Then Shri Ajit Singh alongwith his gunman Head Constable Satnam Singh came down from the tractor and quickly took positions behind a small wall of the kitchen of the farm house. They again challenged the extremists to surrender but on seeing the police personnel the extremist started indiscriminate fire on S/Shri Ajit Singh and Satnam Singh. They also returned the fire with their service weapons. Shri Ajit Singh and HC Satnam Singh then lobbed grenades on the place of hiding. The grenades fell down in the hole of bunker and after few second the grenades blasted. Due to heavy smoke and suffocation in the bunker, the extremist was compellel to come out from the bunker. He came out and tried to escape, the police parties fired on the fleeing terrorist. In this heavy firing by Shri Ajit Singh, HC Satnam Singh and other police personnel, the fleeing terrorist took position near a fodder place of bullocks and started firing on the police parties. As the firing of the police parties were proving to be ineffective, it was decided to send an advance party. A party consisting of NK Raghubir Singh, L/NK Surender Singh alongwith six others were placed under the command of A/C Bn, CRPF to advance near the terrorist and neutralise him. This party after quick appreciation of the whole situation and as per strategy with great courage and unmindful of the risk the party advanced towards the terrorist with NK Raghubir Singh, and L/NK Surender Singh in the vanguard of the party adopted fire and more tactics and advanced towards the farm house, all the time firing at the terrorist. As this party was about to reach the farm house, the terrorist who was hiding, suddenly opened heavy fire on the advance party and as NK Raghubir Singh L/NK Surender Singh were in the fore front, the first blow firing from the terrorist took its toll. The bullets fired by the terrorist hit Naik Raghubir Singh of 36 Bn., CRPF, as a result of which he died at the spot and Lance Naik Surinder Singh of 75 Bn, CRPF was seriously injured.

Unmindful of the risk involved both Shri Ajit Singh and HC Satnam Singh crawled towards the place from where the terrorist was firing on the police parties. They fired on the terrorist from very close range, as a result of which the terrorist was killed on the spot, who was identified as Jarnail Singh alias Taila Booh. On search 1 AK-47 riffle, 3 magazines of AK-47, 100 cartridges of AK-47 and 40 empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Raghubir Singh, Naik and Surinder Singh, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th April, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 33-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officesr

Shri Pusa Ram,
Constable, 93 Bn,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23rd May 1992 at about 0800 hours a police party under a Sub-Inspector including Constable Pusa Ram of 93 Bn. was deputed to carry out search of farm houses for possible hide-outs of terrorists in the area/helds of village Phulla. While the search party was advancing towards village Bahera, it came across a farm house of one Sada Singh, located on the right side of a kuchha road leading towards that village. The party commander positioned his men around the perimeter wall of this farm house, and alongwith Const. Pusa Ram entered the premises. All the four rooms of the farm house were bolted from inside, which developed suspicion. The party Commander alongwith Const. Pusa Ram moved closer tactically and took position on the left and right sides respectively of the door of a room, knocked at the door and pushed open the door. Immediately one armed terrorist came outside and fired a burst from his automatic rifle on the party Commander, who ducked and escaped the bullets. Const. Pusa Ram who was nearby holding 7.62 rifle, but was noticed by the terrorist, seeing the party Commander under terrorist fire, took no time and in a rare and daring act fired at the terrorist injuring him. The injured terrorist fired another burst at Const. Pusa Ram, who with his quick reflexes bent forward and escaped the bullets and fired a burst from his rifle on the terrorist hitting his vital organs and killed him on the spot. The killed terrorist was later identified a self-styled Lt. Gen. of KGF Kabul Singh Hadewal responsible for many killings and who carried a cash reward of 1.5 lacs on his head. Certain arms and ammunitions were recovered from near the dead body of the terrorist.

In this encounter Shri Pusa Ram, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23rd May, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 34-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Pritam Dass.
Constable, 73 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of reliable information of movement of terrorists in the area of village Butala-Khanpur-Sheron Bagga, two sections of CRPF were put on patrolling duty of the area at about 1400 hours on 1st August, 1991. Shri Pritam Dass. Constable, a member of the patrolling party, while patrolling on link road from Bhutala village to Sheron Bagga, at about 5.30 P.M. saw an armed terrorist coming from village Khanpur side on a Moped Motor-cycle. As there were long bushes along the road side, the terrorists was not able to see the patrolling party unless he came face to face. Shri Pritam Dass, who was in the leading vehicle alongwith other members of the party got down and signalled the terrorist to stop. The terrorist stopped his moped, got down but all of a sudden opened fire from the mouser pistol at Shri Ptitam Dass as a result of which he received serious injuries on his jaw. The terrorist then jumped on the road side field, continued to fire on the patrol party and tried to make his escape by running through the fields. Constable Ptitam Dass, despite being injured, did not lose head and in the face of firing from the terrorist, advanced to the corner of the field through road side bushes and opened fire on the terrorist which prevented him from escaping and forced him to take position in the field. In the meantime, the other members of the patrol party encircled the dreaded terrorist. Shri Pritam Dass, inspite of his injuries held his ground and kept the terrorist pinned down which resulted in the elimination of the terrorist. The dead terrorist was identified as Ram Singh Chahal—a dreaded hardcore terrorist and S.S. Lt Gen of BTCF from whose possession one .30 mouser pistol with two magazines with live ammunition were recovered.

In this encounter Shri Pritam Dass, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st August, 1991.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 35-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dhan Singh,
Head Constable, 70 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

In connection with an ambush on CRPF convey by extremists on 8th November, 1991, on Amritsar-Bhikhiwind Road, a special cordon and search operation was launched by this Unit under the command of one Asstt. Commandant alongwith Punjab Police on 12th November, 1991. A cordon was laid between village Sur Singh and Sisrewal and search operation of houses in the area was launched at 0630 hours. While the search was on, sound of automatic firing was heard at a distance. Immediately the entire force reached the spot and found that the local police were chasing three terrorists equipped with lethal and sophisticated weapons. The terrorists on seeing the arrival of CRPF reinforcement, took position in a sugarcane field surrounded by mustard and paddy fields and fired at the police personnel. The Company Commander of the CRPF party immediately cordoned the area and requisitioned for reinforcement. A bullet proof tractor was requisitioned and five men on board went into the fields in search of the terrorists, but returned unsuccessful. It was decided to carry out another search of the area for which Shri Dhana Singh, Head Constable of the reinforcement volunteered to take the risk of going into the fields. Shri Dhana Singh, armed with AKMK-47 rifle boarded the bullet proof vehicle and carried out search from the southern side of the sugarcane field, but no sooner did he reach the north-western side corner, he came under heavy automatic fire from GPMG from very close range, which hit the wind screen and body of the vehicle. Shri Dhana Singh did not loose courage and with great determination in the face of heavy firing, encouraged his men to open fire on the terrorist. At the same time he opened fire with his AKMK-47 rifle on the terrorist and killed him on the spot. Suddenly the other terrorist armed with

AK-47 rifle opened fire on Shri Dhana Singh and tried to escape into the adjacent mustard field, but the alert and vigilant Shri Dhana Singh noticed the movements, directed the driver to follow the fleeing terrorist. He ordered his men to open fire and finally succeeded in silencing the terrorist. However, the third terrorist managed to escape through the fields. On search of the area two dead bodies were recovered who were later identified as Hardev Singh Bham and Pargat Singh Sakhira of Amritsar.

One GPMG with one drum magazine, one AK-47 rifle with two magazines and 103 live rounds were recovered from the dead extremists.

In this encounter Shri Dhana Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 12th November, 1991.

G. B. PRADHAN, Director

No. 36-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officer

Shri Maheshwar Singh (*Posthumous*)
Naik, 75 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 8th August 1992 a joint operation was launched for carrying out search/raids on suspected houses and farm houses of village Jagiam under P. S. Talwandi Saboo. The Police party, after briefing left for carrying out search and at about 1245 hours, when the party reached near the house of Shri Balwant Singh, some of the terrorists hidden in that house opened fire open CRPF/ police party. The Assistant Commandant who was commanding the police parties immediately directed his men to cordon that house. While the cordon was being laid, one of the terrorists suddenly rushed out from the rear side door of the house and opened fire from his AK-56 rifle on the police parties and tried to escape. As a result of this Maheswar Singh, Naik who was laying cordon close to rear side door of the house alongwith another Commando sustained serious bullet injuries by the fire of fleeing terrorist. Shri Maheshwar Singh, though seriously injured, picked up courage and put aimed fire on the fleeing terrorist to prevent his escape and succeeded in killing him on the spot with his accurate firing and saved the lives of other police personnel. The killed terrorist was later identified as Sukhpal Singh. Shri Maheshwar Singh was declared dead on reaching hospital while the other injured Commando died on the spot. On receipt of information about the encounter, more reinforcements arrived. The other terrorists hiding in a room of the house continued indiscriminate firing on the police personnel. The exchange of fire which lasted for about 1½ hours proved ineffective. Then holes were dug on the roof of the room and grenades were lobbed inside the room where the terrorists were hiding as a result of which the firing from the terrorists side stopped. On search of the area, two dead bodies were recovered and later identified as Baldeep Singh and Maddu Singh. One AK-47 rifle with 3 magazines of live ammunition, one sten gun with magazine of 9 mm with live rounds, one Mouser pistol with 5 live rounds and one empty case of pistol were recovered from the dead.

In this encounter Shri Maheshwar Singh, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th August, 1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 37-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Prakash Singh, (*Posthumous*)
Lance Naik, 36 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri M. Bodra,
Head Constable, 36 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 29th June 1992 a special search operation was launched in Mand area near the farm house of Shri Sardara Singh and Shri Kundan Singh of village Jalalabad. It was decided that the CRPF would move along the banks of river Beas from Jalalabad towards the farm house while the local police would reach the farm house via village Bottle-Kheli. The police parties were informed that 5-6 terrorists armed with arms/ammunition ran into nearby Mand area on seeing the arrival of security forces. The police party then decided to search the Mand area tactfully after being briefed thoroughly. As the search parties were about 15-20 yards from Beas river, the terrorists fired upon them with automatic weapons. The Commander of the CRPF party directed his men to take position and return the fire. Lance Naik Prakash Singh—a member of the CRPF party took safe position alongwith another naik, fired at the terrorist. As a result of heavy fire from the police party, two terrorists were killed in the encounter which lasted for about an hour. As it was getting dark and there were more terrorists in the Sarkanda field, it was decided to call for more reinforcements to cordon the area during the night and continue search during the day. On arrival of reinforcements and laying of cordon, the search parties were ordered to tactically withdraw alongwith dead bodies of killed terrorists. The police party managed to withdraw only one dead body as it was not possible to recover the other, and it was also reported that Lance Naik Prakash Singh alongwith the SLR was missing. Early next morning i.e. on 30-6-92 on search of the area the dead body of the second terrorist and also that of Lance Naik Prakash Singh who had died fighting the terrorist were recovered alongwith his SLR. The body of Lance Naik Prakash Singh bore bullet injuries on his chest and face he had succumbed to his injuries. The terrorist was killed with the bullets fired by Lance Naik Prakash Singh.

As few more terrorists were still hiding in the area, the operation was continued. As the search parties including Shri M. Bodra were searching the area, the terrorists hiding in thick Sarkandas near river bank opened fire on them with GPMG and AK-47 rifles. The search parties were immediately ordered to take position and return the fire. In the meantime Shri Bodra saw two terrorists in front of him with AK-47 rifles. Shri Bodra without caring for his life crawled towards the terrorists, opened fire and killed both the terrorists on the spot. The operation

which continued for two days resulted in the killing of four dreaded terrorists namely (1) Bakshi Singh, (2) Malkeet Singh, (3) Harinder Singh, and (4) Laddu Bal Thora from whose possession 3 AK-47 rifles, one 12 bore DBBL gun, Drum boxes of GPMG and large quantities of live/empty Ak-47 ammunition were recovered.

In this encounter Shri Prakash Singh, Lance Naik, and Shri M. Bodia, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29th June, 1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 38-Pres/94.The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri M. A. Deshmukh, (*Posthumous*)
Constable, 73 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Hargain Singh,
Sub-Inspector of Police, 73 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of reliable information about movement of terrorists in the area of village Deriwal-Jodhanagri under P. S. Mehta, two night ambushes were organised on 15th August, 1991 by CRPF and local police. One Company of CRPF under Shri Hargain Singh, S.I. (since voluntarily retired from service w.e.f. 1-11-91) including Constable M.A. Deshmukh and one section of local police laid ambush on a canal bridge between Deriwal-Jodhanagri village from 8.30 P.M. At about 2320 hours when the ambush parties left their positions and started moving on a kuchha track leading to village Deriwal, they noticed a motor cycle coming towards them from Deriwal village side. There were two suspected persons travelling on this Motor Cycle. Shri Hargain Singh, S.I. leading the ambush party immediately decided to lay an opportunity ambush on the kuchha track and as the motor cycle came near them Constable M.A. Deshmukh challenged the two suspected persons. The two persons were armed terrorists, who on being challenged, immediately abandoned their motor cycle and opened heavy fire on Shri Deshmukh and ambush position. Constable Deshmukh immediately ducked and opened fire from his weapon killing one of the terrorists on the spot. The other terrorist jumped on the road side field and continued to fire bursts from his AK-47 rifle. Shri Hargain Singh accompanied by Shri Deshmukh, undeterred by the heavy bursts of fire kept on firing at the terrorist and also engaged his men to keep on firing at the terrorist. In the meantime Constable Deshmukh who took calculated risk of life, advanced towards the corner of the road and fired at the terrorist from close range. Constable Deshmukh who was firing from close range was unfortunately hit by the terrorist fire on his face and was seriously injured. Shri Hargain Singh who was nearby immediately removed the injured Constable at a great risk to personal life and he finally succeeded in killing the terrorist. The killed terrorists were later identified as Dilbagh Singh and Virsa Singh Fauji belonging to the dreaded KCF (Panjwar) responsible for many killings, kidnappings etc. One AK-47 rifle, one SLR alongwih ammunition and one Hero Honda motor cycle were recovered from the killed terrorists. Constable Deshmukh who was taken to hospital for first-aid succumbed to his injuries.

In this encounter Shri M. A. Deshmukh, Constable and Shri Hargain Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th August 1991.

G. B. PRADHAN, Director

No. 39-Pres/94:—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Haridas Linde,
Constable, 73 Bn,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22nd February 1991 at about 1800 hours when one party of Central Reserve Police Force on patrolling duty including Shri Haridas Linde, Constable was moving from Muchhal side towads Raipur Khurd, they noticed three armed terrorists coming from the opposite direction. The terrorists immediately on seeing the patrolling party opened fire from automatic weapons in the direction of the police party. They left their motor cycle and started running through the open wheat fields. The police party immediately returned the fire and chased the running terrorists in wheat fields. The patrolling party divided itself into two groups. Constable Haridas Linde of one of the parties displayed great courage and chased the fleeing terrorists without caring for his personal safety in the face of continuous firing by the terrorists. After a ong chase, Constable Linde succeeded in gunning down one of the terrorists identified as Simbaljit Singh who was responsible for many killings in Baba Bakala Area. Constable Haridas Linde further took calculated risk of life and continued to chase the running terrorists, thus preventing their escape. After tightening the cordon around the terrorists, Constable Linde and other polic personnel engaged the terrorists in a fierce encounter which resulted in the liquidation of both the remaining terrorists identified as Gurmej Singh and Jagdeep Singh @ Jagjeet Singh. One AK-47 rifile with two magazines and 80 live rounds, two .315 rifiles with live rounds and one TVS Suzuki motorcycle were also recovered from them.

In this encounter Shri Haridas Linde, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd February, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 40-Pres 94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :-

Names and Rank of the Officers

Shri Ranpal Singh,
Dy. Commandant, 47 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Om Prakash,
Constable, 47Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 12th December, 1991 Shri Ranpal Singh, Dy. Commandant alongwith one platoon including Constable Om Prakash was proceeding for a pre-planned operation to Aboora Vilage of Dist Baramulla, J&K. As the police party was about to enter the Village, the militants numbering about 50 to 60 ambushed the police party from three different directions and opened indiscrimnate fire with GPMGs, LMG, AK-Rifles and threw grenades from nearby houses and from the open fields. Such sustained and determined firing by the militants made it impossible for Shri Ranpal Singh and his party to advance further. Shri Ranpal Singh directed half his party to engage the militants on that front by using LMG, 2" Mortor and G.F. Rifles. Shri Ranpal Singh alongwith Constable Om Prakash of his group turned towards the other side and engaged a separate group of 3 dreaded hard core militants who were firing indiscrimnately from the nearby fields. Shri Ranpal Singh directed Const. Om Prakash to fire at this group from LMG while he himself engaged a group of militants with his rifles. Simultaneously Shri Ranpal Singh and Shri Om Prakash crawled and advanced towards the cover taken by 3 militants. The militants were taken by surprise on seeing the police party near them, got stunned and started running in panic by throwing grenades on Shri Ranpal Singh and Om Prakash who were injured in the grenade blased and started bleeding profusely. Shri Ranpal Singh and Shri Om Prakash despite being injured did not loss their courage and challenged the militants to surrender, but instead the militants continued fire. Constable Om Prakash correctly aimed and shot dead one of the running militants while Shri Ranpal Singh shot dead the second, but the third militant, though injured managed to escape. The two dead militants were identified as Feroz Ahmed and Gulam Mohd. Two AK-56 rifles with four magazines, two grenades and one small walkie talkie type wireless set and one important diary containing vital information was also recovered from the dead.

In this encounter S/Shri Ranpal Singh, Deputy Commandant and Om Prakash, Constable, displayed conpicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 41-Pres 94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :-

Names and Rank of the Officers

Shri V. P. Singh,
Deputy Commandant, 91 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Ramavtar Singh,
Naik, 91 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Suresh Singh,
Head Constable, 91 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Pargat Singh,
Head Costable, 91 Bn.
Central Reserve Police Force.
Constable 91 Bn,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 8th June 1992 at about 0500 hours while a joint search operation was being carried out by CRPF and Punjab Police in Village Kakakandiala, an information was received that Surjit Singh Behla, a dreaded terrorist alongwith his accomplices was hiding in the house of Shri Manjinder Singh, Ex-MLA in Village Behla about 4 kms from village Kakakandiala. On further interrogation, it was learnt from one Sahib Singh, a mason that he has construted a bunker on the first floor of the said house. On getting the above tip-off Shri V.P. Singh, Dy. Comdt. alongwith CRPF and Punjab Police force rushed to the village. After laying cordon of the village, Shri V.P. Singh alongwith other offlcers and men entered the house of Shri Manjinder Singh which looked like an abandoned havelli and it was informed that Shri Maninder Singh has been staying in that house for the last two years. The house was effectively cordoned off and searched but nothing was recovered from the ground floor rooms.

Thereafter, while the party was searching the rooms on the first floor a group of terrorists who were hidding in a bunker, all of a sudden opened heavy fire from GPMG and other automatic weapons through camouflaged window of the bunker. The search parties immediately took positions on the stair-cash and on roof top and returned the fire but in the initial firing of the terrorists two Punjab Police personnel were killed and two CRPF personnel sustained bullet injuries. The terrorists numbering about nine deployed on the first floor kept on firing at the police party. They made several attempts to climb the stairs to the roof to gain vantage position to fire at the police party, but the effective return of fire of the police party foiled all their attempts of escape. S/Shri V. P. Singh, alongwith Suresh Singh, HC, Ramavatar Singh, Naik and Pargat Singh, Constable positioned themselves on the stair case leading to the roof as this was a very vulnerable location and also a very vantage to give effective fire on the terrorists. At about 1200 hours the terrorists namely Surjit Singh Behla, Dy. Chief of BTKF (Manochahal) and Madan Singh Maddi suddenly appeared on the stair case and started climbing up while firing from the GPMG and AK-74 rifles and tried to reach the root top. Their attempts were foiled by S/Shri V. P. Singh, Suresh Singh, Ramavtar Singh and Pargat Singh who put heavy fire on the terrorists and prevented them from advancing further. In order to neutralise both the terrorists. Shri V. P. Singh lobbed a hand grenade into the staircase which resulted in killing both the terrorists. At this juncture more re-inforcements deployed in village Kakakandiala and one Battalion of Army also reached the village which were deployed in strengthening the cordon of the village. The exchange of fire lasted throughout the night in which one Army Sepoy was killed, but in the face of continued firing from the terrorists. S/Shri V. P. Singh, Suresh Singh, Ramavtar Singh and Pargat Singh did not loose courage and held on to their positions covering the stair case kept on firing at the terrorists. Early next morning of 9-6-92 Shri V. P. Singh alongwith S/Shri Suresh Singh, Ramavtar Singh and Pargat Singh opened the roof of the houses at two points and lobbed four hand grenades which resulted in the elimination of the remaining seven terrorists. In this Exchange of fire Shri Pargat Singh, Constable sustained minor bullet injuries on his left hand index and middle finger. One or two terrorists who were still alive were firing random shots on the security forces. With a view to eliminate these terrorists, the personnel who were on the roof tops were directed to come down after which heavy fire from automatic weapons and rocket were fired by the Army which silenced the remaining terrorists. In this encounter which lasted almost 24 hours resulted in the death of 9 terrorists, namely Surjit Singh @ Sinngara Singh, Madan Singh, Sakattar Singh, Niranjan Singh, Harbans Singh, Lakhwinder Singh, Kartar Singh, Ajit Singh and Gurdip Singh from whose possession one GPMG with 3 drum magazines, one AK-74 with 3 magazines, three AK-47 with three magazines, one C-3 rifle, one SLR, one Mouser Pistol and one .38 revolver and large quantity of ammunition were recovered from the dead.

In this encounter S/Shri V. P. Singh, Deputy Commandant, Ramavtar Singh, Naik Suresh Singh, Head Constable, and Pargat Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th June, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 42-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri V. D. Tokas,
Commandant, 47 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri T. S. Negi,
Deputy Commandant, 47 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Sree Bhagwan,
Constable, 47 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Sanjeev Kumar,
Constable, 47 Bn.
Central Reserve Police Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 3rd February 1992 while Shri V. D. Tokas, Commandant alongwith 5 Coys. of his Unit including Shri T. S. Negi, Deputy Commandant, Constables Sree Bhagwan and Sanjeev Kumar, were on a special operation cordon/search at village Odina Yenkmanpura and Parihaspura of District Baramulla. They came under heavy firing from the militants with automatice weapons. The troops retaliated the fire and foiled the attempts of the militants from breaking the cordon. The militants finding no chances of escape hid themselves in a house in the village.

Having assessed the number of militants and their fire power and in order to nab the militants without causing heavy casualities of police personnel, Shri Tokas formed a Commando party with directions to search the village. As the search party approached the house of Shri Gulam Rasoor Dar in village Odina, the militants opened heavy fire on the police party. Immediately the troops encircled the house, took defensive posttion and engaged the militants with restrained firing so as to avoid casualities of innocent civilians Finding the situation grave and risky, Shri Tokas took stock of the situation and in a daring move, he alongwith Shri Negi, Deputy Commandant, Constable Sree Bhagwan and Sanjeev Kumar rushed into the house by breaking open the rear door of the house, taking the militants by surprise who were left against as the troops of the outer cordon had kept them engaged with firing to divert their attention. The Militants took defensive position and fired at Shri Tokas and party who had entered from the rear door. Shri Tokas alongwith Shri Negi, Sree Bhagwan and Sanjeev Kumar also took up defensive positions and challenged the militants to surrender. The militants did not heed to the warning of Shri Tokas and kept on firing at the police party. Finding the situation quits grave, Shri Tokas alongwith Shri Negi, Constable Sree Bhagwan and Sanjeev Kumar, took a very drastic decision, rushed towards the militants position. Challenging them loudly bounced upon them in a heroic way and nabbed all the nine dreaded militants, including two area commanders and one Zila Meer. Three AK-56 rifles with magazines, 99 rounds of AK-56, two 9 mm pistols with ammunition, one .32 pistol with magazine, two grenades and one bomb were recovered from the militants.

In this encounter S/Shri V. D. Tokas, Commandant, T. S. Negi, Deputy Commandant, Sree Bhagwan and Sanjeev Kumar, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3rd February, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 43-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :

Name & Rank of Officer

Shri U. K. Nayal,
Assistant Commandant,
76 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the intervening night of 12/13th February, 1991 Shri Umesh Kumar, Nayal Assistant Commandant, BSF was assigned the task to lead a special patrol party to capture some hardcore terrorists in village Chalgund, Kupwara. A party consisting of one Sub-Inspector and 24 other ranks under the command of Shri Nayal left battalion headquarter at about 2230 hours for the area of village Chalgund. When the party reached near Regipura Bridge they were fired upon by militants who had laid an ambush at the area from Regipura bridge to bridge near DC Office. Heavy volume of fire was opened by militants with assault rifles on the patrol party. In this grave situation Shri Nayal did not lose his composure and displayed very high quality of leadership, kept his troops well under control and broke through the ambush by sustained fire on the militants. However, the militants continued their attack, Shri Nayal, in utter disregard to his personal safety, took an EMG from one of his jawans and himself advanced towards the militants who had laid the ambush. As a result of this daring action of Shri Nayal, hardcore militants belonging to Hazbul Mujahidin were killed. However, the other militants withdrew and escaped under the cover of darkness leaving behind large quantity of arms and ammunition. The dead militants were later identified as Abdul Ahad Tantray Bashir Ahmed, Saukat Ali and Asadulla, Chief Area Commander. During search two UMGs, 1 Rocket Launcher, 9 AK-47 Rifles, 2 Night Sight UMGs, 4 Rockets, 7 Hand-grenades and large quantity of ammunition and explosive material were recovered from the place of ambush.

In this encounter Shri U. K. Nayal, Assistant Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-2-91.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 44-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :—

Name & Rank of Officer
Shri Raghubir Singh,
Inspector,
76 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 15-8-1991 at about 0730 hours militants (500-600) simultaneously attacked the BSF posts located at SBI, Town Hall, Microwave Station and Degree College, Sopore. They had occupied all the buildings and houses around the posts which had earlier been vacated by the people under instructions from the militants. The militants laid a very heavy barrage of machine guns, small arms, rockets and grenade fire on all the posts. The militants had chosen the platoon post located at the SBI for annihilation and unleashed a virulent attack on the platoon. By about 1000 hours five personnel manning the bunker in front of the SBI suffered serious injuries due to bullets and grenade splinters. The post Incharge requested for immediate evacuation of the injured personnel and for re-inforcements to relieve the pressure on the post.

The quantum of fire on the other BSF posts and all routes leading to the SBI was so heavy that manoeuvring of the re-inforcement/evacuation team were almost impossible. Inspector Raghubir Singh volunteered for this almost extremely hazardous task, he manoeuvred his team through the by-lanes of Bagha-Battapore area clearing militants and beating them at steet-fighting. While Shri Raghubir Singh was moving on the forefront of his team, he suddenly came face to face with a group of five militants moving in the opposite direction. The militants opened fire on Inspector Raghubir Singh and his party. Shri Raghubir in a sterling desplay of courage and commendable presence of mind opened fire with his AK-47 rifle and killed all the five militants on the spot.

Constable Yogesh Kumar Yadav also volunteered to evacuate the injured BSF personnel at SBI post. Bullet proof vehicles were rushed towards SBI post, they came under intese firing in front of the post. The firing of the militants was so effective that the personnel in the bullet proof vehicles could not come out but at great risk, Constable Yadav jumped out of the vehicle in utter d'sregard to his personal safety and dived into the bunker to pick up the injured personnel. In the process, he was struck by a bullet on his head and succumbed to the injury on the spot.

Constable Devanara Singh, who was in the bunker in the SBI post in utter disregard to the bail of bullets flying all around, kept on firing on the militant's position with LMG and held them at bay. At about 2000 hours one of the grenades fired by the militants fell inside the bunker seriously injuring the Platoon Commander and three others who were in the bunker. Inspite of this serious reverse, Constable Devarana Singh did not lose his courage, showed commendable grit, he kept on firing on the militants and did not allow them to take advantage of the situation. After some time, he was struck by militant's bullet on his head and grievously injured. After arrival of re-inforcements, he was evacuated to Base Hospital, Srinagar where he died on 16-8-91 morning. In the exchange of fire in all nine militants were killed in the encounter out of which 5 were killed by Inspector Raghubir Singh. In the encounter in all 9 BSF personnel received bullet injuries and 2 Constables died.

In this encounter Shri Raghubir Singh, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-8-91.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 45-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of Officer
Shri Yad Ram,
Sub-Inspector, 161 Bn,
Border Security Force.

Shri Prem Lal,
Constable, 161 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

Sub-Inspector Yad Ram and his platoon (including Constable Prem Lal) were part of a joint operation conducted by U.P. Police on 4/5th May, 1992. The platoon was part of reserve force and was located at Baria Mujahala. The U.P. Police was near Gujjar Jhalas, they had an encounter with the terrorists and killed one of them. However, the terrorists escaped in the forest after inflicting injuries to Constable Krishna Upadhyay of U.P. Police.

At about 0600 hours on 5th May, 1992, the BSF platoon under the command of S. I. Yad Ram was ordered to move towards the forest S. I. Yad Ram and his party noticed some suspicious movemen' in the forest area and on being challenged, the party was fired upon with automatic weapons by the extremists. Undeterred by the sudden attack S.I. Yad Ram and Constable Prem Lal with firm determination crawled towards the terrorists without caring for their personal safety. They effectively engaged terrorists with the accurate fire from their weapons. The terrorists changed their positions and made another assault on the BSF Party. S.I. Yad Ram and Constable Prem Lal had a miraculous escape. The exchange of fire continued for about one hour. Suddenly a shriek was heard and firing from the terrorists side stopped. On search of the area one bullet ridden body of a terrorist was recovered who was later identified as Yaduvender Singh alias Yadu, a hard-core tererririst. He was carrying a reward of Rs. 40,000/- on his head. During search one .455 revolver Wolev Scot, one hand-grenade, one steam Grenade, large number of live/empty cartridges, Indian Currency Rs. 46,000/- and packets of opium and smack were recovered from the dead terrorist.

In this encounter S/Shri Yad Ram, Sub-Inspector and Prem Lal Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th May 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 46-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :-

Name and Rank of the Officer

Shri Sube Singh,
Naik,
36 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

An information was received from local Army formamation that a group of about 10 militants of the Hizbul-Mujahideen would be crossing line of Control in the area under operational responsibility of 36 Battalion, BSF. On this, all the posts manned by BSF were alerted.

On the intervening night of 12 13-9-91 at about 0500 hours an ambush was laid by Subedar of BSF alongwith Naik Sube Singh and one Constable at Chandan Khal Post. They noticed movement of about 15 armed militants coming from Pakistan side towards the ambush site. The ambush party challenged them on which the millitants opened fire on the ambush party. The ambush party retaliated the fire in self defence. Some of the militants were noticed running, who were again challenged by Naik Sube Singh. He in a daring action, despite fully exposed to militants' direct fire, without caring for personal safety, brought effective fire on the militants and silenced them.

Thereafter, search parties under one Subedar organised methodical search and Naik P. C. Pandey showed exemplary courage and forced the armed militants to surrender. Three militants surrendered alongwith arms and ammunition. During search dead bodies of five militants were recovered.

In this encounter Shri Sube Singh, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award in made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-9-91.

O. B PRADHAN,
Director.

No. 47-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :-

Names and Rank of the Officers

1. Shri Purushotam Singh Dhiman,
   Deputy Commandant,
   142 Bn,.
   Border Security Force.

2. Shri Gurdayal Singh,
   Subedar,
   142 Bn,.
   Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 12th December, 1991 an information was received that militants were concentrating in the area of Littar. A special cordon and raid was planned. The force was divided into three columns. Two columns cordoned the village and the third column under the command of Shri P.S. Dhiman, Assistant Commandant (Now Deputy Commandant) alongwith Subedar Gurdayal Singh and other personnel proceeded to raid the suspected hide-outs. Subedar Gurdayal Singh and his party was given the task of cordoning and raiding the house of one Abdul Rehman Wani—one of the suspected hideouts. When Subedar Gurdayal Singh advanced to search the house they did not open the door. Sensing that something was abnormal in the house, Gurdayal Singh informed Shri Dhiman about the situation. On this Shri Dhiman ordered other parties to cordon the house. After that, Shri Dhiman adanced towards the house and warned the inmates of the house that if any fire came from the house, effective fire would be returned by the BSF parties. After ensuring that all precautions had been taken. S/Shri Dhiman and Gurdayal Singh, with lightening speed, jumped into the house by breaking one of the windows which caught the militants by surprise and all the nine militants surrendered without giving a fight.

On interrogation of the apprehended militants, one of them disclosed that a dump of arms/ammunition was burried in the area of Panchgam. A column under the command of Subedar Gurdayal Singh was sent to the area and the party recovered 1 Rocket Launcher, 3 Pistols /Revolvers 1 sight rocket launcher, 1 rocket booster, 16 grenades and large quantity of ammunition.

In this encounter S/Shri Purushotam Singh Dhiman, Deputy Commandant and Gurdayal Singh, Subedar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 48-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :-

Names and Rank of the Officer.

Shri Surinder Kumar Seth,
Commandant,
142 Bn,.
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On receipt of information about the movement of some militants in areas of Nillura and Littar, a special patrol party under one Sub-Inspector was sent to probe the movement of militants on 1-9-91 at about 1200 hours. When the leading platoon of S.I., P.S. Ghuman crossed Village Nillura it came under heavy fire by the militants from the paddy fields and high ground. The BSF party immediately took position and returned the fire in self defence and kept advancing tactically in paddy fields towards the militants' position.

The party of S.I. Ghuman was totally pinned down due to heavy firing by the militants and in the process one Constable Suprian Sorang received bullet injuries In the exchange of fire one militants was killed. Thereafter, S.I. Ghuman, seeing the strenght of militants flashed the messages for re-inforcements. He also informed the Commandant S.K. Seth that the militants had encircled the BSF column from all sides and it was difficult to evacuate the injured Constables to a safer place

Shri Seth immediatelly rushed with a company strength alongwith MMG Detachment and Medical Officer for the place of incident. While the party was emroute towards Nillura it was ambushed by the militants near village Lasipora. Shri Seth immediately rushed with one platoon controlled fire and forced the militants to withdraw Shri Seth, thereafter, led the troops and reached village Nillura. On reaching there, Shri Seth with Commando Platoon and MMG Detachment opened fire on the militants While he was moving ahead in slushy paddy fields, militants opened fire on Shri Seth but luckily he escaped unhurt Shri Seth immediately retaliated with his AK-47 rifle and killed one militant on the spot and seized his rifle

After reaching the place of incident Shri Seth evacuated the injured Constable in the midst of militants fire and further evacuated him to Military Hospital, Srinagar. In the

meantime, heavy firing started on the BSF party in the area of Rum Bihara Bundh near village Littar. Shri Seth rushed with two platoon after leaving a platoon with MMG Detachment with S.I. Ghuman. Militants, on seeing the reinforcement got panicky and tried to escape towards Aglar. They left two AK-56 rifles, which were recovered by the BSF party. Shri Seth without caring for his personal safety, kept on leading the troops to the hillock of village Aglar. During heavy exchange of fire there more militants were killed and their dead bodies were seen carried away by other militants towards the next hillock. In the encounter, in all 11 militants were killed (including dreaded militant Abdul Rashid Bakshi—the District Commander of H.M. of Pulwama District). During search large quantity of arms and ammunition and valuable documents about activities of militants were recovered and 39 suspected persons were rounded up.

In this encounter Shri Surinder Kumar Seth, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-9-91.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 49-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :-

Names and Rank of the Officer

Shri Ram Kumar,
Subedar, 142 Bn.,
Border Security Force.

Shri Dalip Kumar Singh,
Constable, 142 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 14th October, 1991, an information was received about the presence of militants in general area of Dhrubgam District, Pulwama. A party under the command of Subedar Ram Kumar including Constable Dalip Kumar Singh was deputed to apprehend the militants. When the party was moving towards chack Badrinath at about 0900 hours, Subedar Ram Kumar spotted the movement of militants in the rice fields of village Dhrubgam. He immediately divided his party into two groups to advance towards the militants from two different directions to encircle them. On seeing the BSF troops advancing towards them, the militants opened heavy volume of fire. Subedar Ram Kumar alongwith Constable Singh and another constable moved towards the militants by 'move and fire factics'. On this the militants ran in three different directions, crossed the Remushi Nala, took positions on the other side and again opened fire on Subedar Ram Kumar and his party. In the face of heavy firing by militants, Subedar Ram Kumar, without caring for his personal safety, continued to advance and killed one militant.

In the meantime, Constable D. K. Singh, without caring for his personal safety continued to advance towards the militants, against heavy odds, he killed one militant by firing from his personal weapon.

Subedar Ram Kumar and party continued to chase the militants, who had occupied one hillock and were firing on his party. By the time reinforcements arrived and joined Subedar Ram Kumar in chasing the militants and he succeeded in killing one more militant on the spot, the exchange of fire continued for about 3 hours. Thereafter, the area was searched and four dead bodies of militants were recovered, who were identified as (1) Abdul Rahim Seikh, (2) Gulam Mohd. Den, (3) Nazir Ahmed Bhatt and (4) Mohd. Shafi Bhatt. They were responsible for numerous acts of looting, attack on security forces and murder of innocent persons. Militant Abdul Rahim Seikh was Area Commander of Pakhapore area of Hizbul Mujahidin. During search 3 AK-56 rifles, 12 magazines, 4 hand-grenades and 238 rounds of AK-56 were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Ram Kumar, Subedar and Dalip Kumar Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14th October, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 50-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri Kapoor Singh,
Lance Naik, 25 Bn,
Border Security Force.

Shri Jagdev Singh, (*Posthumous*)
Constable/Driver, 34 Bn,
Border Security Force.

Shri Sudhakar Singh,
Constable, 24 Bn,
Border Security Force.

Shri Ram Babu,
Constable, 24 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18th September, 1991, a convoy of three vehicles was deputed on Admn. Duty from Battalion Hqrs. to Jaggukhrian. At about 10.45 a truck was seen coming from opposite direction. As the truck crossed the convoy, the militants sitting inside opened heavy fire with automatic weapons. The leading vehicle sped away and took cover. The truck then slightly turned and blocked the road, as a result the second vehicle had to stop near village Raithan. Due to attack of militants the BSF personnel immediately jumped down from the vehicle and took positions and returned the fire in self defence. Lance Naik Kapoor Singh took position near a house on the road side. He was spotted by the militants and they opened heavy fire on him compelling him to change his position. He withdrew and took position on top of one of the houses. He fired on the militants and pinned them down. He was successful in killing one of the militants.

As the middle vehicle faced the first brunt, Constable/Driver Jagdev Singh received a bullet injury in his stomech and vehicle was also damaged by the militant's fire. Undaunted by the heavy volume of fire, he drove his vehicle through the ambush and parked it at a safer place thus saved the life of his colleagues. Without caring for his personal safety and utter disregard to his injury, Shri Jagdev Singh took position and shot dead one militant from close range. He continued to resist the militant's fire and subsequently succumbed to his injuries. Constable Sudhakar Singh

also jumped from the vehicle, took position at a vantage point and returned the fire. He bravely retaliated the militants fire and moved from one position to another, gave covering fire to his colleagues, during the process, he sustained grievous injury in his chest Undeterred by his injury he continued to fight the militants with determination and succeeded in injuring one militant. Shri Sudhakar Singh subsequently succumbed to his injuries on way to hospital.

Constable Ram Babu, who was on escort duty in the middle vehicle in the convoy which came under heavy militant's fire jumped and took position on the top of one of the house and pinned down the militants. While he was in process of taking position he received bullet injuries in the abdomen. Inspite of this, he continued firng on the militants and kept them under pressure. He noticed one militant trying to take position, he reacted immediately and shot the militant dead from close range.

The heavy exchange of fire continued for three hours In the exchange of fire all seven persons were killed out of them five were militants. The dead militants were later identified as (1) Bashir Ahmed Reshi, (2) Nazir Ahmed Rathor, (3) Khurshed Ahmed Mir, (4) Shabir Ahmed Shah and (5) Gh. Hassan Wani. In the certificate issued by Supdt. of Police, Budgam, it is mentioned that 'since the cause of death was clearly evident no detailed post mortem was carried out The dead bodies were examined by Dr. Irshad, M.O. District Hospital Budgam'.

During search 7 AK-56 Rifles, 1 Chinese Pistol, 19 AK-56 Magazines, 2 Hand Grenades and large quantity of ammunition and other articles were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Kapoor Singh, Lance Nak, Jagdev Singh, Constable/Driver, Sudhakar Singh, Constable, and Ram Babu, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th September, 1991.

G. B PRADHAN,
Director

No. 51-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name & Rank of Officer

Shri Rakesh Kumar,
Constable,
195 Bn,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 16-2-92, a special operation was conducted in the areas of villages Harie and Ashpur by the Commandant, 195 Bn, BSF with strength of four platoons including the Cammando Platoon of the Unit. At about 14.20 hours, when the party was approaching the destination, Constable Rakesh Kumar observed movement of some militants who were taking position on the Hillock. Constable Rakesh Kumar quickly assessed the situation, signalled his colleagues and rushed towards the militants alongwith one Constable. Observing his unabated advance towards them, the militants opened heavy fire with automatic weapons ond the police personnel. Inspite of this, Constable Rakesh Kumar remained undeterred and immediately jumped in a nearby nallah, took position and opened fire on the militants without caring for his own safety and again started chasing the militants. He continued his chase until he reached as close as 20 yards from the militants. Disregarding the flying bullets and difficult hill features, he succeeded in killing one militant on the spot. However, the other militants managed to escape under the cover of hilly terrain, nallahs and thick jungle. The dead militant was later identified as Farooq Ahmed. During search one AK-56 Rifle, one Magazine with 3 rounds of AK-56 ammunition were recovered from the dead militant.

In this encounter Shri Rakesh Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16-2-92.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 52-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri Yogesh Kumar Yadav, (*Posthumous*)
Constable, 76 Bn,
Border Security Force.

Shri Devanara Singh, (*Posthumous*)
Constable, 76 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15th August, 1991, at about 0730 hours militants (500—600) simultaneously attacked the BSF posts located at SBI, Town Hall, Microwave Station and Degree College, Sopore. They had occupied all the buildings and houses around the posts which had earlier been vacated by the people under instructions from the militants. The militants laid a very heavy barrage of machine guns, small arms, rockets and grenade fire on all the posts. The militants had chosen the platoon post located at the SBI for annihilation and unleashed a virulent attack on the platoon. By about 10.00 hours five personnel meaning the bunker in front of the SBI suffered serious injuries due to bullets and grenade splinters. The post incharge requested for immediate evacuation of the injured personnel and for re-inforcements to relieve the pressure on the post.

The quantum of fire on the other BSF posts and all routes leading to the SBI post was so heavy that manoevouring of the reinforcement/evacuation team were almost impossible. Inspector Raghubir Singh volunteered for this extremely hazardous task, he manoevured his team through the by lanes of Bagha-Bhattpora area clearing militants and beating them at street-fighting. While Shri Raghubir Singh was moving on the forefront of his team, he suddenly came face to face with a group of five militants moving in the opposite direction. The militants opened fire on Inspector Raghubir Singh and his party. Shri Raghubir Singh in a sterling display of courage and commendable presence of mind opened fire with his AK-47 rifle and killed all the five militants on the spot.

Constable Yogesh Kumar Yadav also volunteered to evacuate the injured BSF personnel at SBI post. Bullet proof vehicles were rushed towards SBI post, they came under intense firing in front of the post. The firing of the militants was so effective that the personnel in the bullet proof vehicles could not come out but at a great risk, Constable Yadav jumped out of the vehicle in utter disregard to his personal safety and dived into the bunker to pick up the injured personnel. In the process, he was struck by a bullet on his head and succumbed to the injury on the spot.

Constable Devenara Singh, who was in the bunker in the SBI post in utter disregard to the hail of bullets flying all around, kept on firing on the militant's position with LMG and held them at bay. At about 10.00 hours one of the grenades fired by the militants fell inside the bunker seriously injuring the Platoon Commander and three others who were in the bunker. Inspite of this serious reverse, Constable Devanara Singh, did not lose his courage, showed commendable grift, he kept on firing on the militants and did not allow them to take advantage of the situation. After some time, he was struck by a militant's bullet on his head and was grievously injured After arrival of re-inforcements, he was evacuated to Base Hospital, Srinagar where he died on 16th

August 1991 morning. In the exchange of fire in all nine militants were killed in the encounter out of which 5 were killed by Inspecter Raghubir Singh. In the encounter in all 9 BSF personnel received bullet injuries and 2 Constables died.

In this encounter Shri Y. K. Yadav, Constable and Shri Devanara Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th August, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 53-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :

Name and Rank of the Officer

Shri Nilmoni Sharma,
Sub-Inspector,
76 Bn.,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 30-10-1991 at about 2330 hours a Commando Party of BSF consisting of 36 Jawans under the command of Sub-Inspector Nilmoni Sharma left Battalion Headquarter for raid in village Darapore. After parking the vehicles with a protection of 10 personnel at Delin-Singpora crossing, they proceeded on foot. As the party reached near a crossing, they came under heavy fire by the militants with automatic weapons. Shri Sharma assessed the situation, ordered the party personnel to take position and returned the fire in self defence. Shri Sharma alongwith one Sub-Inspector and a Constable, without caring for their personal safety charged on the militants braving the heavy volume of fire by the militants. As Shri Sharma came close to the militants, the militants threw grenades at him, but undeterred, in the face of firing and explosion of grenades, he continued to advance towards the militants. Shri Sharma in face to face battle with the militants shot dead two of them. Another militant was shot dead by another Sub-Inspector Shri Vipin Shekhawat. The dead militants were later identified as Fiaz Ahmed Dar, Mohd. Yousuf Bhat and Khurshid Ahmed Mir, affiliated to Hizbul Mujahideen group of militants. During search two AK-56 rifles, 7 magazines of AK-56, 103 rounds of AK-56, 2 hand grenades and 1 detonating battery were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Nilmoni Sharma, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30-10-91.

G. B. PRADHAN
Director

No 54 Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :

Name and Rank of the Officer

Shri Kitab Singh,
Subedar, 195 Bn.,
Border Security Force.

Shri Shiv Lal,
Head Constable,
195 Bn.,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 21st March 1992 a special operation was planned in the area of Village Takibal which is a highly militant prone area. While Subedar Kitab Singh alongwith Head Constable Shiv Lal and other BSF personnel were passing through the village, some militants opened heavy fire with automatic weapons on the BSF party. Shri Kitab Singh assessed the situation and divided his party into two groups one party was detailed to neutralise the fire of militants while the second party under the command of Shri Kitab Singh moved to encircle the militants. He directed his men to mount constant pressure on the militants so that they could not escape. The militants brought down heavy volume of fire with automatic weapons on the party led by Shri Kitab Singh who swung into action against them and moved unobtrusively ahead towards the militants.

Shri Shiv Lal appreciated the situation, mounted tremendous pressure on the militants to prevent their escape. The militants fired on the party of Shri Shiv Lal but they continued to advance in the face of heavy fire without caring for their personal safety. When Shiv Lal was approximately 20 yds. from one of the militants and challenged him to surrender but the militant, while raising his one hand, aimed his rifle with the second hand and fired at him. However, Shri Shiv Lal, by his swift action, pounched on the militant and succeeded in killing the militant on the spot. Later, the dead militant was identified as Ali Mohd. Malik, Area Commander. The exchange of fire continued for about one hour. In the encounter, in all, 9 militants were killed. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Kitab Singh, Subedar and Shiv Lal, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21st March, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 55-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :

Name and Rank of the Officer

Shri Ramesh Kumar Dogra, *(Posthumous)*
Constable,
29 Bn.,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 11-3-1992, a naka party laid a naka on road junction Kot Kalan-Paragpur. The party under the command of a Naik consisting of 6 other BSF personnel (including Constable Ramesh Kumar Dogra) and one Punjab Police Home Guard positioned at the given place.

At about 2000 hours, the naka party noticed two persons coming towards them under suspicious circumstances. As they reached near the naka position, the party commander challenged them. On this, the terrorists opened fire with AK-47 rifles at the naka party, while firing they started running towards the standing wheat crop and took position in the field. The party personnel fired on them in self defence to neutralise the offensive action of the terrorists. The naka party personnel left their positions and started chasing the terrorists, they used the 'fire and moved tactics' to pin down the terrorists. The naka party covered three sides and effectively engaged the terrorists. Constable Ramesh Kumar Dogra was actually manning a LMG, he gave it to Constable Kundan Singh to give him covering fire. He showed presence of mind and took SLR from Constable Kundan Singh as firing with SLR from close range would be more useful in the prevailing situation. While other personnel were firing from static as well as moving positions, Constable Dogra crawled and went within striking distance of the terrorists. The extremists kept on firing towards naka personnel in a bid to escape. Shri Dogra continued his advance in the wheat fields and put immense pressure on the terrorists by firing from his SLR. He made a bold attempt to kill the terrorists. Shri Dogra kept on advancing and assaulting terrorists in the face of heavy volume of fire by the terrorists. In the process, he received a burst of AK-47 rifle on his forehead below the steel helmet and died a heroic death. Inspite of this, the other party personnel continued the search of terrorists but both the terrorists managed to escape under the cover of darkness and standing

wheat crops. Thus Constable R. K. Dogra laid down his life while fighting with the terrorists.

In this encounter Shri Ramesh Kumar Dogra, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-3-92.

G. B. PRADHAN
Director

No. 56-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :

Name and Rank of the Officer

Shri Tahseldar Singh, (*Posthumous*)
Constable,
24 Bn.,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 12-10-92 at about 2230 hours, based on a specific information, a party under the command of Assistant Commandant of 24 Bn., BSF comprising of about 42 officers/men (including Constable Tahseldar Singh) left the post for special operations in the area of village Watargam. On reaching there, the party cardoned a particular house where the militants were reported to be hiding. However, after search of the house, nothing was found.

In the meantime, they observed some suspicious movements on the extreme right of the village. The party commander quickly assessed the situation, divided the party into three groups, two groups approached from the flanks and the third group went for frontal assault. Constable Tahseldar Singh was assigned the duties of scout. At about 0310 hours (13-10-92), while the party was approaching a house which was under construction, the militants opened heavy fire with automatic weapons on the party. Constable Tahseldar Singh, who was in the fore-front took position, fired on the militants with his SLR. The firing was so accurate that one of the militants was shot dead in the first shot fired by him. Meanwhile, other members of the party also retaliated the firing by the militants. While the heavy exchange of fire was continuing, Constable Tahseldar Singh observed another militant trying to escape from the area. He immediately fired at that militant and killed him on the spot. He then tried to change position to look for other militants but unfortunately he was hit on the head by a bullet which pierced through his steel helmet and he died instantaneously. Thereafter the exchange of fire continued for about half an hour. During the encounter, in all four militants were filled, who were later identified as Nisar Ahmed Dar, Farooq Ahmed Dar, Sarjad Ahmed Bhat and Mohd. Yusuf Sheikh. During search 2 AK-47/56 rifles, one .38 bore revolver, 1 hand grenade and large number of cartridges of different bores were recovered from the place of encounter. However, the other militants escaped under the cover of darkness, undulating ground and thick growth.

In this encounter, Shri Tahseldar Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12-10-92.

G. B. PRADHAN
Director

No. 57-Pres 94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :

Name and Rank of the Officer

Shri Dharam Prakash, (*Posthumous*)
Commandant,
30 Bn.,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 16-7-92 at about 1840 hours Shri Dharam Prakash, Commandant, 30 Bn, BSF alongwith 17 officers/men left for Special Control Room of Inspector General for further orders. At about 1845 hours as the party reached Ishbar Chowk in Nishak Village, a TATA Mercedes truck was found parked in the centre of the road. Shri Dharam Prakash spotted some suspicious articles in the gunny bags being loaded in the truck. Shri Dharam Prakash and party got down from the vehicles and approached the truck. On seeing this, the militant threw a hand grenade from the truck and then opened heavy fire with automatic weapons, simultaneously from three directions. Shri Dharam Prakash, even after having been injured, with splinters, ordered his party to retaliate in self defence.

The militants who were about 20--30 in number brought down heavy volume of fire from both sides of the road, taking cover the houses. The BSF personnel, although in open, fired back on the militants' positions. Shri Dharam Prakash immediately reorganised the troops and proceeded to assault the militants without caring for their personal safety. During assault, Shri Dharam Prakash sustained a bullet injury on his head but inspite of grave and fatal injuries, he commanded his men, in the face of intense fire of terrorists till he fell unconscious. Two other jawans were also injured in the firing of militants.

The militants firing from the truck came under heavy fire by the BSF personnel, they left in the truck leaving behind some of the militants who took positions near Nishat Bagh. When the party personnel saw Shri Dharam Prakash in critical condition with injuries on the head and body, they rushed him alongwith two injured personnel to Base Hospital where despite best efforts Shri Dharam Prakash was declared dead.

In this encounter Shri Dharam Prakash, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16-7-92.

G. B. PRADHAN
Director

No. 58-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and Rank of the Officers

Shri Nar Singh,
Sub-Inspector, 76 Bn,
Border Security Force.

Shri Mahavir Singh, (*Posthumous*)
Head Constable, 76 Bn,
Border Security Force.

Shri Ajaib Singh,
Lance Naik, 76 Bn,
Border Security Force.

Shri Ram Kumar Singh,
Constable, 76 Bn,
Border Security Force.

Shri Sanjay Kumar, (*Posthumous*)
Constable, 172 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 15th July 1992, at about 1730 hours, New Cement Bridge Post came under heavy fire from militants from both sides of the river. On getting information, a party consisting of 35 BSF personnel (including Constable Sanjay Kumar), under the command of an Assistant Commandant of 172 Bn, BSF rushed through the flanks to nab the militants. In the meantime the militants had taken their positions in a multistorey building of one Haji Abdul Bisati, Sopore. The BSF party of 172 Bn. cordoned the house. Constable Sanjay Kumar, who was in the fore-front, spotted 2-3 militants running towards the stone house-cum-godown within the compound of the main building. He gave a hot chase and shot dead one of the militants. In the process, he received injury in the abdomen. Inspite of grievious injury, he managed to kill one more militant before he fell down. The other party members shot dead the third militant. In the meantime, the store house was put on fire by the militants and simultaneously brought heavy fire on the BSF party. The militants then entered the main building and started firing on the BSF personnel.

On getting information about the encounter, the Commando Platoon of 76 Bn. BSF under the command of Sub-Inspector Nar Singh alongwith his Commando Team (including Head Constable Mahavir Singh, Lance Naik Ajaib Singh and Constable Ram Kumar Singh) stormed the building inspite of heavy firing by the militants. They entered the ground floor and apprehended two militants. They party then proceeded to clear the house floor-by-floor. The militants on the ground floor then started moving towards upper storeys while firing on the Commandos. At the top floor they came face to face with the militants, in the close quarter battle that followed. During the ensuing battle S. I. Nar Singh was hit by the bullets, fired by the militants and sustained serious injury on his chest Inspite of serious injury he kept on firing and managed to kill two militants.

HC Mahavir Singh on coming face to face with a number of militants opened fire on them and killed one of the militants. Simultaneously militants fired on HC Mahavir Singh killing him on the spot.

Lance Naik Ajaib Singh and Constable Ram Kumar Singh had a close quarter battle with the number of militants. Constable Ram Kumar Singh killed one and injured two militants with his personal weapon. Despite injury he continued his fighting till ammunition was exhausted. In the meantime his other colleagues reached the spot and engaged the militants. In the meantime Lance Naik Ajaib Singh fired at one of the militant and injured him who out of fear jumped down the window and died. In the exchange of fire Lance Naik Ajaib Singh was also seriously injured on the foot, but he kept on firing on the militants till his ammunition was exhausted. During search 8 dead bodies of militants and large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S, Shri Nar Singh, Sub-Inspector, Mahavir Singh Head Constable Ajaib Singh, Lance Naik, Ram Kumar Singh, Constable and Sanjay Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th July 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 59-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Gurdev Singh,
Subedar, 191 Bn,
Border Security Force.

Shri Mohan Ram,
Sub-Inspector, 191 Bn,
Border Security Force.

Shri Bali Ram Thapa, (Posthumous)
Head Constable, 191 Bn,
Border Security Force.

Shri Rajat Kumar Goswami, (Posthumous)
Constable, 191 Bn,
Border Security Force.

Shri Ghanshyam Das,
Constable, 191 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 26th September 1992, at about 1200 hours, Supdt. of Police, Karimnagar spoke to Comdt. 191 Bn, BSF, on telephone and told that some extremists were taking shelter in Achampalli near Reddypalli, P. S. Veenavanka. He asked for the force to be moved from Huzurabad and Jammikunta BSF posts which are near to that area. The Commt. immediately directed Inspector Gurdev Singh to take available troops from both posts and reach there. On reaching there, Inspector Gurdev Singh discussed the situation with the Incharge Police Party and it was decided that BSF personnel will lay cordon around the village and police party will raid/search the houses and both parties moved simultaneously. As they completed the cordon, firing started from the house of one Rajidi Raji Reddy. The police party returned the fire, the extremists started running towards the adjoining maize field. In the meantime, the BSF personnel also started firing on the extremists, who took over in the maize field. In the process, some of the extremists were injured and one extremist was killed on the spot.

In the meantime, Constable R. K. Goswami saw two extremists changing position and firing on the BSF party. He fired on them and pinned them down. Inspite of heavy firing, he crawled and reached near the vantage point from where he could effectively brought fire on the extremists and check their movements. In the process, he exposed himself and received bullet injury in his left chest and died on the spot.

In the meantime, Head Constable Thapa noticed that somebody had escaped from the cordon. He alongwith others chased the fleeing extremists and fired on him. In the process the extremist disappeared in high maize crop. Suddenly the extremist appeared from the high grass and sprayed a brust with his AK-47 rifle towards the chasing party. As a result HC Thapa sustained bullet injury in the stomach and two other Constables also sustained injuries. Shri Thapa instructed the other Constables to chase the extremist. They chased the extremist upto 2 and a half kms. with fire and move tactics and ultimately they succeeded in killing the extremist. Head Constable Thapa later succumbed to his injuries.

Sub-Inspector Mohan Singh was incharge of one platoon, which he led, as the party reached near the maize field, they heard sound of fire. He saw one extremist with his stengun and injured him. Before the extremist could aim and return fire, S. I. Mohan Singh again fired and filled the extremist.

Constable Ghanshyam Das was near HC Thapa, who had sustained bullet injury, he ran for his assistance. HC Thapa told him to chase the running extremist. Constable Ghanshyam Das immediately followed the fleeing extremist and also called two other Constables. The extremist fired many time on Constable Ghanshyam Das but he saved himself while taking over. He chased the extremist for about 2 Klms. and ultimately succeeded in killing him in the paddy field.

Inspector Gurdev Singh kept close watch on troops through out the operation and kept adjusting them as per requirement. He also hurled a grenade on one of the extremist and fired on the extremists whenever he spotted anyone in the crop. He managed the operation excellently and exhibited effective command and control in the entire operation. In the encounter in all nine extremists were killed. During search 2 AK-47 rifles, 3 DBBL guns, one .315 bore rifle, one .08mm rifle, one .303 rifle, one .12 bore katta, 5 detonators, 10 local made grenades and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S Shri Gurdev Singh, Subedar, Mohan Singh, Sub-Inspector, Bali Ram Thapa, Head Constable Rajat Kumar Goswami, Constable and Ghanshyam Das, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th September 1992.

G. B. PRADHAN
Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM & CHEMICALS)

New Delhi-110001, the 19th April 1994

No. 6/1/1/P&CC/94.—Shri Tulasidas Majji, M.P. has been nominated to be the Member of the departmentally related Standing Committee on Petroleum & Chemicals (1994-95).

G. R. JUNEJA, Dy. Secy.

(RCC BRANCH)

New Delhi-110001, the 19th April 1994

No. 4/2/91-RCC.—Shri C. K. Jaffer Sharief, Member, Lok Sabha has been nominated on 18 April 1994 to serve as a Member of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to the General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance vis-a-vis General Finance in the vacancy caused by the resignation of Shri V. Krishna Rao from the membership of the Committee from 17 March 1994.

R. C. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 11th April 1994

No. 6/1/1/CC/94.—Shri Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla, Member, Rajya Sabha has been nominated to serve as member of the Committee on Communications (1994-95).

R. V. WARJRI, Director

(COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS)

The 12th April 1994

No. 4/3/94/CEA.—S/Shri K. Mohammad Khan, Vithal Narhar Gadgil and K. Rahman Khan, Members of Rajya Sabha have been nominated to serve as Members of the Committee on External Affairs w.e.f. 11 April, 1994.

R. V. WARJRI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 9th February 1994

RESOLUTION

No. 43-49/91-LDT.—In supersession of this Ministry's Resolution No. 43-28/74-LDT dt. 12-9-1988, the Government of India have decided to reconstitute the Central Poultry Development Advisory Council from 5-1-1994.

2. The composition of the Council will be as under :—

(1) Chairman : Minister of Agriculture.

(2) Vice-Chairman : Minister of State (DAHD).

(3) Members :

(i) Secretary (Animal Husbandry & Dairying)

(ii) Secretary (Agriculture & Cooperation).

(iii) Secretary (Rural Development)

(iv) Director General/Dy. Director General, (Animal Science), Indian Council of Agri. Research.

(v) Secretary (Ministry of Commerce).

(vi) Secretary, Ministry of Food Processing Industries.

(vii) Member (Agriculture)/Advisor (Agri), Planning Commission.

(viii) Managing Director National Cooperative Dev. Corporation (N.C.D.C.).

(ix) Chairman/Managing Director, NAFED.

(x) Animal Husbandry Commissioner.

(xi) Secretary, (Agriculture/Animal Husbandry) of 4 State Govts. By rotation for two years each.

(xii) Chairman, Compound livestock Feed Manufactures Association of India (CLFMA).

(xiii) President, Indian Poultry Sciences Association (IPSA).

(xiv) President, Poultry Federation of India (PFI).

(xv) Sh. B. V. Rao, Venkateshwara Hatcheries Ltd.

(xvi) Sh. Vinod Kapoor, M/s Kegg Farms Pvt. Ltd., Gurgaon, Haryana.

(xvii) Sh. Sheikh Imam, Kasila Farms.

(xviii) Sh. Parvez, Damania, Agritech Foods, Ahmedabad.

(xix) Sh. David Lobo, Deejay Group, Bangalore.

(xx) Sh. Naushad I. Padamsee, Eagle Agro-Farms, Talegaon.

(xxi) Sh. Shashi Kapur, Indo Vax, Hissar.

(xxii) Sh. R. S. Sethi, Farm Equipment Enterprises, Shahadra, Delhi.

Member Secretary :—

Joint Secretary (AH) Deptt. of Animal Husbandry and Dairying.

3. The Government of India may nominate from time to time additional Members to represent interests not already represented on the Council.

4. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(a) To consider and review from time to time the progress of poultry development programmes formulated by the State and Central Government and recommend measures for accelerating the tempo wherever necessary; and

(b) To consider and review from time to time the problems of poultry breeding, nutrition, disease control, technology, marketing, trade etc.

(c) Any other function which may be assigned from time to time by the Government of India.

5. The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

6. The Council may, by resolution appoint Committees for advising it in connection with problems relating to poultry breeding, feeds, marketing, disease control, equipment manufacture and for any other purposes as it may think fit.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Govt. of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Sd./- ILLEGIBLE
Jt. Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110003, the 25th March 1994

ORDER

Subject :—'PRAKRTIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writting of original Books in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

No. 11015(3)/93-Hindi-Pt-I.—With reference to this Ministry's O.M. No. 1-1019(2)/87-Hindi dated 27-4-1988 and in Continuation of Corrigendum of even number dt. 19th January, 1989, I am directed to state that under this Scheme the amount of prizes have been increased as under with effect from the award for the Calander Year 1992 :—

(1) First Prize	Rs. 8000/-	to	Rs. 15,000/-
(2) Second Prize	Rs. 6000/-	to	Rs. 10,000/-
(3) Third Prize	Rs. 3000/-	to	Rs. 7,000/-

2. Accordingly Para No. 3 of the aforesaid O.M. dt. 27-4-1988 stands modified to that extent.

ORDER

Ordered that a copy each of this order be sent to all the State Governments, all the Ministries and Departments of Government of India, all the Universities of India and all the News Agencies.

Ordered also that a copy of this order be published in the Gazette of India for general information.

V. P. CHOPRA, Deputy Director(OL)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994